राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का चतुर्थ दिवस [संख्या ४

गुरुवार, दिनांक २२ अगस्त १९६३

विधान सभा की बैठक म० प० २.३३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[पंचायत, शिक्षा, राजस्व, सहकारी, वित्त, उद्योग एवं सामान्य प्रशासन-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री जयनारायण सालोदिया ।

जिला परिषद् टोंक द्वारा धन-राशि का वितरण

८१. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला परिषद् टोंक द्वारा दिसम्बर, ६२ में पचास हजार रुपये की धनराशि का वितरण जिले की पंचायत समितियों में स्थानीय विकास कार्या के लिए किया गया है ? यदि हाँ, तो कितना कितना व किस तारीख को ? पंचायत समिति-वार अलग२ धनराशि बताने की कृपा करें ।

(२) क्या इस धनराशि के वितरण से पूर्व जिले की सब पंचायत समितियों से अपने मांग-पत्र निश्चित तारीख तक मांगे गये थे ? यदि हां, तो कौनसी तारीख तक तथा निश्चित तारीख तक किन किन पंचायत समितियों के मांग-पत्र आये और उनके द्वारा कितने कितने रुपये की मांग की गई ?

(३ क्या यह भी सही है कि जिन पंचायत समितियों से कोई मांग नहीं आई उनको भी उक्त धनराशि दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त पचास हजार की रकम का नियमानुसार वितरण नहीं किया जाकर मनमाने ढंग से किया है जो खिलाफ कानून है ?

Page No 2

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(५) क्या यह सही है कि ऐसी धन–राशियों का वितरण करने का अधिकार सिर्फ जिला परिषद् की वित्तीय एवं योजना उप समिति को ही है ? यदि हां, तो इस नियम विरुद्ध कार्यवाही के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप–मन्त्री. पंचायत (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। दिनांक १०–१२–६२ को पंचायत समिति, टोंक, देवली, टोडाराय–सिंह, मालपुरा–प्रत्येक को ८०००) रुपये व पंचायत समिति निवाई व उणियारा प्रत्येक को ६०००) रु०; इस प्रकार कुल ५०,०००) रु० का वितरण हुआ।

(२) जी हां। दिनांक १–१२–६२ तक पंचायत समितियों से मांग चाही गई थी किन्तु निश्चित तारीख तक किसी भी पंचायत समिति से मांग नहीं आई।

(३) जी हां। चूंकि निश्चित तारीख तक किसी भी पंचायत समिति से मांग नहीं आई थी अतः सब पंचायत समितियों में धनराशि का विभाजन कर दिया गया।

(४) जी नहीं।

(५) वितरण करने का अधिकार जिला परिषद् को है। नियम विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि दो पंचायत समितियों से मंजूर होकर वह मांग गई थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : निश्चित तारीख के बाद आयी थी। इसलिए एक एक हजार रुपया और दिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : निश्चित तारीख के अन्दर दो पंचायत समितियों की आयी। बाकी पंचायत समितियों ने मांग–पत्र नहीं भेजे, फिर किस आधार पर दे दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसी का मांग पत्र नहीं भी आया तो भी समान वितरण कर दिया गया। चूंकि दो पंचायत समितियों का लेट आया था और उनकी आवश्यकता को देखते हुए एक एक हजार रुपया उन पंचायत समितियों को अधिक दिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : और क्यों अधिक दिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मांग बतायी गयी थी उसको देखते हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि वहां एक सब–कमेटी बनी हुई है ?

श्री अध्यक्ष : Order please ! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियां और जिला परिषद् आटोनोमस बोडीज् हैं, वे कानून के अन्तर्गत बनाई गई हैं। किस किस पंचायत समिति को कितना कितना दिया गया, इस पर एक हद तक ही यहां विचार कर सकते हैं। कोई विशेष आपत्ति हो तो वह ही उठायें, वर्ना हरएक डिटेल में जाना यहां सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : सब–कमेटी बनी हुई है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जरूर बनी हुई है सब–कमेटी और वह निर्णय करती है। उसकी मीटिंग बुलाई गई, लेकिन उसका कोरम पूरा नहीं हुआ इसलिए प्रमुख ने ऐसा किया और जिला परिषद् से उसने इस वितरण को स्वीकृत भी करा लिया।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं उस सब–कमेटी का सदस्य हूं और मुझे अब तक कोई इत्तला नहीं हुई मीटिंग की।

श्री अध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

पाठ्य पुस्तकें

८२. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कक्षा ६ तक की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि कक्षा २, ३ व ४ के लिये गणित की किताब राष्ट्रीयकरण बोर्ड की तरफ से नहीं प्रकाशित की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि कक्षा २, ३ व ४ के लिये कुछ गणित की किताबों को राज्य के शिक्षा विभाग ने मान्यता दे रखी है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। कक्षा ६ तक की अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त सभी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है।

(२) कक्षा ३ व ४ के लिये गणित की पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं व राष्ट्रीयकरण पाठ्य-पुस्तकें मण्डल ही उन्हें प्रकाशित कराता है। कक्षा २ में शिक्षा पाठ्यक्रमानुसार गणित का विषय मौखिक पढ़ाने का है अतः इस कक्षा के लिए गणित की कोई पुस्तक राष्ट्रीयकृत नहीं है।

(३) कक्षा २ की गणित न राष्ट्रीयकृत है और न अन्य प्रकाशकों को शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा ३ व ४ की गणित की पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं अतः अन्य प्रकाशकों की कोई पुस्तक शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो आपने प्रश्न का उत्तर दिया कि २ व ३ कक्षा की गणित की पुस्तकें आपके द्वारा चलाई जा रही हैं और उसके अलावा कोई मान्यता प्राप्त नहीं है, किन्तु ऐसी किताबें बाजार में उपलब्ध हैं और उस के ऊपर लिखा हुआ है, "राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित"; वे किताबें बाजार में बिक रही हैं और लड़के किताबें लाकर पढ़ते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रमाणित, मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीयकृत. इसमें कुछ फर्क है। जहां तक मैं समझता हूं मान्यता प्राप्त कोई किताब नहीं है। फिर भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में ऐसी धोखेबाजी करने वाली संस्थायें हों जो ऐसा लिखकर पुस्तकें बेचती हों, आप मुझे प्रमाण बतायें तो मैं जानकारी कर सकता हूं; अन्यथा नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इस प्रकार की मान्यता प्राप्त और प्रमाणिक पुस्तकें इसलिए कक्षा में चलाई जाती हैं कि राष्ट्रीयकृत पुस्तकें समय पर उपलब्ध नहीं होतीं

श्री निरंजननाथ आचार्य : ठीक नहीं है आपका कथन। पुस्तकें पर्याप्त मात्रा में समय पर मिलती हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि कुछ ऐसी किताबें बाजार में हो सकती हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हुए काफी समय हो गया और ये किताबें जिनके ऊपर लिखा हुआ है, 'मान्यता प्राप्त शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा' उनको भी चलते हुए काफी समय हो गया है। क्या आपके विभाग ने इस प्रकार की किताबों को प्रकाशित करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस तथ्य को प्रथम तो स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी समझ में ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी यदि ऐसा है तो आप प्रमाण उपस्थित करिये, मैं कोशिश करूगां कि इसको दूर कर सकूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मैंने एक दफा सुझाव दिया था कि राष्ट्रीयकरण के लिए यू. पी. की प्रणाली को अपनाया जाय। कवर छपवा कर दे दिये जायें और अन्दर का मैटर है वह स्वीकृत करवा कर अपना छपालें प्रकाशक। इससे आपको आमदनी भी होगी। मानलो जिए दो लाख कवर छपवा लिए, २५–२५ हजार दे दिये। वे लोग अपने आप किताबें छापेंगे। क्या इस ओर आपने कोई कार्यवाही की?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं आपका आशय समझ गया। मैंने उसी समय माननीय सदस्य से कहा था कि यू. पी. की प्रणाली क्या है, आप इसके लिए जानकारी करा सकते है तो करावें। सम्पूर्ण विवरण देने में आप अब तक नाकामयाब रहे। फिर भी यू. पी., पंजाब जहां जहां राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हुई हों उसके बारेमें आप अब भी विवरण दे दें। लेकिन आपको सम्पूर्ण ज्ञान नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर आपके सामने ऐसी पुस्तकें लाई जाय जिनके ऊपर यह लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाणित और वे चल रही हों तो आप यह आश्वासन देंगे कि आप सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि आप तथ्य रखें। यदि प्रश्न सदन में बिन पूछे ही कहें तो भी हमारा कर्तव्य है, संकल्प है उसको देखने का, लेकिन तथ्य सामने आने चाहिए।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऐसे तथ्य 'कालाबादलजी' और किसी माननीय सदस्य ने रखे थे, उनका क्या हुआ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : न आपने दिया, न 'कालाबादलजी' साहब ने दिया, किसी ने नहीं दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या आपके पास इस प्रकार के तथ्य नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

तहसील सरदारशहर के किसानों से वसूल किया गया तवान

८३. श्री रावतराम (सादूलपुर) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

Page No 5

(श्री रावतराम)

(१) क्या यह सही है कि तहसील सरदारशहर के किसानों से सम्वत् २०१८ व २०१६ में सरकार ने कोई तावान वसूल किया ? यदि हां, तो कितना तावान वसूल किया है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तावान लगान का १५ गुना वसूल किया गया है जो गैर कानूनी है ? यदि हां, तो लगान का कितना गुना तावान वसूल होना चाहिये था ?

(३) क्या यह सही है कि जिनसे यह तावान वसूल किया है उन्होंने आराजी राज जमीन का काश्त किया था और उन्हें भूमि अलोटमेन्ट कमेटी के नियमानुसार भूमि अलॉट की थी ? चूंकि पुराने एक्ट के आधार पर भूमि अलॉट की गई परन्तु बाद में नया एक्ट आने पर नये खसरों के नम्बरों के आधार पर तावान की तजवीज़ कर दी, क्या यह उचित था ?

(४) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में वहां की पंचायतों व पंचायत समिति ने सूचित किया था कि सम्बन्धित अधिकारी नाजायज़ तरीके से तावान वसूल कर रहे हैं अतः उन्हें रोका जाय ? इस पर सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों को आदेश भी जारी किये परन्तु सरकार के आदेश को पूर्णतः अवहेलना की गई ?

(५) क्या अनुसूचित रूप से वसूल किये गये तावान को सरकार वापिस किसानों को रिफंड करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जावेगा ? क्या सरकार इस गम्भीर मामले की जांच भी करवायेगी ।

(६) क्या यह सही है कि जिन लोगों से तावान वसूल किया गया गया है उनमें से अधिकतर अनुसूचित जाति के हैं ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां । यह सही है कि तहसीलदार सरदारशहर द्वारा उन किसानों से जिन्होंने अनाधिकृत कब्जा काश्त की भूमि पर किया उनसे सम्वत् २०१८ व २०१६ में तावान वसूल किया गया है जो क्रमशः सम्वत् २०१८ में रुपये ७,६५२ व सम्वत् २०१६ में रुपये ४३,८१३ वसूल हुए हैं ।

(२) जी हां । यह सही है कि सम्वत् २०१८ में १५ गुना तावान वसूल किया गया है जो राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १६५६ की धारा ६१ (२) के अनुसार १५ गुना की शरह से कायम किया है । उक्त शरह के अनुसार तहसीलदार को तावान वसूल करने का अधिकार होने से तहसील सरदारशहर में तावान वसूल किया गया है । राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १६५६ की धारा ६१ (२) में १५ गुना तावान की वसूली के प्रावधान का समावेश राजस्थान रेवेन्यू (अमेन्डमेन्ट) एक्ट, १६६१ (राजस्थान एक्ट संख्या १६ का १६६१) की धारा २ द्वारा किया गया है जो संशोधित एक्ट राजस्थान राजपत्र के दिनांक २२ मई, १६६१ के अंक में प्रकाशित किया गया गया था । सम्वत् २०१६ में आबादी जोहड़, पायतन व सार्वजनिक भूमि पर किये गये अनाधिकृत कब्जे के मामले में लगान ४ गुना की शरह से तथा शेष अनाधिकृत कब्जे वाली भूमि पर लगान के बराबर तावान कायम किया जाकर नियमानुसार वसूल किया गया ।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) जी नहीं। तावान केवल उन्हीं काश्तकारों से वसूल किया गया है जो राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज हुए व काश्त की थी सम्वत् २०१८ से २०१६ में सेटिलमेन्ट आपरेशन्स की समाप्ति के पश्चात् नये खसरा नम्बरान से ही भूमि अलॉट की गई थी।

(४) जी हां। इस विषय में जो आवेदन पंचायत समितियों ने प्रस्तुत किये थे उनके बारे में वास्तविक स्थिति की जांच के बाद स्थगन आदेश कर दिये गये थे और जिलाधीश को लिख दिया गया था कि राज्य सरकार द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार वसूली की जाय। इसमें राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वसूली नियमानुकूल की गई है।

(५) कुछ व्यक्तियों द्वारा सब डिवीज़नल ऑफिसर चूरू के कोर्ट में तावान वसूली के आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की हुई है। यदि फैसला उनके पक्ष में हुआ तो उनकी तावान की रकम रिफन्ड की उचित कार्यवाही की जावेगी।

(६) जी नहीं।

श्री रावतराम : क्या सरकार ने सम्वत् २०१७ में लगान वसूल नहीं करने के आदेश दिये थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : निगेटिव आदेश आदेश नहीं दिये गये।

श्री रावतराम : जिन लोगों ने गलत तौर से कब्जा कर रखा है उनसे तावान लिया गया, वहां लेन्ड अलॉटमेन्ट कमेटी बनी हुई है, उसी ने अलॉट की थी, जो सेटलमेन्ट हुआ उसी के मुताबिक उन्होंने तावान लिया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने नहीं लाई गई।

श्री रावतराम : आप जांच करवाइये। आपको जांच करने से पता चल जायगा। मैं इन्स्टान्सेज़ बताने को तैयार हूं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्पेसिफिक इन्स्टान्स बताने पर ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मजलिस खां।

बुनकरों की सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन

८४. श्री मजलिस खां (कामा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले के कस्बा कामां में बुनकरों के लगभग १०० परिवार हैं और उनकी आज तक सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ?

(२) यदि रजिस्ट्रेशन हो गया है तो कब और उस समिति को कितना लोन दिया जा चुका है ?

उप-मंत्री राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कस्बा कामां में बुनकर परिवारों की संख्या लगभग ४० है तथा उनकी एक समिति जिसका कि

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

नाम कस्बा कामां बुनकर उत्पादक सहकारी समिति लि० है पंजीकृत की जा चुकी है।

(२) उक्त समिति का पंजीयन वर्ष १९५५ में २६ नवम्बर को किया गया था। इस समिति को कोई ऋण नहीं दिया गया है इसका कारण समिति द्वारा मांग न किया जाना रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरफूल।

अनुसूचित जाति के किसानों को निर्माण कार्यों के लिए धनराशि

८५. हरफूल (खंडार) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति क्षेत्र सपोटरा तथा खण्डार में अनुसूचित जाति के किसानों को निर्माण कार्यो के लिए कितनी रकम तकाबी और कितनी रकम सहायता के रूप में वर्ष १९६१—६२ में दी गई ?

(२) क्या यह सही है कि ग्राम मडावरे की झौंपड़ी के हरिजनों को ५०० रु० देकर कुआं बनवाने का कार्य शुरू किया गया था और उसमें हरिजनों द्वारा २००० रु० लगा देने के बावजूद भी यह कुआ अभी तक अधूरा ही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस कुए को पूरा करवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) पंचायत समिति हण्डार द्वारा तकाबी के रूप में १,६७,००० रु० तथा ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माण कार्य के लिये ६,२२० रु० दिये गये। इसी प्रकार पंचायत समिति सपोटरा द्वारा ६२५ रु० सहायतार्थ व ३००० रु० ऋण के रूप में दिये गये।

(२) पंचायत समिति, सपोटरा द्वारा कुए के निर्माण के लिए १००० रु० की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें से ७५० रु० दिया जा चुका है। कुए का निमाण हो चुका है, ढाना अधूरा है। हिसाब प्राप्त होने पर २५० रु० की बाकी किश्त दे दी जाएगी जिससे कुए का कार्य पूरा हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

नावां में तहसील कार्यालय भवन

८६. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) नावां में तहसील कार्यालय कब से है तथा उसका आज तक सरकार ने बतौर भवन किराया कितना खर्चा उठाया है ?

(२) इस वक्त कितने रुपये माहावारी खर्च पर भवन व्यवस्था है ?

(३) जब से तहसील स्थापित हुई है किन-किन कारणों से कितनी बार भवन तब्दीली की गई है ?

(४) आज तक सरकारी भवन क्यों नहीं बनाया गया व अब सरकार कब तक भवन बनवाने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा):(१) २३ जून, १९४५ से स्थापित है। मकान किराये के रूप में २९,६१९ रु० ११ आ० खर्च उठाया है।

२. इस वक्त १५० रु० मासिक किराये पर भवन—व्यवस्था है।

Page No 8

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

३. दो बार भवन बदला गया है। इसका कारण यह है कि एकस्ट्रा मजिस्ट्रेट परबतसर का हैडक्वार्टर मारोठ से नावा स्थानान्तरित किया गया था, मुन्सिफ कोर्ट्स वर्तमान भवन में स्थानान्तरित किये गये थे अतः बड़े भवन की आवश्यकता थी।

४. भवन निर्माण योजना के अनुसार भवन बनाये जाते हैं। अभी तक नावां में भवन बनाने की योजना नहीं है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : क्या सरकार आवश्यकता महसूस नहीं करती है कि तहसील कार्यालय भवन बनाया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी तो सभी कार्य बन्द हैं।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह संकटकाल तो अब आया है, इससे पहले भी कभी विचार किया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विजयसिंह झाला

पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं के लिए नियमों में परिवर्तन

८७ **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राष्ट्रीकरण पाठ्य पुस्तक मंडल ने पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं के नियम में कुछ परिवर्तन किया है जिसके अनुसार वे पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें व चीजें नहीं बेच सकते ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस नियम के अनुसार पाठ्य पुस्तक विक्रेता एक विद्यार्थी को एक विषय की एक पुस्तक से अधिक नहीं दे सकता। यदि हां, तो क्या इस नियम से विद्यार्थियों को असुविधा नहीं होती ?

(३) क्या यह भी सही है कि इन नियमों के अनुसार पुस्तक विक्रेताओं को रजिस्टर रखना पड़ेगा जिसमें जो पाठ्य पुस्तकें बेचेगा उसकी एन्ट्री करना पड़ेगी।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : १. जी हां। राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के विक्रेताओं के लिए नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ताकि वे लोग बालकों से अनुचित लाभ न उठा सकें। राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के हित पंजीकृत विक्रेता विद्यार्थियों को अनावश्यक तथा अनाधिकृत पुस्तकें न बेचें, ऐसा भी एक नियम बनाया गया है। सभी अन्य पुस्तकों व साहित्य के बेचने पर कोई बन्धन नहीं है। निम्नांकित को अनावश्यक तथा अनधिकृत पुस्तकें माना गया है :

(१) किसी राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक की नकली प्रतिलिपि :

(२) कक्षा १ से ८ तक निर्धारित पाठ्य-क्रम के आधार पर लिखी कोई अन्य पुस्तक जो शिक्षा विभाग या राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त न होवे।

(३) राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों पर लिखे गये टिप्पणी (नोटस) या कुंजी।

२. जी नहीं। ऐसा कोई नियम नहीं है।

३. जी हां। उस रजिस्टर में प्रतिदिन में बेची गई राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों का हिसाब रखना होगा।

(श्री अध्यक्ष)

रखना होगा।

प्रश्न संख्या ८८

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन (अनुपस्थित)

अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें

८६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) महाराजा बालिका बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर के किन-किन अध्यापकों के विरुद्ध किस किस प्रकार की शिकायतें कब कब उपसंचालक जयपुर एवं राज्य सरकार के पास आईं और इन पर क्या कार्यवाहीकी गई ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसी स्कूल के संगीत अध्यापक, श्री लक्ष्मीनारायण को शराब पीकर स्कूल में आने की इजाजत उपसं-चालक, शिक्षा महोदय ने दी ? यदि हां तो किस कानून के अधीन ?

(३) इस स्कूल के अध्यापकों के विरुद्ध उप मंत्री, शिक्षा महोदय ने कब और क्या जांच की और क्या कार्यवाही की ?

(४) ऐसे और कितने अध्यापक हैं जिनको उप-संचालक, शिक्षा, जयपुर द्वारा इस प्रकार शराब पीकर स्कूल में पढ़ाने की इजाजत दी हुई है ?

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां। महाराजा बालिका बहुद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जयपुर के श्री लक्ष्मीनारायण तबला, अध्यापक के विरुद्ध सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ने दिनांक १५–१–६२ को अध्यापक के देर से आने के सम्बन्ध में शिकायत की थी। यह अध्यापक राजस्थान कला संस्थान में से इस विद्यालय में डेपूटेशन पर था, अतः यहां से इनका डेपूटेशन दिनांक १–२–६२ को समाप्त कर अपने नियुक्ति स्थान पर वापिस भेज दिया गया।

दूसरे श्री रूपचन्द शर्मा के विरुद्ध दिनांक १६–६–६२ को तीन तीन छात्राओं ने इनके व्यवहार के प्रति प्रधानाध्यापक को मौखिक शिकायत की थी। यह यहां पर तबला अध्यापक थे। इस पर छात्राओं से स्टेटमेन्ट लेकर प्रधान अध्यापिका के इस अध्यापक के सम्बन्ध में आवश्यक रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रस्तुत की। छात्राओं के स्टेटमेन्ट्स के अनुसार इस अध्यापक को अविलम्ब ३०–११–६२ से मौअत्तिल, कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में श्रीमती विमला शर्मा, उपनिरीक्षका शिक्षणालय जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है और उन्होंने जांच पूरी करके १४–८–६३ को उप-संचालक, जयपुर के पास भेज दी है।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां। दिनांक २०–६–६२ को उपशिक्षा मंत्री ने विद्यालय का दौरा किया और इस बारे में छात्राओं से कुछ जानकारी प्राप्त की। इस मामले में श्रीमती विमला शर्मा, उपनिरीक्षिका शिक्षणालय, जयपुर को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया है और उन्होंने जांच पूरी करके उप-संचालक के पास भेज दी है।

४. जी नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रिपोर्ट के आधार पर क्या तथ्य पाये गये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह रिपोर्ट अभी उप-संचालक के पास गई है, अभी अन्तिम रूप से रिपोर्ट पर निर्णय नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपके निरीक्षण के समय क्या यह भी तथ्य सामने आया कि उक्त अध्यापक शराब पीकर स्कूल में आता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा कोई तथ्य प्रगट नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर आपके निरीक्षण से कौन से तथ्य प्रगट हुए ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : साधारण से। जैसे अध्यापक पढ़ाता ठीक नहीं है, बैठा रहता है, या सो जाता है या उंघता रहता है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यापक विद्यालय में पढ़ाता नहीं, सोता रहता है, क्या आप इसे साधारण तथ्य समझते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो आपके दिमाग का साधारण तथ्य है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह बात नहीं थी कि ये अध्यापक शराब पीकर आते थे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ।

पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों के ग्रेड

१० श्री रामकिशन (बैर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पंचायत समितियों के अधीनस्थ अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड के अतिरिक्त और भी कोई ग्रेड देने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो भरतपुर जिले में ऐसे कितने अध्यापकों को मैट्रिक ग्रेड के अलावा और कोई ग्रेड मिल रहा है ?

उप-मंत्री शिक्षा, (श्री निरंजननाथ आचार्य): सरकार ने मैट्रिक, ट्रेन्ड मैट्रिक, इन्टर व ट्रेन्ड इन्टर वेतन शृंखलाओं को समाप्त करके इस सब के लिये १. ६. ६१ से तृतीय वेतन शृंखला ७५. ४. ६५- ५. १०५ ई, बी, ५. १३० ई, बी, ५.१६० बना दी है जो पंचायत समिति अध्यापकों को भी लागू हैं। अतः दूसरे किसी ग्रेड की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे पहले पंचायत समितियों में मैट्रिक की पोस्टों से ऊपर की पोस्टें नहीं थीं।

भरतपुर जिले में भी जो समितियों में अध्यापक हैं उनको भी इस ग्रेड में फिक्स किया जा रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अब तक कितने अध्यापकों को फिक्स अप किया इस ग्रेड में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह संख्या नहीं मालूम हो सकती। लेकिन आज्ञा जारी कर दी गई है इसलिये सभी फिक्स होनी चाहिये, आज्ञा के बाद।

Page No 11

श्री जगनारायण सीदोदियो : आज्ञा भी जारी हुई या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १४-१२-६२ को हुई है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): डिसेन्ट्रालइजेशन करते समय जो ऊंची ग्रेड के थे, बी. ए. ट्रेन्ड थे और 'एड' थे उनको जबर्दस्ती पंचायतों को हस्तान्तरित कर दिया; उनको इस वेतन-श्रृंखला से न्याय मिला है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य: यह, अध्यक्ष महोदय, जबर्दस्ती का कोई प्रश्न नहीं है, उनको ऑप्शन दिया गया था। जिन्होंने सरकारी पदों पर और शिक्षणालयों में आना स्वीकार किया उनको ले लिया। इसलिये जबर्दस्ती का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री मोहनराज (पाली) : इनकी राय जानी गई थी क्या कि वे पंचायत समिति में कार्य करना चाहते हैं या विभाग में; तो यह मैं पहले भी पूछ चुका हूं और उस पर आपका जवाब भी मिला था कि जहां तक पाली जिले का सवाल है वहां पर ऑप्शन इस तरह का टीचर्स को दिया गया या नहीं, इसकी पूरी जानकारी आपके पास नहीं थी, इस तरह का उत्तर आपने दिया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरह का ऑप्शन किसी भी अध्यापक को पाली जिले में नहीं दिया गया और उस वक्त के पंचायत समितियों के बी. ए. और इन्टर ट्रेन्ड अध्यापक थे उनको भी उन्हीं ग्रेड्स में रहना पड़ रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पाली और भरतपुर जिलों की एक सी दशा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : (सांचोर) जालौर जिले में भी यही हाल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं फिर अर्ज कर दूं। ऑप्शन का जहां तक प्रश्न है बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनको ऑप्शन देने पर भी वे शान्त रहे, मौन रहे, बोले नहीं। ऐसी स्थिति में अब प्रश्न उठाया जाय तो मुमकिन है शान्त रहने का प्रश्न मान लिया जाय। यह प्रश्न हो सकता है। पर पाली जिले की स्थिति क्या है, मैं यह अभी नहीं कह सकता, क्योंकि इस प्रश्न के अन्तर्गत यह नहीं आता।

दूसरा आपका प्रश्न यह है कि यह ग्रेड फलां जिले में दिया गया या नहीं, यह पंचायत समितियों के दायरे का प्रश्न है। जब राजस्थान पंचायत जिला परिषद् एवं पंचायत समिति सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा रिवाइज्ड पे स्केल १४। १२। ६२ को राज्य की आज्ञा द्वारा जारी कर दी गई तो उसके बाद अगर वह लागू नहीं हुई है तो यह बात जिला परिषदों से पूछी जाय कि क्यों नहीं लागू हुआ है। राज्य की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। फिर भी पूछताछ करके पाली जिले की बात बता सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी-बाजार, जयपुर) : जयपुर जिले में भी ऑप्शन नहीं दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऑप्शन का प्रश्न अब हमेशा के लिये सो गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऑप्शन दिया ही नहीं गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो मौन रहे ? अब तक, वे मान लिये गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मौन नहीं रहते तो क्या मौन रहने के बजाय बगावत खडी करनी चाहिये थी उनको ?

श्री अध्यक्ष : Crder please ! order !!

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह जानना........

(अध्यक्ष महोदय के बोलने के लिये खड़े होने के बाद भी बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष : जब तक आपको (श्रीजय–नारायण सालोदिया) आज्ञा न दी जावे तब तक न बोलें।

इनका इन्टीग्रेशन का प्रश्न चल रहा है, दो महीनों में सारा काम पूर्ण हो जावेगा। लिस्टें बन जावेंगी उनकी जिनको दिक्कतें हुई हैं ऑप्शन देने न देने मे। तो प्रश्न अभी तक तो यह है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल किया जावे और इसके सम्बन्ध में सरकार जागरूक है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ऑप्शन की समस्या तो समाप्ति कर दी है। जिन्होंने ऑप्शन प्राप्त किया और जिन्होंने नहीं किया उसका हल ही करने से सरकार इन्कार करती है। वह तो कहती है ऑप्शन को गया। ऑप्शन तो उनके हिसाब से हो गया। इससे बहुत से शिक्षक घाटे में रहे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न को आप ठीक तरह से समझें। ऑप्शन देने न देने से भी अब अन्तर नहीं पड़ने वाला है। आज वे पंचायत समितियों में हैं। प्रश्न तो मुख्य रूप से आज यह है कि उनको अच्छी से अच्छी ग्रेड में कैसे लिया जावे। तो इसके लिये हर जिले की जब तक एक इन्टीग्रेटेड सूची नहीं बनी तब तक वे ऊंची ग्रेड में नहीं लिये जा सकते और यह सूची बनाने का काम इस समय हो रहा है। तो इस तरह अब तो उनकी समस्या भविष्य के लिये हल करनी है। यह देखना है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ठीक है, साहब।

श्री अध्यक्ष। नेक्स्ट। श्री विजयसिंह झाला।

प्रश्न संख्या ६१

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्री झाला।

टोकन के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र

६२. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आर.टी.ओ. से जिस समय मोटर मालिक नये साल के टोकन लेते हैं उस समय सेल्स टैक्स ऑफिसर का क्लियरेंस सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है कि उनके जिम्मे आर. जी. पी. टी. बाकी नहीं है ?

Page No 13

श्री विजयसिंह झाला

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के आर. टी. ओ. ने बगैर इस सर्टिफिकेट के भी मोटर मालिकों को टोकन दे दिये हैं ?

(३) उदयपुर जिले में किस किस मोटर मालिकों में कितना आर. जी. पी. टी. बाकी है तथा किस साल से एवं कितनी कितनी रकम है ?

(४) सरकार ने इसकी वसूली के लिये क्या कदम उठाये ? क्या उनके टोकन रिन्यू हो गये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मैटीरियल जमा नहीं हो सका है इसलिये इसे अगली बार पूछ लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह ।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, इसे साल डेढ़ साल हो गया है, साहब और अभी तक भी केवल इसलिये रुका है कि जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं । और बहुत सी रकमें बाकी हैं । तो अब तक भी, इतने समय में भी जानकारी नहीं मिले, यह तो बड़ी खेद की बात है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनारायण ।

हरिजनों को कुओं के लिए सहायता

श्री शिवनारायण छाछिया (सूरजगढ़) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : क्या विकास एवं पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) विकास खण्ड बुहाजा, जिला झुंझुनूं को सन् १९६१।६२ और १९६२। ६३ में हरिजनों को कुओं की सहायता के लिये कितना धन कब कब दिया गया ?

(२) कुओं की सहायता के लिये कितने प्रार्थनापत्र हरिजनों से प्राप्त हुए और उन पर कब कब विचार किया गया ?

(३) सहायता की रकम कब कब विकास खण्ड को दी गई ? हरिजनों को यह सहायता देने की कब कब स्वीकृति दो गई और किस किसको कितनी कितनी रकम दी गई ? सूची रकम दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) मार्च १९६१ में ८,२०७) व फरवरी १९६३ में २,०००) रु०

(२) ३५ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए, जिन पर २७. १. ६२, १९. ३. ६२, २७. ६. ६२, २९. ११. ६२, ६. १. ६३, तथा २३. ३. ६३ को विचार किया गया ।

(३) सहायता की रकम मार्च, १९६१ व फरवरी, १९६३ में हस्तान्तरित की गई । कुओं के लिए दी गई रकम की सूची मय रकम देने की तारीख के सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री दलपतसिंह : सूची नहीं मिली, साहब ।

श्री अध्यक्ष : सूची आ गई है, आप नोटिस आफिस से ले लें ।

तहसील सिवाना के लम्बरदारों का भत्ता

६४. **श्री भगराज चौरी** (रानीवाड़ा) [श्री दलपतसिंह (आबू) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि तहसील सिवाना (जिला बाड़मेर) के लम्बरदारों को सम्बत् २०१५ से सम्बत् २०१६ तक का अपनी सेवाएं सरकार को देने के बदले में भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो इतनी देर होने का क्या कारण है ? अब बकाया भत्ता सरकार कब तक चुका देने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं । सम्वत् २०१५ से २०१८ तक का एक लम्बरदारी का भुगतान कर दिया गया है और सम्वत् २०१६ का भुगतान वसूली की समाप्ति (३० सितम्बर १९६३) के पश्चात् किया जा सकेगा ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि राज के दूसरे हिस्सों में भी लम्बरदारों का अलाउन्स नही दिया गया है पुराना ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : जिस साल के लिये पूछा है १५ से १६ तक दे दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ।

पढ़ाई का स्तर

६५ **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि स्कूल के बच्चों की पढ़ाई का स्तर नीचे गिरता जा रहा है ?

(२) यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

(३) पढ़ाई का स्तर फिर से ऊंचा उठाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) यह सत्य नहीं है कि स्कूलों में पढ़ाई का स्तर नीचे गिरा है, बल्कि मानसिक स्तर और ऊंचा उठ गया है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : मानसिक स्तर से आपका क्या अभिप्राय है और फिर इसका भी मापदण्ड क्या है आपके पास कि यह उठा या नहीं उठा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शैक्षणिक स्तर, अध्ययन करने की प्रगति और शक्ति और क्षमता, इन सबका टोटल मानसिक स्तर में आ जाता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : परसेन्टेज ऑफ रिजल्ट तो बराबर गिरता जा रहा है, फिर स्टेन्डर्ड ऑफ एजुकेशन कैसे नहीं गिर रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार ने इसका भी अनुमान लगाया है और वह यह है कि वह ऐसा नहीं गिर रहा है कि जिससे कहा जा सके कि मानसिक स्तर गिर गया है ।

Page No 15

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो अनुमान लगाया है वह कैसे लगाया, मुझे नहीं मालूम; पर मेरी यह मान्यता है कि ६० परसेन्ट रिज़ल्ट जहां पहले रहता था वहां वह अब २५ परसेन्ट ही रह गया है। इस बार रिज़ल्ट ऐसे ही आये हैं, आप टी. डी. सी. का, हायर सेकन्डरी का देख लीजिये।

(३ म. प.)

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह आंकड़े मैं बता सकता हूं, लेकिन प्रश्न नहीं है। अब कौन से हायर सेकन्डरी का पूछा या हाईस्कूल का पूछा; किसका पूछा जा रहा है ? आंकड़े प्राप्त हैं, लेकिन अभी इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (राजा खेड़ा) : लड़कों का डिसिप्लिन भी ऊंचा हो रहा है या गिर रहा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिसिप्लिन अधिकतर माता–पिताओं पर निर्भर करता है। आप अधिक सक्रिय रहें तो अच्छा रहेगा। वैसे एन० सी० सी० हमने इन्ट्रोड्यूस की है, फिज़िकल ट्रेनिंग सेन्टर चलते हैं, स्काउट्स के कार्य-क्रम चलते हैं, इसलिए डिसिप्लिन का स्तर, विश्वास है और प्रसन्नता है कि और ऊँचा बढ़ा है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यापक स्कूलों में सोते हैं, ये भी आपका स्तर ऊंचा करते हैं या नीचा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यापकों से आप दस्तन्दाजी करते होंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार।

गम्भीरी बांध के पेटा काश्त के लगान की दर

९६. **श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(१) गम्भीरी बान्ध के पेटा काश्त की लगान दर क्या है ?

(२) वार्षिक आय पेटा काश्त लगान कितनी है ? सन् १९६१–६२ में कितनी आमदनी लगान की हुई ?

(३) क्या ऐसे क्षेत्र पर तहसील निम्बाहेड़ा अपना अधिकार रखती है जहां कि पेटा काश्त होती है ? यदि हां, तो किस कानून के तहत ?

उप-मंत्री राजस्व, (श्री रामप्रसाद लड्ढा) (१) शरह किस्मवार की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) पेटे की भूमि डूब में आती है तब उसमें काश्त नहीं होती और जब डूब में नहीं आती उसी समय काश्त होती है, अतः इसकी मुस्तकिल आमदनी नहीं होकर घटती–बढ़ती है। ६ वर्ष के मतालबे की औसत ७६१५·७८ न०पै० है। सम्वत् २०१८ : १९६१–६२ का मतालबा १७०८·५६ व सम्वत् २०१७ के खसरे देर से स्वीकृत होने के कारण उनके ४९९२·९३; कुल योग ६७०१·५२ का डिमाण्ड कायम होकर इसमें से ४२९५·४२ न०पै० सम्वत् २०१८ में वसूल हुए वर्ष ५५२·५३ सम्वत २०१९ में वसूल होकर १९५३.५७ शेष है।

Page No 16

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

(३) यह क्षेत्र राजस्व का रेकॉर्ड में सिचाई विभाग (गम्भीरी बांध) के नाम पर दर्ज है जिसमे गैर मुस्तकिल मानी जाकर जितने रकबे में काश्त होती है उसका खसरा तहसील द्वारा बनाया जाता है। ऐसे खसरे लेण्ड रेवेन्यू : लेण्ड रेकार्ड रूल्स, सन् १६५७ के नियम ५८ के अन्तर्गत बनाये जाते हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो पेटे काश्त की बताई और यह जो पेटे काश्त की लगान आप लेते हैं और जो दरें आप मुकर्रर फरमाते हैं, वह कौन से कानून के तहत है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉटमेन्ट पेटे काश्त के रूल्स हैं, उसी के अन्तर्गत हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : यह अलॉटमेन्ट कमेटी के द्वारा हुआ है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके अलावा रूल्स हैं पेटे काश्त जमीन के, उसके अन्तर्गत तहसीलदार अलॉट करता है।

श्री अब्दुलजब्बार: यह पेटे काश्त की गम्भीरी बांध की जमीन है, यह आपके रूल्स में नहीं आती है और आपने कहा कि इसके लिए अलग रूल्स हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो पेटे काश्त की जमीन है उसके लिए अलग रूल्स हैं और ऑर्डिनरी जमीन के अलॉटमेन्ट १६५७ के रूल्स के अनुसार होते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : प्रश्न यह है कि ये जो लगान की दरें बताई हैं कि ६ रु०, ७ रु० और ८ रु०; तो ये दरें कैसी हैं ? पट्टा काश्त जो है उस जमीन को कहते हैं जो सबमर्ज लैंड होती है। तो इसमें चाही और बारानी जमीन का कहां सवाल रहता है ? यह पट्टा काश्त की जमीन की जात ही अलग हो जाती है। फिर चाही और बारानी करके क्यों लगान लगाया जाता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पट्टे काश्त की जमीन को अलॉट करने के जो नियम हैं उनके अन्तर्गत रेंट रेट्स मुकर्रर करने का अधिकार सरकार को है और उसमें यह लिखा हुआ है कि जहां पर सैंकशन्ड रेंट रेट्स हैं वहां पर सैंकशन्ड रेंट रेट्स वसूल की जायें उस जमीन की कि जो जमीन पहले खेती के काम में आती थी और अब वह पट्टे में आ गई है और जहां सैंकशन्ड रेंट रेट्स नहीं है वहां पर आसपास की भूमि को जो रेंट रेट्स हैं उनके हिसाब से वसूल किया जाये। इस वजह से नियमों के अन्तर्गत जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सेटलमेन्ट की रेंट रेट्स जो थीं उनके अनुसार वसूल किया जा रहा है। आपकी दलील के सम्बन्ध में भी जानकारी करके कि उस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये, इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो फरमाया है प्रश्न ३ के उत्तर में कि यह जमीन गम्भीरी बांध नहरी खेतो में दर्ज है और सिर्फ राजस्व विभाग खसरा मेन्टेन करता है या खतौनी मेन्टेन करता है, तो ये उसको कैसे राइट्स पहुंच हैं ?

श्री राम प्रसाद लड्ढा : लेण्ड अलॉटमेन्ट रूल्स हैं उनका मुलाहिजा आप करेंगे तो आप को इसके बारे में जानकारी मिल सकती है।

Page No 17

श्री अब्दुलजब्बार : आपने कहा कि नाम खाते जैसे मेरे हैं और लगान लेते हैं और राजस्व विभाग केवल खसरा मेन्टेन करता है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सारी जमीन सरकारी है, व्यक्ति विशेष का नहीं है और हर साल एक फसल के लिए अलॉटमेन्ट करते हैं और उसका इन्द्राज लैंड रेकॉर्ड्स में जिस तरह से होता है उसी हिसाब से रेंट रेट्स के हिसाब से उसका लगान वसूल कर लेते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : जब इसका मुआवजा दिया जा चुका....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुआवजा दिया जा चुका है इसलिए यह जमीन सरकार की हो गयी।

श्री अब्दुलजब्बार : लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन यह कार्यवाही सारी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

सरकावास की सहकारी समिति के विरुद्ध बकाया की वसूली

६७. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) व श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकावास ग्राम, तहसील देवली, जिला टोंक में कोई सहकारी समिति है ? यदि हां, तो किस नाम से ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त सोसाइटी के नाम कोई बकाया है ? यदि हां, तो कितनी कितनी और कब से ?

(३) क्या यह सही है कि सरकार ने अभी तक उक्त बकाया की वसूली करने के कोई कदम उठाये हैं ? यदि नहीं उठाये, तो क्यों ?

(४) अब सरकार उक्त बकाया को वसूल करने के लिए क्या कदम उठा रही है और कब तक वसूली हो जायेगी ?

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, ग्राम सरकावास, तहसील देवली में प्रगतिशील श्रमिक संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि० है।

(२) हां, इस समिति पर कृषि विभाग तथा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक का मध्यकालीन ऋण व पंचायत समिति देवली को बकाया है जिसकी विगत निम्न प्रकार है :

(अ) समिति को दिनांक ३१-३-६० को कृषि विभाग से ट्रेक्टर खरीदने हेतु ८०००) रु० का ऋण जिलाधीश महोदय टोंक के कार्यालय से दिया गया था। इस ऋण की अदायगी किश्तों में (८ वर्ष) चुकानी है। जिसमें से अब तक केवल ३०००) रु० असल व ब्याज ६५८) रु० तहसील देवली में समिति द्वारा जमा किए जा चुके हैं और समिति पर एक किश्त उन्हालू की ५००) रु० असल व ब्याज के १३०) रु० देना बकाया है।

(ब) समिति को सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक टोंक से दिनांक ३१-३-६० को ११,०००) रु० का मध्यकालीन ऋण दिया गया था जिसका केवल मार्च ६३ तक का ब्याज बैंक में जमा हुआ है। मूल ११,०००) रु० अभी तक बकाया हैं जो अवधिपार हो चुके हैं।

श्री भीमसिंह :

(स) इसके अतिरिक्त समिति को पंचायत समिति देवली से ६० मन ८ सेर १२ छटांक बीज गेहूं, ५ बोरी खाद व ५ सेर दवाई अग्रासीन दी गई थी, जिसकी कीमत बकाया है।

(३) जी हां, सरकार द्वारा उक्त बकाया को वसूल करने की कार्यवाही जारी है। ट्रेक्टर की किश्त जमा कराने हेतु तहसील देवली से समिति को नोटिस दिए गए हैं। मध्यकालीन ऋण बैंक को वसूली हेतु समिति के नादेहन्दगान सदस्यों को नोटिस दिए जा चुके है। वसूली की कार्यवाही चल रही है। पंचायत समिति देवली द्वारा जो बीज, खाद दवाइयां दी गई थीं उसकी वसूली की कार्यवाही पंचायत समिति देवली द्वारा की जा रही है।

(४) समिति के नादेहन्दगान सदस्यों को मध्यकालीन ऋण की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस दिए जा चुके हैं। शीघ्र वसूलने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

हनुमानगढ़ के ईंटों के भट्टे

६८. श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (माण्डल): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.–

क्या यह सही है कि सन् १९६१-६२ में हनुमानगढ़ में ईंटों के भट्टे सरकार द्वारा पकाये गए और इन ईंटों को बेचा गया ? अगर हां, तो इस काम में कितने रुपयों का खर्चा हुआ और कितने रुपये ईंटों की बिक्री से प्राप्त हुए ? वर्ष के शेष में कितने रुपयों की ईंटें स्टॉक में रहीं ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री परसराम मदेरणा): जी हां। यह काम दिसम्बर सन् १९६१ से प्रारम्भ किया गया। ३१–३–६२ तक १४ लाख ईंटें बनाई गईं जिसमें ४५,८७२) रु० कुल खर्चा हुआ। दस लाख ईंटे बेची गई जिनसे ३६,७२५) रु० की आमदनी हुई और वर्ष के अन्त में ४ लाख ईंटें स्टॉक में रहीं; जिसकी औसतन कीमत १४६६०) रु० थी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि आपने कहा ४३,८७५ रुपये का खर्चा हुआ। यह कहीं भी दर्ज है, क्या आपके फाइनेन्स अकाउन्टस में या बजट में; किसी भी जगह इसको दर्ज किया है ? आपने अभी अकाउन्ट्स दिये हैं, बजट १९६३-६४ का दिया है, २५,७२५ रुपया खर्च हुआ है ऐसा बजट में है और ये ४३ हजार रुपये कहां से खर्च हुए ? कहीं तो इस रकम को बैठाया होगा ? इसका आप कहीं हिसाब भी रखते हैं कि इतनी हमारी ईंटें बिकीं या हिसाब आपके पास ही रहता है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो हैड है इसके लिए

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप बात दीजिए कि किस हैड में है ?

श्री परसराम मदेरणा : IV Brick Burning at Humangarh, under head 2· Department, mines Runing Expenses, subordinate to major head-36 Scientific Departments-a- Mines Department.

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: माइन्स डिपार्टमेन्ट में हनुमानगढ़ की ईंटों के नाम से है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह है ३६ सब-हैड; मेजर हैड इतना है।

Page No 19

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपके पास होगा, लेकिन यहां कहीं नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Order please

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय ६१-६२ के लेखा बजट में जो दिया हुआ है वह २५, ०००) दिया हुआ है और आप फर्मा रहे हैं कि ४३, ०००) खर्च हुए हैं; तो दोनों में सही कौन सा है ?

श्री परसराम मदेरणा : दोनों में से जो मैंने कहा है वह सही है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : फाइनेन्स एकाउन्ट्स में जो लिखा है वह गलत है ?

श्री परसराम मदेरणा : बजट में रखा गया होगा, पहले से ज्यादा खर्च हो गया हो और बाद में एप्रोप्रियेशन कर लिया गया हो । मैं दे रहा हूं ६२ के अन्त में मार्च तक जो खर्च हुआ है; वह ४३,०८०) नहीं, ४५,८७२) रु० है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो फाइनेन्स एकाउन्ट बना है इस साल का वह गलत है या जो आप कह रहे हैं वह गलत है ।

श्री अध्यक्ष : हर एक आइटम पर सदन में अधिक सूचना नहीं दी जा सकती । ऑडिट होता है तो ऑडिट ऑब्जेक्शन करेगा और सदन की पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी हरेक आइटम को आंकेगी कि किस सब–हैड में है और किसमें नहीं । सारा निराकरण यहां नहीं किया जाना चाहिये । जो जवाब दिया है उसमें आपत्ति हो तो पूछें ।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : सरकार को इस भट्टे में कितना मुनाफा हुआ ?

चकबन्दियों के समय सार्वजनिक स्थानों के लिए भूमि

६६. **श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि चकबन्दी करते समय गांव के सार्वजनिक स्थानों हेतु भूमि छोड़ने के आदेश हैं और उसके तहत पाली तहसील में बहुत से गांवों में भूमि छोड़ी गई है ? यदि हां, तो किन किन गांवों में किस किस कार्य हेतु भूमि कितनी कितनी छोड़ी गई है, उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांवों में वर्तमान चकबन्दी का कार्य चल रहा है उनमें सार्वजनिक कार्यों हेतु जमीन छोड़ना अधिकारियों ने बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो किस आदेश के तहत बन्द किया गया है यदि आदेश नहीं है ? तो ऐसा क्यों किया गया है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (१) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री तेजाराम गहलोत : आपने जो सूची दी है उसमें ३ और ४ पर जो गांव बताये हैं तो सिवाय कुछ गांवों को छोड़कर सारी लिस्ट में कहीं भी रास्ते के लिए जमीन नहीं है, स्कूल के लिए जमीन नहीं है, गोचर के लिए जमीन नहीं है; फिर किस आधार पर कहते हैं कि चकबन्दी वालों ने जमीन छोड़ी है और सरकार के ऐसे आदेश हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां पर चरागाह पहले से हैं वहां नये सिरे से चरागाह की जरूरत नहीं है, जहां रास्ते पहले से हैं वहां नए सिरे से छोड़ने की जरूरत नहीं हैं, इसलिए वही बातें बताई गई हैं जो कि छोड़ी गई हैं, नये सिरे से कन्सोलिडेशन में दी हैं। जहां की जमीन छोड़ी है वहां अगर आवश्यकता होती है तो छोड़ दी जाती है।

श्री तेजाराम गहलोत : तो क्या आप के कहने का मतलब यह है कि जिन गांवों में जमीनें नहीं छोड़ी गई हैं वहां रास्ता व गोचर के लिए पहले से जमीनें छोड़ी गई हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

सुरक्षा कोष में एकत्रित धन-राशि

१००. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान के राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अब तक कुल कितनी धन-राशि व सोना कहां-कहां से एकत्रित हुआ है। सूची सदन की मेज पर रखें ?

(२) इस राशि में से अब तक कुल कितनी धन-राशि केन्द्रीय सरकार को किस २ रूप में भेजी गई उसका विस्तृत ब्यौरा देने की कृपा करें ?

(३) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए कुल कितनी रसीदें छपीं ? कितनी कहां २ वितरित हुईं तथा अब तक कुल कितनी रसीदें कटीं ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया (१) अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में प्राप्त धन-राशि व सोने की जिलेवार विवरण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची 'क' में से केन्द्रीय सरकार को जो राशि भेजी गई है उसका ब्यौरा सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिए कुल ६०,००० किताबें (प्रति किताब में ५० रसीदें हैं। छपाई गईं। ये किताबें मुख्य मंत्री कार्यालय द्वारा जिन जिन पदाधिकारियों को धन-राशि एकत्रित करने को वितरित की गईं उसका ब्योरा सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दी गई है। इन रसीद की किताबों में से अब तक कुल कितनी रसीदें कटीं, यह पूरी जानकारी सम्बन्धित पदाधिकारियों से प्राप्त करनी पड़ेगी जिसमें समय लगेगा और सूचना प्राप्त होने तक वह सूचना भी पुरानी हो जायगी।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : इसकी सूची में जो रकम है वह २, २१,७३,६६०) रु०—यह तो रुपये के रूप में है, दूसरे जो ३,३८,६१६ ग्राम सोना है तो क्या यह सोना प्राप्त हुआ है इसका वैल्युऐशन कर लिया गया कि इसकी कीमत कितनी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: वैल्युएशन का सवाल नहीं आता क्योंकि जो सोना जितना भी इकट्ठा हुआ है उसी रूप के अन्दर बैंक के अन्दर जमा कर दिया जाता है। अलग से वैल्युएशन करने के लिए तय नहीं किया जाता है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बैंक में जमा किया जाता था तो उस समय ऐसे सोने को तोलकर वैल्युएशन करके दिया जाता था या वैसे ही, उतना ही दे दिया जाता था ?

श्री अध्यक्ष : रसीद सोने की ही मिलती थी, और ज्यादा नहीं मिलती थी।

श्री मुरलीधर व्यास : जो सोना इस प्रकार सोने के रूप में देते थे तो सारा सोना पूरे २६ केरट का गोल्ड है, १४ केरट का गोल्ड है या १८ कैरट का गोल्ड है– वह सीधा ही जाता था या वैल्युएशन कहीं होता था कि किसने कितना सोना दिया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वेल्युएशन का आधार नहीं था। जो सोना आता था उसी रूप में बैंक में जमा कर दिया जाता था। वेल्युएशन के अन्दर फर्क हो सकता है क्योंकि कोई किस प्रकार का बना हुआ है और कोई किस प्रकार का बना हुआ है, इसलिए यह नियम अखिल भारतीय आधार पर था कि जिस प्रकार सोना आये वह बैंक में जमा करवाया जाय और जहां जहां जिस जिस रूप में आया उसको गला कर गोल्ड की डली करके नहीं, बल्कि उसी शक्ल के अन्दर जमा कर दिया गया। और वेल्युएशन करने का तरीका नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या यह सही है कि जिस समय सोना इकट्ठा किया जाता था तो नियमानुसार जो व्यवस्था थी उसके अनुसार वेट नहीं लिया जाता था और केवल रसीद दे दी जाती थीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं आई है। आम तौर से वेट किया जाना चाहिए और पूरा खयाल रखा जाना चाहिए; इसकी डिटेल्ड इन्स्ट्रक्शन्स थीं।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस समय गंगा नगर में जो सोना लाया गया, तो तहसीलदार ... ने सोना लेकर देखा और कहा कि सोना कम है इसमें, यह पूरा शुद्ध नहीं है, तो तरीके से लाओ और वे फिर दुबारा लाये और दूसरा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है जब कसौटी पर कस कर लेते थे कि उसी आधार पर आये। तो क्या वेल्युएशन उसी आधार पर है या कम का है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कई लोगों ने इकट्ठा किया था और मौके पर लोग-बाग देते थे तो कसौटी वालों को साथ में रख कर नहीं चलते कि उसको कसे कि कितने वेल्युएशन का है; मगर जहां इस प्रकार की बात आ गई थी उसकी जानकारी करादी।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : खोटा कितना था?

श्री मुरलीधर व्यास : एक समिति थी जो सोने को देखकर लेती थी, उसमें स्वर्णकार भी थे।

श्री मोहनराज (बाली) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नकली और असली सोने के रूप में या अन्य चीजों के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जिन लोगों ने जो दिया, तो उनकी संख्या कितनी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग से प्रश्न है, मेरे पास उसकी सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

फालना व रानी उद्योग बस्तियों को जीवन बीमा निगम से ऋण

१०१ **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि फालना व रानी उद्योग बस्तियों को जीवन बीमा निगम ने ऋण देना स्वीकार किया है और सरकार की

ओर से गारन्टी देने में विलम्ब होने के कारण ही अभी तक ऋण का भुगतान नहीं हो गया है ?

(२) क्या सरकार इन उद्योग बस्तियों को पनपाने के लिए विद्युत की तरह जल वितरण योजना भी आवश्यक समझती है और यदि हां, तो क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और उसके कब तक प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां; फालना उद्योग मण्डल को गारन्टी देने की कार्यवाही विचाराधीन है।

रानी उद्योग बस्ती के बारे में संचालकों को अभी कलेक्टर पाली से वेल्युएशन सर्टीफिकेट पेश करना है।

(२) जी हां, फालना और रानी कस्बों को पाइप वाटर सप्लाई करने के लिए स्कीमें बनाई जा रही है। इन स्कीमों के अन्तर्गत वहां की उद्योग बस्तियों को भी पानी दिया जावेगा। स्कीमें तैयार हो जाने पर काम चालू कर दिया जावेगा।

बोरावड़ पंचायत का रेकॉर्ड और सामान

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बोरावड़ पंचायत का रेकॉर्ड एस० डी० एम० परबतसर ने सन् १९६२ में ताला तुड़वा कर अपने अधीन लेकर चार्ज सचिव ग्राम पंचायत को दिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या चीजें चार्ज में दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि सरपंच बोरावड़ ने जब चार्ज लिया तो उसमें बहुत सी चीजें नहीं थीं ? यदि हां, तो उसकी सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या यह सही है कि सरपंच ने जिलाधीश, नागौर को प्रार्थना-पत्र और तार द्वारा यह सूचित किया था कि एमर्जेन्सी के समय में रेडियो का होना अत्यन्त आवश्यक है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं।

(२) सरपंच बोरावड़ ने चार्ज लेने के बाद चीजों की सूची प्रस्तुत की। वह सदन की मेज पर रखदी गई है।

(३) जी हां, इसकी जांच की गई और श्री माधोराम सरपंच ही चीजों की कमी के लिए जिम्मेदार पाये गये।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिए)

श्री जेठमल बरबड़ : अध्यक्ष महोदय प्रश्न नं० १ का जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है बिल्कुल गलत है। एस० डी० ओ० परबतसर ने ग्राम पंचायत का ताला तुड़वाकर सेक्रेट्री, ग्राम–पंचायत को चार्ज दिया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ताला तुडवाया गया है, यह बात सही है; लेकिन एस० डी० परबतसर ने नहीं बल्कि सभी मेम्बरान ने थानेदार, परबतसर के सामने पंचायत का ताला तुड़वाकर पंचायत का कार्य चालू किया क्योंकि सरपंच और सचिव गोलकाण्ड में गिरफ्तार हो गये थे और सारी पंचायत का

Page No 23

काम बन्द पड़ा था। थानादार के रूबरू ताला तुड़वाया गया।

श्री जेठमल बरड़ : जिस समय ताला तोड़ा गया, क्या उस समय लिस्ट बनवाई गई थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई लिस्ट नहीं बनाई गई। पंचायत खुद ही काम करने करने वाली थी। पंचायत ने उप-सरपंच श्री रामप्रसाद को सरपंच चुन लिया।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : सरपंच प्रधान है, तो सरपंच तो माधोराम ही था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रामप्रसाद की सर्वसम्मति से सरपंच नियुक्त किया था

श्री मोतीलाल चौधरी : सरपंच माधोराम ने जेल से आकर कोई सूची दी है व सूची पेश की है और उसमें उन्होंने कहा है कि इतनी चीजें एस० डी० ओ० ने ताला तोड़ा और उस समय के बीच में गायब हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नहीं।

श्री मोतीलाल चौधरी : किसने इन्क्वायरी की ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसीलदार ने।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या यह सही है कि एस० डी० ओ० के खिलाफ कम्प्लेन्ट है उसकी इन्क्वायरी कलेक्टर से करवाने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एस० डी० ओ० के खिलाफ कम्प्लेन्ट नही है। एस० डी० ओ० के सामने ताला तुड़वाया गया ही नहीं है, तो इन्क्वायरी किस बात की करवाई जाय।

श्री मोतीलाल चौधरी : एस० डी० ओ० द्वारा ताला तोड़ा गया है, यह कम्प्लेन्ट सही है। क्या सरकार कलेक्टर द्वारा उसकी एन्क्वायरी कराने को तैयार है और अगर सही मिले तो एस० डी० ओ० के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं उत्तर दे चुका हूं।

श्री मोतीलाल चौधरी : एस. डी. ओ. पर....

श्री अध्यक्ष : Order please ! ताला तोड़ना स्वीकार करते हैं तो इसमें इन्क्वायरी की क्या बात है ?

श्री मोतीलाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जिस समय ताला तोड़ा उस समय लिस्ट बनी नहीं। उसके बाद जिस समय माधोराम को चार्ज दिया उस समय उसने बताया कि यह कमी है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दरअसल में यह जो कमी की बात कहते हैं, जिस समय माधोराम को सचिव से चार्ज दिलाया गया और उसने चार्ज संभाला उसके काफी अर्से बाद २२.१२.६२ को उसने कहा कि ये चीजें कम हैं। यदि ये चीजें कम थीं तो जिस समय वास्तव में उसको चार्ज दिया गया उस समय कहना चाहिये था कि ये चीजें कम हैं।

श्री अध्यक्ष : और तो सब ठीक है, लेकिन ताला तोड़ा गया यह एक्सेप्शनल चीज है, उस समय फहरिस्त बनानी चाहिये थी कि क्या क्या चीजें है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्योंकि पंचायत के मेम्बर्स वहां पर मौजूद थे और तहसीलदार के रूबरू ताला तोड़ कर काम संभलाया गया इसलिये फहरिस्त नहीं बनाई। फहरिस्त तजबीज कर पाते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कुमारानंद।

श्री मोतीलाल चौधरी : क्या ताला तोड़ने से पहले सरकार से आदेश प्राप्त किया गया था ?

श्री अध्यक्ष : श्री कुमारानंद।

पंचायतों के अधीन शिक्षकों को नयी वेतन शृंखला

श्री कुमारानंद (ब्यावर) : क्या शिक्षा मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि १ सितम्बर, १९६१ से लागू किये जाने वाले नये पे स्केलस पंचायतों के शिक्षकों पर अभी तक लागू नहीं किये गये हैं ?

(२) यदि नहीं, तो अब तक क्यों नहीं किये गये ?

(३) क्या नये पे स्केलों की घोषणा तीसरे आम चुनाव के कुछ माह पूर्व ही की गई थी ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) १ सितम्बर, १९६१ से लागू किये जाने वाले पे स्केलस पंचायतों के शिक्षकों पर भी लागू होने की आज्ञा प्रसारित कर दी गई है।

(२) नये पे स्केलस लागू करने की आज्ञा प्रसारित कर दी गई है।

(३) लगभग ५ माह पूर्व।

श्री कुमारानंद : जो १ सितम्बर, ६१ से देने वाले थे वह कब से लागू किया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : Not audible, Sir. आवाज नहीं आ रही है।

श्री कुमारानंद : मैंने जो प्रश्न पूछा उसके नं. (२) का जबाब फिर दे दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नये पे स्केलस लागू करने की आज्ञा प्रसारित कर दी गई है।

श्री कुमारानंद : कब से आज्ञा जारी की गई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : २४.११.६२ को आज्ञा प्रसारित की गई है।

श्री कुमारानंद : बाकी लोगों के लिये १ सितम्बर, ६१ से लागू किया गया था तो उन अध्यापकों के लिये इतनी देर से लागू करने का क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सिविल सर्विसेज के लिये १ सितम्बर, १९६१ से लागू किया गया था, लेकिन पंचायतों और पंचायत समितियों व जिला परिषद् की सर्विसेज के लिये लागू करने के लिये जिला परिषद् सर्विस कमीशन के माध्यम से लागू करना पड़ता है। हमने अपने माध्यम से तो लागू कर दिया, लेकिन जिला परिषद् के पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से लागू करने के कारण देरी हो गई होगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ये पे स्केलस पंचायत समितियों के अध्यापकों पर कब से लागू हुए ?

Page No 25

श्री निरंजननाथ आचार्य : २४-११-६२ को आज्ञा प्रसारित कर दी गई और उसी वक्त से लागू मान लेना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : बाकी कर्मचारियों के लिये १ सितम्बर, ६१ से लागू किया गया और पंचायत समितियों के अध्यापकों पर बाद में लागू किया गया इसमें अंतर क्यों रखा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अंतर का नहीं कह सकता, लेकिन अंतर कुछ है। मैं छानबीन कर सकता हूं कि अंतर क्या है; लेकिन अंतर क्यों रखा गया यह अभी नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : इन अध्यापकों पर नयी पे स्केल्स लागू करने में आपके विभाग में देरी हुई है या सरकार की नीति थी कि इन पर ये पे स्केल्स बाद में लागू की जायं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे ऐसा लगाता है कि रिवाइज्ड पे स्केल्स पंचायत सर्विस कमीशन के माध्यम से लागू हो सकने के कारण देरी हुई, राज्य सरकार की ओर से देरी नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार की मंशा थी कि बाकी लोगों के समकक्ष ही इन पर लागू की जाय लेकिन आपकी व्यवस्था के कारण देरी हुई और इसमें एक साल का अर्सा लग गया, क्या यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : In exercise of the powers conferred under section 31 of the Rajasthan Panchayat Samiti and Jila Parishad Act, 1959; इसके अन्तर्गत These rules will come into force with immediate effect, इसके अन्तर्गत हल हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि पहले आपने जो सूचना दी वह सही नहीं थी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हो सकता है, थोड़ा बहुत।

ग्राम ईड़वा के गांवाई कुएं के निमित्त धन-राशि

१०४. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(१) ग्राम ईड़वा, तहसील डेगाना के गांवाई कुंए के निमित्त सन् १९५७ से १९६३ मार्च तक कुल कितनी रकम दी गई है ?

(२) कितनी रकम कुए पर लगाई गई ? क्या यह सही है कि सम्बन्धित सरपंच ने रकम का गबन भी किया है ? यदि हां, तो कितना ? क्या इसकी जानकारी राज्य सरकार को है।

(३) सरपंच के खिलाफ ईड़वा की जनता की कितनी शिकायतें आई व अब तक उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री, विकास (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कुल ५००) रु०

(२) कुंए पर कोई रकम खर्च नहीं की गई तथा सरपंच से ब्याज सहित पूरी रकम वसूल करने की कार्यवाही चालू है।

(३) सरपंच के विरुद्ध गांव वालों की ओर से एक शिकायत प्राप्त होने पर जांच

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
करवाई गई। जांच के फलस्वरूप उन्हें धारा १७ (४) राजस्थान पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिया गया। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों का उनके द्वारा खंडन करने पर पुनः विस्तृत जांच किये जाने के लिए उप-जिला विकास अधिकारी, नागौर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है व विचाराधीन है।

श्रीमती गौरी पूनिया : रिपोर्ट कब प्राप्त हुई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी कुछ दिन पहले।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है कि कुए के लिए रुपये दिये गये और वे लगे नहीं, जांच की रिपोर्ट आ गई अब उस पर विचार करने की क्या बात है ? निर्णय क्यों नहीं किया जाता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से जो उसके खिलाफ आरोप लगाया है वह साबित है। उस पर कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है। जल्दी ही उस पर एक्शन लिया जायगा।

बिक्री कर की दर

१०५. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या १४ कैरेट सोने के गहनों पर सेल्स टेक्स की रेट वही २ परसेन्ट होगी।

वित्त मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : जी हां।

तहसील सांचोर में किया गया जुर्माना

१०६. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ९१ के तहत पिछले दो सालों में जितना जुर्माना किया गया है उतना जुर्माना पिछले १० सालों में इस तहसील में कभी नहीं किया गया था ? अगर हां, तो ऐसा करने के क्या क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर में यह जुर्माना सिर्फ गिरदावरी के आधार पर किया गया है ? अगर हां, तो क्या गश्त गिरदावरी ही इस बारे में कन्क्लयुजिव प्रूफ है ? अगर नहीं, तो सरकार ऐसे फैसलों के बारे में क्या निर्णय लेने का विचार रखती है ताकि काश्तकारों को कुछ रिलीफ दिया जा सके ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ. ३(४८) राज। ख। ६२ दिनांक ९.३.६० के प्रचलित होने पर समस्त राजस्थान में अनधिकृत कब्जों के सम्बन्ध में विशेष रूप से एक अभियान जारी किया गया था और उसी कारण भूमि पर नाजायज कब्जा करने वालों की संख्या अधिक पाये जाने पर जुर्माने भी अधिक हुए।

(२) केवल गिरदावरी के आधार पर ही कोई जुर्माना नहीं किया गया। गिरदावरी के आधार पर नाजायज कब्जों का पता लगने पर उनकी मौके पर जाँच की जाती है। तत्पश्चात् राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

६१ उप-धारा (३) के मुताबिक कार्यवाही करके जुर्माना कायम किया जाता है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न नं० (२) है उसका जवाब आया है कि सिर्फ गिरदावरी के बेसिस पर जुर्माने नहीं किये हैं । मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ६० परसेन्ट जुर्माने सिर्फ गिरदावरी की बेसिस पर किये गये हैं । क्या आप इसकी इन्क्वायरी कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १० जनवरी, ६३ को इस प्रकार का सक्यूंलर सभी कलेक्टर्स के पास भेजा गया है उसमें भी यह आदेश दिया गया है कि केवल गिरदावरी के आधार पर जुर्माने नहीं किये जावें; लेकिन दफा २३ के तहत पार्टीज़ को जो ट्रेस्पासर्स हैं उनको नोटिस दिया जाना चाहिये और उनको सुनने के बाद जुर्माना किया जाना चाहिये; इस प्रकार के आदेश जारी किये गये हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो जुर्माने वसूल किये गये हैं वे इस सक्यूंलर के विपरीत हैं जिसका कि हवाला आपने दिया है; इसके बावजूद भी अगर केवल गिरदावरी के आधार पर जुर्माने किये हैं तो क्या आप उनकी जांच करवा कर वापिस करायेंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह हाइपोथेटिकल प्रश्न है । हमने जो आदेश दिया है उसके विपरित लेने के कोई स्पेसिफिक केसेज आयेंगे तो उनके बारे में जानकारी करेंगे ।

(प्रश्न संख्या १०७)

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा

(अनुपस्थित)

श्री भानुप्रसाद ।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा का इम्पोरटेन्ट प्रश्न हैं, गबन का मामला है इसको ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आगे भी अच्छे आ रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : सब प्रश्न समाप्त होने के पश्चात् समय रहा तो इसको भी लेंगे । श्री भानुप्रसाद ।

खोराबीसल ग्राम की सहकारी समिति

१०८ **श्री भानुप्रसाद कराड़िया** (चौमू) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(१) तहसील आमेर में खोरा बीसल नाम का ग्राम है ? वह जयपुर से कितनी दूर है ?

(२) क्या इस ग्राम में कोई कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है ? यदि हां, तो वह रजिस्टर्ड कब हुई थी और अब तक इसको कितना कितना लोन व सहायता दी गई है ?

(३) इसके कुल कितने सदस्य हैं और किस जाति के तथा इसका एक शेयर कितने रुपयों का है ?

उप-मंत्री, सहकारिता (श्री भीमसिंह) :

(१) तहसील आमेर में खोरा बीसल ग्राम है वह जयपुर से ६ मील दूर है ।

(२) हां, उस गांव में एक गृह निर्माण सहकारी समिति है जिसका पंजीयन १०-६-६० को हुआ था । इस समिति को कोई ऋण व सहायता नहीं दी गई है ?

(श्री भीमसिंह)

(३) इसमें ३१ सदस्य हैं, जिनमें से ३ कुम्हार व शेष रेगर जाति के हैं। इस समिति में हिस्से की कीमत ५०) रु. है।

श्री भानुप्रसाद कराड़िया : आगे के लिये कोई लोन या सहायता देने की योजना है सरकार की ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) इस संबंध में ऋण किसके द्वारा दिये जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : पहले सवाल का उत्तर देने दीजिए, शांत रहें।

श्री भीमसिंह : ऐसी सोसाइटीज को ऋण हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत दिया जाता है, कोआॅपरेटिव से नहीं दिया जा सकता। बिल्डिग एण्ड लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम से दिया जाता है।

श्री भानु प्रसाद कराड़िया : उनको सहायता क्यों नहीं मिली, जबकि फॉर्म भर कर दिये थे ?

श्री भीमसिंह : मैंने निवेदन किया कि यह बिल्डिंग सोसाइटी है। इसको लोन्स एंड लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग एंड बिल्डिंग स्कीम है उसके तहत दिया जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : कोआॅपरेटिव विभाग से इस स्कीम के तहत उस कोआॅपरेटिव सोसाइटी को रुपया दिला की कोशिश की गई है ?

श्री भीमसिंह : वह अगर इस स्कीम के तहत आ जाती और है उसने फार्म वगैरह भरे होंगे तो अवश्य मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

तालाब व एनीकट के लिए रकम

श्री विट्ठल (बांसवाडा) क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला बांसवाडा के पंचायत समिति पीपलखूंट क्षेत्र में सन् १९६० से १९–६३ तक तालाव व एनीकट बांधने का कितनी रकम का प्रावधान था ?

(२) अब तक कितने तालाब व एनीकट किन किन गांवों में बने और यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, विकास (श्रीरामप्रसाद लड्ढा) अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है अभी तक।

श्री अध्यक्ष: श्योपतसिंह

पीलीबंगा क्रय-विक्रय सहकारी समिति का ऑडिट

११० **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) पीलीबंगा क्रय-विक्रय सहकारी समिति का ऑडिट कब कब हुआ है ? कृपया रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखी जायें।

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त ऑडिट रिपोर्ट्स में हजारों रुपयों का गबन बताया गया है ? यदि हां, तो आज तक सर–कार ने इन रिपोर्ट्स पर क्या कार्यवाही की है ?

उप-मन्त्री सहकारिता (श्री भीमसिंह) (१) पीलीबंगा क्रय विक्रय....

श्री श्योपतसिंह : मुझे प्रति भी नहीं मिली है साहब इसकी।

श्री भीमसिंह् : पीलीबंगा क्रय विक्रय सहकारी समिति का ऑडिट निम्न प्रकार हुआ है :—

१९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९, १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२।

(२) ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्टतया गबन किया हुआ दिखाई नहीं देता है। गबन के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौंहरी बाजार, जयपुर) : स्पष्टतया नहीं है तो क्या छिपा हुआ दिखाई देता है।

श्री भीमसिंह् : इर्रेगुलेरिटीज वगैरह हैं। प्राइमाफेसी गबन नहीं मालूम होता।

श्री श्योपतसिंह् : जब तक मुझे कॉपी नहीं दी जाती तब तक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। आप यह बता दें कि अस्पष्ट इर्रेगुलेरिटी कौन कौन सी हैं और किस किस ने कौन कौनसी की हैं ?

श्री भीमसिंह् : इर्रेगुलेरिटी और मिस-एप्रोप्रियेशन में फर्क है। मैंने अर्ज किया कि जो शिकायतें हैं उनमें स्पष्टतया कुछ इर्रेगुलेरिटीज् हैं। गबन और अनियमितताओं में अन्तर रहता है।

श्री श्योपतसिंह : अनियमितता कौन कौन सी हैं ?

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) १९५६-५७ में ऑडिट हुआ था, उसमें भी

श्री भीमसिंह् : छोटी छोटी अनियमितताएं हैं।

श्री भैरोंसिंह् : १९५६-५७ की छोटी छोटी अनियमितताओं के लिए क्या एक्शन लिये ?

श्री भीमसिंह् : उनको हिदायत दी गई है। डिप्टी डाइरेक्टर को डिटेल्ड इन्क्वायरी के लिए कहा गया है ? जो अनियमिततायें हैं उनके लिए ताकि आगे न हों; एक्स्प्लेनेशन मांगा गया है।

श्री भैरोंसिंह् : १९५६-५७ की अनियमितताओं के लिए एक्स्लेनेशन आज कॉल किये गये, इसका क्या औचित्य है ?

श्री भीमसिंह : आज नहीं, जब जब कोई चीज सामने आई तब किया है।

श्री भैरोंसिंह : १९५६-५७ के अनियमितताओं के मामले अभी तक निर्णय नहीं कर पाये; क्या एक्शन लिए, क्या हिदायतें दीं और किस पर क्या एक्शन लिए गये ?

श्री भीमसिंह् : अनेक अनियमितताओं के लिए हिदायतें दे दी गई हैं। उसके बाद जो जो सामने आयेंगे तो एक्शन होगा।

श्री श्योपतसिंह : ऐसी कौनसे साल की ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें अनियमिततायें नहीं की गई हैं ? १९५६ से १९६२ तक ऐसी कौनसी साल की ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें अनियमितता नहीं की गई है ? निश्चित बताइये।

श्री भीमसिंह : आपने गबन के बारे में पूछा है। अनियमितताओं के बारे में जानना चाहेंगे तो डिटेल्स बाद में दे सकूंगा।

श्री श्योपतसिंह : वे कौन कौनसी अनियमितता है यह बताने का कष्ट करें ? किस किस ने यह की है, यह भी बतायें ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

कुम्हेर पंचायत समिति में अनियमितताएं

१११ **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर)–क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि कुम्हेर पंचायत समिति में नये चुनाव के बाद सात स्थायी समितियों का निर्माण हुआ था ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त चुनाव के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज के यहां इलेक्शन पिटिशन पेंडिंग होने पर भी प्रधान, पंचायत समिति कुम्हेर ने पंचायत समिति के एक प्रस्ताव द्वारा स्थायी समितियों को भंग कर दिया तथा सात की जगह पांच स्थायी समितियों का निर्माण किया ?

(३) क्या यह सही है कि प्रधान ने पुनः इन पांच स्थायी समितियों में से न्याय स्थायी समिति को भंग करने का प्रस्ताव पंचायत समिति से करा कर उसे भंग घोषित कर दिया ?

(४) क्या यह सही है कि न्याय स्थाई समिति को भंग करने के पंचायत समिति के प्रस्ताव को सरकार द्वारा अवैध करार दिया गया ? क्या पहली सात स्थायी समितियों को भंग करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सही है कि पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा १८ में संशोधन हो जाने के बाद और रिक्त स्थान हुए पांच माह निकल जाने के बाद भी सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के सहवरण का चुनाव प्रधान ने ही कराया और उसमें ६ मनोनयन पत्रों में से पांच को खारिज कर दिया ? क्या यह सही है कि इस विषय में पंचायत समिति, कुम्हेर के करीब १६ या १७ सदस्यों ने जिलाधीश को नियमानुसार चुनाव कराने का आवेदन-पत्र दिया था फिर भी जिलाधीश ने उस पर कार्यवाही नहीं की ?

(६) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के १७ सदस्यों ने राज्य सरकार को पंचायत समिति, कुम्हेर के प्रधान की अनियमितताओं एव अवैधानिकताओं की जांच करने का आवेदन पत्र दिया है ? यदि हां, तो आवेदन-पत्र कब दिया गया था और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-मन्त्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसका भी जवाब नहीं आया है ।

श्री नत्थीसिंह : सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कह

श्री अध्यक्ष : अनियमितता का उत्तर आज नहीं ।

श्री नत्थीसिंह : यह प्रश्न पहले भी दिया है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) यह आयेगा नहीं । यहां दिल्ली के टेलीफोन के आधार पर जवाब तैयार होते हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज्। माननीय सदस्य कृपया गम्भीरता से बात करें। दिल्ली का कोई भी उल्लेख इस सदन में नहीं होना चाहिए। जो तथ्य हैं उनके आधार पर या उनके सपोर्ट में कोई बात कहनी हो वह बात कहें तो ठीक होगा।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर कब आयेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It will be replied on the next turn.

श्री नत्थीसिंह : कब ? सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न पर। मन्त्री महोदय की अगली टर्न पर। श्री जुझारसिंह।

मध्य प्रदेश की भैंसोंदा मंडी का राजस्थान में विलय का प्रश्न

११२ **श्री जुझारसिंह** : (चेचट) क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या मध्य प्रदेश की भैंसोंदा मंडी को राजस्थान में मिलाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां, तो अब तक इस प्रश्न पर निर्णय नहीं ले सकने का क्या कारण है ? और कब तक यह प्रश्न तय हो जाने की सम्भावना है ?

-मंत्री सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदरेणा) :(१) जी हां।

(२) निर्णय अभी तक न हो सकने का कारण यह है कि मध्य प्रदेश सरकार की अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई। उनकी अनुमति मिलने के बाद यथाशीघ्र यह प्रश्न तय हो जावेगा।

श्री जुझारसिंह : राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई, क्या इसको बता सकेंगे ?

श्री परसराम मदरेणा : राजस्थान सरकार २१-७-५८ से लेकर और पिछले महीने की २३ तारीख तक बराबर कोरेस्प्रोन्डेन्स में मध्य प्रदेश सरकार से है। कई दफा खत लिखे हैं और पहले रिक्वेस्ट की थी कि जो ४२५ बीघा ११ विश्वा है उसको ट्रान्सफर कर दिया जाय। इसकी ऐवज में जमीन देना हम पसन्द नहीं करेंगे। उसका जवाब दिया कि आपने गांधी सागर की जमीन दी थी वह मानी नहीं है। इसके बाद कोरेस्पोन्डेन्स चलती रही। फिर केबिनेट के सामने यह मामला गया और उसमें यह एक्सेप्ट किया। उसके बाद उनको जमीन देने के बारे में लिखा गया है लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं आया है। लास्ट रिमाइन्डर हमने ६-७-६३ को दिया, जिसका उत्तर २७-७-६३ को जी. ए. डी. मंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने लिखा है कि यह मामला मध्य प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और वे जल्दी कोई निर्णय लेकर हमको कॉम्युनिकेट करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : भैंसोंदा मंडी के बारे में जल्दी निर्णय न लेने के क्या कारण है ?

श्री परसराम मदरेणा : यह तो मध्य प्रदेश सरकार जानती है कि जल्दी निर्णय क्यों नहीं लेती है हमारे निर्णय लेने का प्रश्न है।

Page No 32

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

विज्ञान व वाणिज्य विषय की कक्षाएं

११३ श्री हनुमानसिंह चौधरी : (नावां) क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मारोठ हायर सैकन्डरी स्कूल में विज्ञान व वाणिज्य विषय की कक्षायें कब से शुरू करने का इरादा है ?

(२) क्या इस स्कूल को सेन्ट्रल स्कूल बनाने की भी सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) (१) : मारोठ हायर सैकन्डरी स्कूल में विज्ञान कक्षा चालू करने के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। वाणिज्य विषय खोलने के लिये सत्र ६३–६४ में कोई प्रावधान नहीं है। जब भी ऐसा प्रावधान होगा तब इस स्कूल में भी वाणिज्य कक्षा चालू करने के प्रश्न पर दूसरे ऐसे ही स्कूलों के साथ साथ मेरिट के आधार पर विचार किया जायेगा।

(२) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मनोरंजन कर के भुगतान की छूट

११४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Will the Finance Minister please reply:—

1. How many notifications in all have been issued under section 7 (2) of the Rajasthan Entertainments Tax Act, 1957 exempting payment of tax under section 4 of the Act on the ground that either whole or a part of the proceeds shall be donated towards the National Defence Fund or Chief Minister's Defence Welfare Fund ?

2. Has the Department ascertained that in all these cases the proceeds have been donated to the said Funds ? If so, how much amount has been donated ?

3. Has the Government verified their statement of account ? If not, how can it be said that only that much amount was collected ?

4. If there would have been no such exemption, how much revenue would have been possibly collected in total ?

5. Is it a fact that orders for exemption have been passed much later than the performance or show ? If so, how the tax was not collected than and under whose authorite the same was suspended ? Does it not amount to a breach of the provisions of the Act and the rules made thereunder ?

6. Who is authorised under the Act to grant such exemptions ?

वित्त-मन्त्री (श्री बालकृष्ण कौल) : 1. Seven Notifications were issued from 30.11.62 to 18.12.62 List 'A' of these has been placed on the table of the House.

2. Yes, in a large number of cases. As a result there of a sum of Rs. 1,37,736.74 NP is so far been known to have been donated.

3. Government does not verify these things. The department is however doing so. Second part of the question, does not arise.

4. Rs. 45,427.45 N.P. approximately would have accrued as tax to Government on the amounts of donations so far known to have been made.

5. No. Notification was issued as early as 31-10-62 and it was further clarfied by another notification dated 30.11.62.

The question does not arise.

6. State Government.

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिस तारीख को इस प्रकार के कोई शोज़ ऑर्गेनाइज़ किये गये उस तारीख को नोटीफिकेशन एग्जेम्प्शन का नहीं निकाला गया था, लेकिन वह नोटीफिकेशन उसके बहुत दिन बाद निकाला गया ? अगर हां, तो उस समय शो पर टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : ऐसी खबर मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि राष्ट्रीय पूजा, जो बाल विकास समिति, उदयपुर ने ऑर्गेनाइज़ किया था वह जिस तारीख को ऑर्गेनाइज़ की थी उसी तारीख को एग्जेम्प्शन का नोटीफिकेशन निकल गया था ?

श्री बालकृष्ण कौल :कौनसा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rashtriya Puja Dance-Drama organised by Bal Vikas Samiti, Udaipur,

यह १९ व २० नवम्बर को डान्स ड्रामे का प्रोग्राम सुखाडियाजी के स्थान उदयपुर में बाल विकास समिति द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और नोटीफिकेशन उसके बाद में निकला। बाद में नोटीफिकेशन निकला तो जिस समय डान्स-ड्रामा हुआ उस समय टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल: नम्बर में निकाला गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १९ व २० को डान्स ड्रामा हुआ था।

श्री बालकृष्ण कौल: मैं आपका ध्यान एक नोटीफिकेशन की तरफ दिला देना चाहता हूं कि जो ३१ अक्टूबर, १९६२ को निकला। दूसरा ३० नवम्बर, ६२ का है उसके तहत यह एग्जेम्प्शन इनको मिल जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपकी खुद की लिस्ट में लिखा हुआ है, 'एफ ७ (१) ई एण्ड टी। ६२ तारीख ७–१२–६२। इसके अन्दर आइटम नं० २। इसके सामने नेशनल डिफेन्स फंड लिखा है। इसके आगे १०० परसेन्ट है। उसके आगे लिखा हुआ है:

Cultural programme organised by 2nd Rajasthan Bn. N.C.C. Udaipur on 25.11.62,

फिर लिखा हुआ है :Dance Drama 'Rashtriya Puja, organised by Bal-Vikas Samiti, Udaipur on 19th & 20th Nov. 62.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तीसरा लिखा है Cinema shows organised all over Rajasthan on 11th November, 1962.

इन सबके लिए १०० परसेन्ट एग्जेम्प्शन दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय पूजा का डान्स ड्रामा बाल विकास समिति, उदयपुर द्वारा १६ व २० को हुआ और नोटिफिकेशन आपका ६ दिसम्बर, १९६२ को हुआ; उसमें १००परसेन्ट एग्जेम्प्शन दिया है। तो जिस समय डान्स ड्रामा हुआ, उस समय आँथोरिटिज का टैक्स कलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं किया; तो क्या आपने प्रोवीजनल आडर्स दिये थे या चीफ मिनिस्टर साहब ने दिये थे, यह आप बतायें ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): कौनसा डान्स ड्रामा था ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): मुख्य मंत्रीजी के यहां का है इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने बताया कि नोटीफिकेशन निकला, उसमें इसके बारे में भी निकला।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: The whole question is this, जिस समय पर्फोर्मेन्स हो रहा है उस समय प्रिजम्प्शन कैसे मान लें ? आँथोरिटी ने कैसे मान लिया ? उन्होंने कैसे मान लिया ? Why did they exempt ? Why did they allow it at all ?

श्री अध्यक्ष : रक्षा कोष में जाना था पैसा, इसलिए मान लिया कि पैसा इस काम में आयेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रिजम्प्शन करके आँथोरिटी नहीं चल सकती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रश्न में क्या है, जो आप जोर जोर से सवाल कर रहे हैं ? इसमें दिक्कत क्या हुई ? यह ड्रामा सुरक्षा फंड के लिए हुआ।

श्री अध्यक्ष : आँर्डर आने में देरी हो गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मतलब क्या हुआ ? यह सुरक्षा फंड के लिए था। इसमें एन्टर्टेनमेंट टैक्स वसूल नहीं किया गया उस मौके पर। थोड़ी देर से आर्डर गया है तो इसमें दिक्कत क्या हुई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न इतना सा है कि राष्ट्रीय पूजा डान्स ड्रामा जो बाल विकास समिति उदयपुर द्वारा आयोजित १६, २० नवम्बर को हुआ, उसका नोटिफिकेशन एग्जेम्पशन का ७–१२–६२ को जारी किया गया। डान्स ड्रामा होने के १७ दिन बाद। तो मेरा प्रश्न यह है कि उनसे पहले टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं किया गया ?

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय सदस्य को इसमें गलतफहमी हो रही है। इसमें तो १०० प्रतिशत उसने डिनोट किया है। यह तो हमको दिया गया है।

श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल बोलने के लिए खड़े हुए

श्री अध्यक्ष : Order please !

कृपया आप यह बता दें कि क्या ऐसा आँर्डर था कि जो १०० प्रतिशत डिनोट करें उनसे टैक्स नहीं लिया जावे। सारे ही एन्टर-

(श्री अध्यक्ष)

टेनमेंट टैक्स से उन्हें मुक्त कर दिया गया था ?

श्री बालकृष्ण कौल : आदेश तो ८० परसेन्ट के थे लेकिन जिन्होंने १०० प्रतिशत दे दिया तो गवर्नमेंट ने उसके बाद में आॅर्डर निकाल दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी बताया कि १०० प्रतिशत दिया उसके बाद में आॅर्डर निकाल दिये तो मेला आॅरगेनाइज्ड बाई दी लेडीज आॅफ जयपुर नेशनल डिफेन्स फन्ड, उन्होंने भी १०० प्रतिशत दिया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहते हैं वह टेक्निकल बात है। कोई गंभीर बात नहीं है। उस तरह से आप सही हैं। अगर कोई लोग इस तरह के प्रोग्राम करें तो इस तरह से खींचा-तान करने की कोई जरूरत नहीं हैं। Atleast in this respect, we must be liberal when the malafides are quite clear.

(विराम)

नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न इस पर पूछना है। क्या जितनी रकम जमा होनी चाहिये थी वह जमा हो गई ? आपने कहा so far अभी तक कितनी रकम जमा हुई है ?

श्री बालकृष्ण कौल : अभी कुछ रकम बाकी है और पूरा हिसाब नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : कितनी रकम बाकी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Has the Government verified this account ? कि कितना उन्होंने जमा कराया है ? The question was, if not how can it be said that only that much amount was collected ? गवर्नमेंट ने कोई एकाउन्ट नहीं रखा। गवर्नमेंट का जवाब है Government does not verify these things. वेरिफिकेशन कितना किया ? आप कहते हैं कि सेन्ट परसेन्ट उन्होंने डिनोट कर दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने उत्तर दे दिया है। सरकार सामान्य तौर से जांच नहीं करती है, लेकिन इस मामले में कार्यवाही कर रही हैं कि रुपया जमा हुआ या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन वे कहते है कि गवर्नमेंट वेरीफाई नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामकिशन।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री मुकुटबिहारीलाल।

पंचायत समितियों के अध्यापक

११५. श्री रामकिशन (वैर) [श्रीमुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे !

क्या पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग में आने की प्रार्थना करने वाले अध्यापकों को शिक्षा विभाग में ले लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कितने अध्यापकों को भरतपुर जिले में पंचायत समि- तियों से शिक्षा विभाग में लिया गया है ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : राजस्थान पंचायत समिति एवं

(उप-मंत्री, श्री निरंजननाथ आचार्य)
जिला परिषद् सेवा नियम, १६५६ की धारा ५ के अनुसार जिन अध्यापकों ने निर्धारित समय में राज्य सेवा में रहने का ऑप्शन दिया था उन्हें वापिस शिक्षा विभाग में ले लिया गया। भरतपुर जिले में पंचायत समितियों से शिक्षा विभाग में आने के लिये केवल ४ अध्यापकों ने समय पर अपने ऑप्शन दिये थे। ये चारों ही राजकीय सेवा में ले लिये गये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : प्रश्न यह है कि उनको ऑप्शन तो कोई दिया नहीं गया। जबर्दस्ती उनको बांध दिया गया है। उनको डिपार्टमेंट से निकलने नहीं देते क्योंकि वे परमानेन्ट व्यक्ति हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न आपने पहले पूछ लिया था।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

फर्राशखाना, जयपुर।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) फर्राशखाना, जयपुर में कितने आदमी कहां कहां नौकर हैं और वे क्या क्या काम करते हैं ?

(२) फर्राशखाना, जयपुर के सामान की वर्ष में कितने मर्तबा देखभाल होती है ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) फर्राशखाना, जयपुर में २६ कर्मचारी हैं। ये सभी कर्मचारी फर्राशखाने जयपुर के कार्यालय में हैं। इनका कार्य सामान की देखरेख करना व सरकारी उत्सवों व अन्य अवसरों पर सरकार की आवश्यकतानुसार शामियाने, टेन्ट व कुर्सियां आदि लगाना इत्यादि है।

(२) वर्ष में एक बार इसकी देखभाल होती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ढाबरिया।

भीलवाड़ा को भवन निर्माण सहकारी समिति को दी गई धनराशि

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या भीलवाड़ा खास में कोई भवन निर्माण सहकारी समिति है ? अगर हां, तो उसको अब कितना रुपया भवन निर्माण के लिए दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि रुपयो के चुकारे की किश्तें चढ़ जाने पर भी लोगों ने रुपया जमा नहीं कराया है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची, मय रकम के, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) जी हां, भीलवाड़ा नगर में तीन निम्नांकित भवन निर्माण सहकारी समितियां है:—

(१) नवीन गृह निर्माण सहकारो समिति

(२) गृह निर्माण सहकारी समिति लि०

(३) टैक्सटाइल हाउसिंग को० स०स० लि०

(श्री भीमसिंह)

उपरोक्त तीनों में से केवल एक समिति गृह निर्माण सहकारी समिति लि० भीलवाड़ा को २,७६,०००) रु० का कर्जा मिला है।

(२) जी हां, कुछ सदस्यों की किश्तें चढ़ जाने पर भी रुपया समय पर जमा नहीं कराया है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह जो सूची आपने दी है उसमें करीब १५ हजार रुपया बाकी है। आखिरी तारीख चुका देने की कौनसी थी जिस दिन इनको यह पैसा चुका देना चाहिए था ?

श्री भीमसिंह : अलग अलग किश्तों का अलग अलग समय है। यह अलग अलग किश्तों का ओवर-ड्यू है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नत्थीसिंह। इनकी भिन्न भिन्न तारीखें हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कितने अर्से से बाकी है। यह जो १३००) रु० आपने बाकी बताया है वह कितने अर्से से बाकी है।

श्री भीमसिंह : अलग अलग आदमियों के नाम से रकम इसमें मौजूद है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितने अर्से से यह रकम बाकी है ?

श्री भीमसिंह : आपने तारीख नहीं पूछी, अगर पूछते तो वह भी बता सकता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने प्रश्न पूछा है इससे साफ है। जब नियम है कि मकान बनाये जाते हैं तो सरकार का आधिपत्य उन मकानों पर रहता है। जब लोगों में १५-१६ हजार रुपये बाकी हैं तो सरकार उनसे रुपये वसूल क्यों नहीं करती और जब वे रुपया नहीं देते हैं तो उनके मकानों पर कब्जा क्यों नहीं किया जाता ?

श्री भीमसिंह : आपने प्रश्न यह किया कि क्या यह सही है कि रुपयों के चुकारे की किश्तें चढ़ जाने पर भी लोगों ने रुपया जमा नहीं कराया है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची, मय रकम के, सदन की मेज पर रखें।

सूची इसकी मेज पर रख दी गई है। अगर आप तारीख पूछते तो वह भी लिखते।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप उनको जब रुपये देते हैं तो मकान आपके गिरवी होते हैं। जब वे आपको रुपया नहीं चुकाते हैं तो आपको उनके मकानों पर कब्जा करना चाहिए।

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): सब जगह कलेक्टरों को हिदायत है कि किसी में बकाया रकम हो जावे तो नियम के अनुसार कार्यवाही करें और ऐसी हिदायत भीलवाड़ा कलेक्टर को भी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भीलवाड़ा में वसूली ज्यादा है और वसूली होती नहीं है। आपने जितने नाम दिए हैं उनमें से २५ ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस के सदस्य हैं। इसके अलावा एक ही परिवार को ८ सदस्यों को दी गई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कांग्रेस के सदस्यों ने और दूसरी पार्टी के सदस्यों ने भी गृह-निर्माण की योजना के अन्तर्गत कर्जा लिया है। इसमें कोई मैं एतराज नहीं समझता। नियम के अन्तर्गत कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नियम के अनुसार कार्यवाही नहीं हो रही है, इसीलिए तो कहना है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ऐसा समझता हूं कि कोई कार्यवाही करने की जरूरत हो तो जिलाधीश को अधिकार है। वह कार्यवाही करे और इसके लिए समय समय पर उनको कहा गया है कि एरियर की कार्यवाही करे। ज्यादा वक्त हो जावे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न यह है कि जिस दिन से ड्यू है और किश्तें नहीं चुकाई हैं और किश्तें नहीं चुकाने से कानूनी प्रतिबन्ध होता है उसमें से क्या कोई कानून की तरफ से प्रतिबन्ध आना चाहिए, वह आया या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे एक एक केस की जानकारी नहीं है कि क्या प्रतिबन्ध लगाया गया। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि किसी ने एक किश्त व किसी ने दो किश्तें जमा कराई है। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कोई किश्त जमा नहीं कराई हो।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : Order please !

प्रश्न संख्या ११८।

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

माध्यमिक शाला, देवगढ़ में अध्यापिकाएं

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माध्यमिक पाठशाला, देवगढ़ में अध्यापिकाओं की जगह खाली पड़ी हैं ?

(२) यदि हां, तो उन स्थानों पर नियुक्ति के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि प्रायः अध्यापिकाओं के स्थान रिक्त पड़े रहते हैं और प्रबन्ध समय पर नहीं किया जाता है ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ?

उप-मन्त्री, (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि देवगढ़ माध्यमिक शाला में अध्यापिकाओं की जगह खाली पड़ी हैं। वहां ६ स्थान हैं और सब स्थानों पर अध्यापिकाएं कार्य कर रही हैं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) कभी कभी ऐसा होता है कि स्थान रिक्त रहते हैं क्योंकि जिन अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाती है, या तो वे वहां जाना नहीं चाहती या फिर नियुक्ति स्थान पर पहुँचती ही नहीं हैं। शिक्षा विभाग द्वारा सदैव समय पर उचित कार्यवाही की जाती है।

Page No 39

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): ऐसे माध्यमिक शालाएं कैसे चलेंगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके सहयोग की अपेक्षा से। आप भी प्रयत्न करें और हम भी प्रयत्न करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस माध्यमिक शाला का स्तर कैसा है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपके स्तर के माफिक है, उच्च स्तर है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : अध्यापिकाएं क्यों नहीं जाना चाहतीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गांवों में जाना नहीं चाहती हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : क्या गांवों में उन्हें सुविधा नहीं दी जाती इसलिए नहीं जाना चाहती हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गांवों में एम.एल.एज. सहयोग दें तो जा सकती हैं। देवगढ़ में माननीय सदस्या ने सहयोग दिया है तो वहां कोई स्थान रिक्त नहीं हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : देवगढ़ का यहां सवाल नहीं है....

श्री अध्यक्ष : इस समय तो देवगढ़ का ही सवाल है।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिंह : अब तक अध्यापिकाएं अनुपस्थित रहीं तो माननीय सदस्या का उन्हें विश्वास प्राप्त नहीं था, यह तो उनके ऊपर डाइरेक्ट इम्प्यूटेशन है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : विश्वास प्राप्त था इसीलिए अब चली गई हैं।

श्री अध्यक्ष : विश्वास प्राप्त करने का विशेष प्रयत्न नहीं किया गया।

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

(३.५३ म. प.)

किसी विधेयक के लिए प्रस्तुत असहमति पत्र सम्बन्धी औचित्य प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : On a Point of Order Sir.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): यह तो प्रवर समिति का प्रतिवेदन है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मालूम है, I am aware of it.

श्री अध्यक्ष : Order !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of Order Sir, माननीय उप-राजस्व मन्त्री, यह जो मनी लैंडर्स बिल के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने खड़े हुए हैं उस सम्बन्ध में मैं आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हूं और वह यह है कि इस प्रवर समिति के कुल २१ सदस्य थे जिनमें से १२ माननीय सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है और ६ ने नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में

मेरा निवेदन करना है कि ६ सदस्य माइनोरिटी में रहते हैं और यदि श्रीमन्, रूल्स ऑफ प्रोसीजर का मुलाहिजा करें तो मैं रूल १८६ की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"Voting in Committee-All questions at any sitting of a committee shall be determined by a majority of votes of the members present and voting."

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल २०२ की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है :

"Report of Committee 202(3) The report of the Committee shall be signed by the Chairman on behalf of the Committee.

Provided that in case the Chairman is absent or is not readily available, the Committee shall choose another member to sign the report on behalf of the committee."

फिर मैं आपका ध्यान इसके साथ रूल २२४, (४) की ओर दिलाना चाहूंगा :

(i) As soon as may be, after a Bill has been referred to a Select Committee, the Select Committee shall meet from time to time in accordance with rule 189 to consider the Bill and shall make a report thereon within the time fixed by the House.

(4) Any member of the Select Committee may record a minute of dissent on any matter or matters connected with the Bill or dealt within the report.

(5) A minute of dissent shall be couched in temperate and decorous language and shall not refer to any discussion in the Select Committee nor cast aspersion on the Committee.

(6) If in the opinion of the Speaker a minute of dissent contains words, phrases or expressions which are unparliamentary or otherwise inappropriate, he may order such words, phrases or experssions to be expunged from the minute of dissent."

Then, Sir, Rule 225 is with regard to the presentation of the report and this rule says, "The report of the Select Committee on a Bill together with the minutes of dissent, if any, shall be presented to the House by the Chairman or in his absence by any member of the Committee."

मेरा निवेदन है कि इन रूल्स के अनुसार चूंकि मेजोरिटी ने भी नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है इसलिये यह प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित नहीं किया जा सकता। रूल १८६ कहता है कि मेजोरिटी से ही प्रतिवेदन उपस्थापित होगा, पर मेजोरिटी ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे प्रतिवेदन को सदन में पुरस्थापित करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य को एक बात मालूम नहीं है इसलिये यह बहस उन्होंने की है। शुरू में १२ आदमियों ने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया, १० ने एक साथ और एक ने अलग, दूसरे ने अलग। उसमें से चार पांच सदस्यों ने अपने डिसेंटिंग नोट को वापिस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
विथड्रा कर लिया है इसलिये वे दलीलें और तथ्य जो आपने उठाये हैं गलत हैं। उन्होंने अपना विथड्रावल सेक्रेटरी साहब के सामने किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: On another point of order, Sir, if it is disposed of. जहां तक मेरी जानकारी है। ११ मेम्बरान की ओर से एक कागज पर संयुक्त रूप से, एक ही कागज पर दस्तखत करके नोट आॅफ डिसेंट दिया है, ऐसी दशा में वापिस विथ्ड्रा नहीं कर सकते। अलग अलग देते हैं तो भी मुझे उसके सम्बन्ध में सन्देह है कि वे वापिस ले सकते हैं। एक बार दस्तखत करके देने के बाद वह हाउस की प्रोपर्टी हो जाती है, मेरे ख्याल से वे वापिस नहीं ले सकते। जो रूल्स हैं, उनमें अध्यक्ष महोदय को अधिकार दिये हैं कि कुछ शब्द हों, फ्रेजेज का प्रयोग हो जिनको ठीक नहीं समझा गया हो, तो उनको अधिकार दिया है। लेकिन एक दफा नोट आॅफ डिसेन्ट देने के बाद में वे विथ्ड्रा नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें एक गम्भीर बात यह है कि सारा नोट आॅफ डिसेन्ट एक कागज पर था, दस्तखत करके देने के बाद, उस नोट आॅफ डिसेन्ट के कागज को काट कर उनके दस्तखतों को हटाया गया है। यह बहुत सीरियस इन्टरपोलेशन हुआ है कि असेम्बली के पेपर्स में इस तरह टैम्पर किया जाय और कागज को काटा जाय। ११ में से ५ दस्तखतों को काटा गया, कटवाया गया।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय कह रहे हैं, इससे तथ्य भिन्न हैं। पहले कुछ माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से नोट आॅफ डिसेन्ट दिया, फिर कुछ माननीय सदस्यों ने लिखित रूप में दिया कि नोट आॅफ डिसेन्ट से हटना चाहते हैं। इस पर उन माननीय सदस्यों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि हम हमारे दस्तखत हटाना चाहते हैं। उसका नतीजा यह हुआ कि उनके दस्तखतों को हटाया गया। निश्चित रूप से उन्होंने लिख कर दिया है कि हम हमारे नाम नोट आॅफ डिसेन्ट से हटाना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दस्तखत काट नहीं सकते, अलग शीट बना सकते हैं, पर दस्तखत काट दिये, दस्तखत काटने का प्रोसीजर कहीं नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : अलग से मूव किया है, यही तो मैं निवेदन कर रहा था कि अलग से माननीय सदस्यों ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि हम हमारे नाम नोट आॅफ डिसेन्ट से हटाना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न यह है कि जिन माननीय सदस्यों ने दस्तखत किये। सिलेक्ट कमेटी की सेक्रेटेरियेट की तरफ से रिपोर्ट जाती है मिनिट्स की, उस पर नोट आॅफ डिसेन्ट दिया जाता है। उसमें नोट आॅफ डिसेन्ट का टाइम होता है, उसके बाद 'हां' या 'ना' कहने का कोई अधिकार नहीं रहता। उन्होंने जो नोट आॅफ डिसेन्ट दिया उसका टाइम निकल चुका था। उनको उसे वापिस लेने का कोई अधिकार नहीं। रूल्स में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। टाइम में वे चाहे जैसे कमेन्ट भेज सकते हैं, कमेन्ट न भेजना चाहें तो कोई मजबूरी नहीं है। पर एक दफा नोट आॅफ डिसेन्ट दे दिया और दस्तखत कर दिये तो फिर उनको कोई अधिकार नहीं है कि वापिस लेवें। वे सदन में कह सकते हैं कि हम किसी तरह की विपरीत राय नहीं देना चाहते; पर वापिस लेने का तो कहीं प्रावधान नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड टाइम से जब कि बाहर निकल जाय।

Page No 42

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जो आदमी नोट ऑफ डिसेंट देता है इसके माने यह है कि वह अपनी राय प्रकट करता है या एक तरह से वोट के अधिकार को प्रयोग कर लेता है। आपके यहां राज्य सभा के वोटिंग में जो कुछ भी हुआ, वोट कास्ट हो गए, रिजल्ट आ गए, फिर दुबारा कनवेंसिग करे तो यह गलत है, इस प्रकार से नोट ऑफ डिसेंट देने के बाद अपने वोट को फिर वापिस लेना या अधिकार के प्रयोग को वापिस अन्डू अनडू करना, यह एक बहुत बड़ा मसला है। यह बात इस हाउस की मर्यादा के विपरीत जाती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यवाही के बारे में उचित व्यवस्था न होना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि कोई भी सरकार जब वह देखेगी कि हमारी इच्छाओं के विपरीत कुछ हो रहा है !

श्री अध्यक्ष : Order, pleaese। सरकार का कोई प्रश्न नहीं है। आप बिल्कुल वैधानिक तरीके से बात करें कि कानूनी स्थिति क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसे आज रहने दीजिए। एक-दो दिन एग्जामिन कर लें।

श्री अध्यक्ष : स्थिति यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने पहले नोट ऑफ डिसेंट पर दस्तखत कर दिए। फिर माननीय सदस्यों ने वापिस इस पर सोचा। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि उन्होने इम्प्लीकेशन्स को जानकर दस्तखत किए। जब यह बात हमारे सचिवालय में आई, उन्होंने आकर कहा, तो उनसे कहा गया कि लिखित में दीजिए। उन्होंने लिखित में दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने कहा कि कुछ अनपढ़ आदमी थे। श्री फूलचन्द, श्री प्रतापसिंह अंग्रेजी जानते हैं। श्री स्वरूप नारायण पुरोहित मिनिस्टर रह चुके हैं, ये अनपढ़ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अनपढ़ नहीं कहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने बगैर इम्प्लीकेशन्स समझे, किसके कहने से दस्तखत किए, फिर उन्होंने महसूस किया। टेक्निकल बातों पर वे विचार नहीं कर सके, तो उनके बोनाफाइड्स पर डाउट नहीं किया जा सकता, उन्होंने स्वयं आकर कहा। सदन में प्रस्तुत होने से पहले उन्होने कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रूल्स में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रूल्स अगर साइलेंट हैं तो यह बात सही है कि अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि किसी प्रकार से डिफीकल्टीज को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन यदि इस प्रकार की परम्परा होगी तो इसका बहुत बड़ा उपयोग होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इस सदन में नहीं कहना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रेशर डाला गया और सदस्यों को अपनी फ्री विल से सिलेक्ट कमेटी में हाउस में, काम करने नहीं दिया गया। सारी डेमोक्रमी का मतलब खत्म हो जायगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपका नाम नहीं लूंगा। आप मेम्बरान को फ्री विल एक्सर्साइज नहीं करने देते हैं, नोट ऑफ डिसेंट की विथ्ड्रा कर लेना, हमारे हाऊस के डेकोरम के खिलाफ होगा, हाउस की प्रेस्टिज के खिलाफ होगा और ऐसी बातों से डेमोक्रमी का हनन होगा। आप आने वाले मुख्य मन्त्रियों को लाइसेन्स देंगे कि नोट ऑफ डिसेंट देने के बाद भी काटा जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल)

ग्रध्यक्ष महोदय, हम चैम्बर में भी ग्रापसे इस संबंध में बात करेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सवाल यह है कि नोट ग्रॉफ डिसेंट जो समय के ग्रंदर दे देना चाहिए ग्रौर उसके बाद में ग्रगर कोई परिवर्तन हुग्रा है तो नियम के ग्रनुसार हुग्रा है या नहीं। ग्रगर नियमानुसार नहीं है तो इस संबंध में ग्रापकी तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा): Point of order, Sir, मैं रूल्स ग्रॉफ प्रोसीजर के नियम ११५ की ग्रोर ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करता हूं....

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा): ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री ग्रध्यक्ष: पहले ही एक पोइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर चल रहा है।

श्री विजयसिंह झाला: "115(2): A member who has moved a resoluation or amendment to a resolution shall not withdraw the same except by leave of House."

श्री ग्रध्यक्ष: यह रूल यहां ग्रप्लाई नहीं करना चाहिए। ग्रौर कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री नाथूलाल करौल (बागीडोरा): यह बात गलत है कि हमने ग्रपनी स्वीकृति से वापस ले लिया! हमारे सामने नोट ग्रॉफ डिसेंट बना कर लाये, ५ सदस्य जो थे उनके दस्तखत करवाये, फिर मेरे करवाये। फिर ग्राप कैसे कहते हैं कि हमारी इच्छा के मुग्राफिक दस्तखत करवाये?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): माननीय सदस्य ने कहा कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट इसलिए पेश नहीं करना चाहिये क्योंकि नोट ग्रॉफ डिसेंट मैजोरिटी मेम्बर्स ने उसके खिलाफ लिखा है। जहां तक सवाल है मैजोरिटी की राय का उसके बारे में एक तथ्य सामने ग्रा सकता है ग्रौर नोट ग्रॉफ डिसेंट में हो सकता है, ग्रलग २ राय होगी। प्रिन्सिपल्स के बारे में, नोट ग्रॉफ डिसेंट में कोई विचार नहीं किया होगा। जहां एक-दो चेन्जेज़ के बारे में नोट ग्रॉफ डिसेंट दे सकते हैं, तो हाउस के सामने नोट ग्रॉफ डिसेंट सुनने का पूरा ग्रधिकार है। दूसरी बात है हाउस की प्रोप्राइटी की। तो इसके लिए नियम २२४ साफ है। नोट ग्रॉफ डिसेंट बदल सकते हैं, पॉलिसी बदल नहीं सकते, जो डिसेंट नोट होगा वह रुकावट नहीं होगा। वैसे यह सवाल हाउस के निर्णय का है कि उनके जो नोट हैं वे माने जायं या नहीं। यह हाउस का ग्रधिकार है।

श्री भेरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक महत्वपूर्ण पोइन्ट इन्वोल्वड है। वह यह है कि एक जोइन्ट डॉक्यूमेंट इस सदन के किन माननीय सदस्यों ने नोट ग्रॉफ डिसेंट के रूप में दिया। जोइन्ट डॉक्यूमेंट किसी एक की प्रोपर्टी नहीं है, बल्कि सबकी प्रोपर्टी होती है। उसमें कोई ग्रकेला व्यक्ति उसे चेंज कर दे, यह किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। इस ग्रन्डरस्टेंडिंग से जोइन्ट डॉक्यूमेंट तैयार होता है कि उसमें बाकी के पार्टीसीपेंट्स होते हैं। कोई एक व्यक्ति उसमें चेंज नहीं कर सकता। इस नोट ग्रॉफ डिसेंट द्वारा सदन में जो रिपोर्ट पेश कराई जा रही है उसमें कुछ चेंजेज़ कर-

Page No 44

(श्री भैरोंसिंह)
आने के लिए सिलेक्ट कमिटी की रिपोर्ट दुबारा....

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दो भागों में लेना चाहिए। यह एक और बात है।

श्री भैरोंसिंह : दूसरा पोइन्ट मेरा यह है कि जब सिलेक्ट कमेटी का नोट ऑफ डिसेंट सेक्रेटेरियट में चला जाता है तो वह सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का एक पार्ट बन जाता है। उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। उसको चेंज करने का अधिकार सदन में नहीं है। उसको चेन्ज करने का अधिकार सिलेक्ट कमेटी को अवश्य है। उस सिलेक्ट कमेटी की पूरी बैठक होने के बाद ही वह उसको चेन्ज कर सकती है। उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया। सेक्रेटेरियेट में दिया। वह उस रिपोर्ट का पार्ट बन गया। उसको चेन्ज करने का सेक्रेटेरियेट को या किसी एक मेम्बर को अधिकार नहीं है, पूरी सिलेक्ट कमेटी को अधिकार है। फुल बैठक बुलायें तब ही वह उसमें चेन्ज कर सकती है। इसलिए मेरे ये दो पोइन्ट्स और रहते हैं। आप जब अपनी रूलिंग दें तो इन दो पोइन्ट्स को भी ध्यान में रख कर रूलिंग दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा रायसिंह नगर) अध्यक्ष महोदय, नोट ऑफ डिसेंट आने के बाद उसको वापिस लिया जा सकता है या नहीं, यह एक कानूनी पोइन्ट है जिस पर आप फैसला देंगे। लेकिन यह निश्चत रूप से कहा जा सकता है कि नोट ऑफ डिसेंट को वोट नहीं मान सकते। किसी एक पोइन्ट पर नोट ऑफ डिसेंट हो सकता है। एक तथ्य की जानकारी मुझे भी है। जब आपके चेम्बर में राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अपना नोट ऑफ डिसेंट देने गये उस समय आपने उनको चेतावनी दी थी कि आप सोच-विचार कर ही अपना नोट ऑफ डिसेंट दीजिये, तो उन्होंने दोहरा कर कहा था कि मैंने काफी सोच-विचार लिया है और उसके पश्चात् ही नोट ऑफ डिसेन्ट दे रहा हूं। उसके बावजूद भी आपकी मोजूदगी में उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Very serious !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसको वे विथ्ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं, यह आप फैसला देंगे।

श्री सतीशचचन्द्र अग्रवाल : That means the Chair is also a party to it.

श्री अध्यक्ष : मैं तो खुद स्वीकार करता हूं कि मेरे सामने प्रतिवेदन किया।

श्री दुर्गालाल बादद्दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, नोट ऑफ डिसेन्ट एक बार पेश करने के बाद कोई माननीय सदस्य उसको विथ्ड्रॉ कर सके है या नहीं, यह एक कानूनी मुद्दा है और इस पर आपकी व्यवस्था होनी है। सिमिलर लॉ देने में आये है और उनके अनुसार इस प्रकार के मामले में कैसे विचार किया जा सकता है, इसके लिए मैं दो–तीन तथ्य पेश करना चाहता हूं। हम जो कानून का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं कि किसी कोर्ट ऑफ लॉ में किसी केस में कोई कॉम्प्रोमाइज की बात पेश कर दी जाती है, दोनों पार्टियां उस पर हस्ताक्षर कर देती हैं और जब वह कोर्ट ऑफ लॉ के सामने चला जाता है तो फिर यदि कम्प्रोमाइज़ के बाद उसमें से कोई एक पार्टी आकर उसी कोर्ट में लिखित रूप में अर्जी पेश करे कि इस कम्प्रोमाइज़ को

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

मान्यता न दी जाय, मैं उसको मान्यता नहीं देता और वह पार्टी अगर अपने शब्दों पर पाबन्दी नहीं रखती है तो अदालत का फर्ज हो जाता है कि एक बार जो कम्प्रोमाइज़ हो गया है, उस पर दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर हो गये हैं उसके पश्चात् कोई पार्टी उसकी विथड्रॉ नहीं कर सकती और अदालत उस पर डिक्री दे देगी और वह उस पर विचार नहीं करेगी। अगर कम्प्रोमाइज़ लॉ-फुली है, एक बार कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो गया है और कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हो जाने के बाद, कोई पार्टी अपने शब्दों से मुकर जाय, इसके लिए प्राविज़न ऑफ ओर्डर २३ को आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। एक नहीं, आपको इसकी सैंकड़ों नजीरें मिल जायेंगी माननीय सदस्यों के सामने यहां एक यह समस्या आती है।

दूसरा मैं यह भी मानूंगा कि जो यह क्वेश्चन एन्टर्टेन किया जाता है तो यह फैक्ट बन जाता है। यदि उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, अनड्यू प्रेशर पड़ा हो, या कोअर्शन किया गया है और उसके कारण हस्ताक्षर किए हैं तो यह क्वेश्चन ऑफ फेक्ट है। जहां तक क्वेश्चन ऑफ फेक्ट का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि आपके सामने एक अच्छी शहादत भी आ चुकी है। पांच-सात माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय के सामने यह कहने को तैयार हैं कि उन्होंने विदाउट एनी कोअर्शन, अनड्यू प्रेशर, हस्ताक्षर किये हैं।

श्री अध्यक्ष : पर गलतफ़हमी के द्वारा। लॉ–फुल पार्ट आप स्वयम् स्वीकार करते हैं। कोअर्शन फ्रॉड से हो सकते हैं, गलतफहमी से हो सकते हैं, बगैर उसके इम्प्लीकेशन्स सोचे हुए उस चीज़ पर दस्तखत कर रहे हैं, यह हो सकता है और फिर कह रहे हैं कि गलती से दस्तखत हो गये, मेरी भावना ऐसी नहीं, इस पर भी प्रकाश डालिये।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने यह नहीं कहा कि गलतफहमी से दस्तखत किये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तीसरी चीज गलतफहमी की आती है। मेरे ख़याल से माननीय सदस्य की ओर से कोई ऐसी चीज़ नहीं कही गई कि उस समय उन्होंने नशा-पता कर रखा था, उनके होश–हवास दुरुस्त नहीं थे, और जब हस्ताक्षर किये तो उस समय उनको कोई भान नहीं था

Again I submit that it is. as far as the question of decision in respect of this fact is concerned, the matter is there before the Hon'ble Chair to decide.

As all the Hon'ble Members have just stated that ths signatures which were put up by the Hon. members as far as the particular note of dissent is concerned that was without any coercion, fraud or influence. Under these circumstances, when a particular fact is established I beg to submit that there cannot be any other judgment but that the man is to be bound by tne signatures

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्री अध्यक्ष : आप पहले बोल चुके हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं एक नयी बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : हर समय नयी बात नहीं कह सकते। एक बहस में एक माननीय सदस्य एक बार ही बोल सकते हैं।

श्री केदारनाथ (गगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इन क्वेश्चन की लीगल टैक्निकेलिटी में न जाते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं विथ दी स्वीट विल (With the sweet will) दस्तखत करने के बाद उसको वापिस ले लेते हैं तो बात समझ में आ जाती। एक माननीय सदस्य ने दस्तखत किये, कुछ एम. एल. एज. को साथ लेकर दस्तखत किये। मनी लैंडर को मालूम था कि ऐसा बिल आने वाला है, ऐसी चीज आने वाली है तो उसमे उनको खतरा था, आपकी इस बारे में जो व्यवस्था होगी वह हम मानेंगे, लेकिन जब उनको यह मालूम था तो उस कारण से उसको विद्ड्रॉ किया, उन पर प्रेशर डाल कर विद्ड्रॉ कराया गया, आपकी व्यवस्था होने से पहले आप एक्जामिन करवा लीजिये कि वे पांच व्यक्ति कौन थे, क्या अंग्रेजी जानते थे ? एक को मैं जानता हूं। मैंने उनको पढ़ कर सुनाया था कि यह लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि दस्तखत कर दूं। सेठजी की शक्ल देख कर दस्तखत कर दिये हैं। हमने जनता के सामने शपथ की थी, बतौर एम. एल. ए. भी शपथ ली थी कि इस प्रकार की टेन्डेन्सी को पैदा नहीं होने देना चाहिये। यह हमारे कैरेक्टर पर एक आघात है और जो पार्टी आज रूल करती है उस पर डाइरेक्ट रिफ्लेक्शन है।

श्री अमरसिंह (पचभद्रा) : अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति किसी एक डॉक्यूमेन्ट पर दस्तखत करता है, नेचुरली पोजिशन यही अराइज होती है कि उसने अपने पूरे होश-हवास से, बगैर नशे किये हुए जो हस्ताक्षर किये उस चीज को जानते हुए ही किये थे। एक दफा हस्ताक्षर करने के बाद में, अदालत और किसी आँथोरिटी के पास पेश होने के बाद में उसका कमिटमेंट हो जाता है जिसके लिए वह पाबन्द रहता है और खास कर उस हालत में जबकि वह पेश करने की टाइम लिमिट चली गयी। अगर उसको पेश नहीं करता उस वक्त तब टाइम लिमिट के बाद अपना कोई भी मत पेश नहीं कर सकता था। ऐसी हालत में जब मत पेश कर दिया, टाइम लिमिट चली गई उसके पश्चात् इसमें कोई रद्दोबदल करने का सवाल ही पेश नहीं होता and he stands bound by his commitment. By his signatures he has appended to, and he cannot be allowed to revoke, or to go back. यह एक नेचुरल कॉन्सीक्वेन्स है जिसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सदन को इस पर गौर से विचार करना चाहिये।

मनी लैंडर्स बिल पेश हो या नहीं, इस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं, सदन में आवे या नहीं आवे इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक दफा माननीय सदस्य ने लिखित रूप में एक स्टेटमेन्ट नोट ओफ डिसेन्ट के रूप में पेश कर दिया, प्रेस्काइब्ड टाइम लिमिट चली गई उसके बाद उसमें किसी प्रकार को रद्दोबदल करने की सम्भावना नहीं रहनी चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस मामले में जानकारी है। जिस वक्त में नोट ऑफ डिसेन्ट तैयार कर लिया गया उस पर नौ आदमियों ने दस्तखत किये थे, दसवां नम्बर

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
खाली था तथा ११ वें व १२ वें आदमी के दस्तखत हो चुके थे। दस की लाइन खाली थी। जो सदस्य नोट ऑफ डिसेन्ट को लेकर घूम रहे थे वे सम्पत्तिलालजी बोहरा के दस्तखत कराना चाहते थे। उस दिन वे लेट आये थे। जिन लोगों ने दस्तखत किये थे उनके नाम देखे हैं, वे काफी पढ़े-लिखे ऐसे लोग थे जो इस एक्ट के खिलाफ थे। इससे यह मानना कि बिना पढ़े-लिखे किसी ने दस्तखत कर दिये हों, यह बात नहीं। माननीय सदस्य जो धौलपुर से आते हैं, जो इसमें इन्टरेस्टेड थे उन्होंने दस्तखत कराये। इसलिये अब कोई यह कहे कि बिना पढ़े-लिखे कर दिये, यह नहीं माना जा सकता। यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं, जिम्मेदार सदस्य हैं। वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, एक अक्षर भी लिखते हैं तो अपनी जिम्मेदारी के साथ लिखते हैं। जो किसान पढ़ा-लिखा नहीं, कानून जानता नहीं है, यदि वह ऐसा करता है तो माना जा सकता है, किन्तु यहां तो सब जानते हैं, कानून बनाते हैं; इस तरह से डॉक्युमेन्ट्स पर अपने दस्तखत हटावें, यह अच्छी चीज नहीं है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: इस पर बहुत बहस हो चुकी।

माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक आपत्ति उठायी, जिसका आशय यह है कि नोट ऑफ डिसेन्ट जो पेश किया गया है समय के अन्दर उस निर्धारित समय में और उस समय के बाद वापिस नहीं लिया जा सकता।

इस सम्बन्ध में जो तथ्य सदन के सामने आये वे निर्विवाद हैं कि कुछ माननीय सदस्यों ने नोट ऑफ डिसेन्ट पर जो अंग्रेजी में काफी बड़ा लिखा हुआ था पेश किया, उसके बाद फिर उन्होंने जिन माननीय सदस्यों ने दस्तखत किये थे, नोट ऑफ डिसेन्ट पर, उन्होंने मुझे हमारे सचिवालय को लिखित रूप में दरख्वास्त दी कि हम इस नोट ऑफ डिसेन्ट मे अपना नाम हटाना चाहते हैं। उस समय दो परिस्थितियां थीं, जिस तरह से कि इस मामले को लिया जा सकता था। एक तो यह परिस्थिति हो सकती थी कि जिस तरह से नोट ऑफ डिसेन्ट आया है उसको उसी तरह से सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय और जो प्रतिवेदन दिया गया उस पर कोई विचार न किया जाय।

दूसरी परिस्थिति यह हो सकती थी कि जिन माननीय सदस्यों ने दस्तखत करके प्रतिवेदन दिया उनको आज्ञा दी जाय कि वे नोट ऑफ डिसेन्ट पर अपना नाम नहीं रखना चाहते हैं, तो अपना नाम वापिस हटा लें। अगर पहले वाली बात की जाती तो इस मामले में यह होता कि जिन माननीय सदस्यों ने यह बात कहीं लिखित रूप में या व्यक्तिगत तौर पर मिल कर कही, कि नाम उस नोट ऑफ डिसेन्ट पर नहीं रखना चाहते हैं तो एक तरह से उनकी भावनाओं का गलत प्रतिपादन होता, अगर उनकी प्रार्थना को अस्वीकार किया जाता और नोट ऑफ डिसेन्ट उसी तरह से भेज दिया जाता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया कि व्यक्तिगत तौर पर हर एक माननीय सदस्य को पूछा जाय कि वे अपना नाम वापिस लेना चाहते हैं या नहीं। जब उनमें से हरएक ने यह कहा कि हम नाम नहीं रखना चाहते हैं तब उनको

(श्री अध्यक्ष)

आज्ञा दी गई कि वे अपना नाम वापिस हटा लें। इस हिसाब मे थोड़ा करेक्शन इसमें होना था वह कर दिया गया। जहां तक वैधानिक स्थिति का सवाल है इस बात को ठीक तरह से हल करने की कोशिश की गई। दो परिणाम हमारे सामने थे, उनमे से कम अप्रिय और सही माना गया उस पर उसी तरह से काम किया गया।

कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह सवाल उतना टेक्निकल नहीं है; यह बात अवश्य ठीक है। जो जिम्मेदार माननीय सदस्य हैं वे अगर इस तरह से अपने दस्तखतों में हेर फेर करते रहें तो लीगल कॉम्पलीकेशन्स तो नहीं लेकिन उनके अनस्टेबल माइन्ड्स पर रिफ्लेक्शन अवश्य है। इसने ऐसी परम्परा का निर्माण हो सकता है जिसमे इस सदन की परम्परा को हम सब की प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। काफी सोच-समझ कर किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करने चाहिये।

इसलिए इस आपत्ति को अस्वीकार करते हुए मैं माननीय सदस्यों को अवश्य निवेदन करूंगा और जिन माननीय सदस्यों ने यहां जो कुछ कहा उससे सहमति प्रगट करते हुए निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिये। ऐसा करने से सामान्य तौर पर माननीय सदस्यों के विचारों की अस्थिरता, मानसिक अस्थिरता कहूं तो आप क्षमा करेंगे, एक तरह से इसका भास होता है जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है। मैं इस सम्बन्ध में और कुछ ज्यादा कहूं, यह उचित नहीं होगा। इसलिए सारी व्यवस्था को ठीक तरह से सुधारने के लिए गलत भावनाओं का गलत रिप्रेजेन्टेशन सदन के सामने नोट ऑफ डिसेन्ट के रूप में आने देता, यह उचित नहीं समझा। इसलिये कुछ हेर-फेर करके कानून के अन्तर्गत, नियमों के अन्तर्गत हेर-फेर करना पड़ा; फिर बाध्य होकर इसलिये स्वीकार किया गया कि सदन के सामने गलत रिप्रेजेन्टेशन न आय और नोट ऑफ डिसेन्ट पर से नाम हटाने की अनुमति दे दी गई। माननीय सदस्यों से निवेदन है कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा न हो, इसका वे ध्यान रखेंगे। जो भी लिखित रूप में वे दें उस पर गम्भीरता से विचार कर सेन्स ऑफ रेस्पोन्सिबिलिटी, अन्य सारी परिस्थितियों को ध्यान में और दिमाग में रखते हुए, उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे ताकि इससे उनको खुद को, सदन की और हम सब की प्रतिष्ठा बढ़े

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of Order, Sir, अध्यक्ष महोदय, आपने अपने रूलिंग में जिन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने नोट ऑफ डिसेन्ट पर दस्तखत करके वापिस लिए उनके लिये आपने मानसिक दृष्टि से अस्थिर होने की संज्ञा दी है। विधान सभा के सदस्य होने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन्स निर्धारित की हुई है कि इस सदन के कौन कौन सदस्य हो सकते हैं। विधान में भी इसका उल्लेख है कि जो माननीय सदस्य मानसिक रूप से अस्थिर हैं वे विधान सभा के अन्दर नहीं रह सकते। पांचों माननीय सदस्य जिन्होंने अपने नाम वापिस लिये हैं मानसिक अस्थिरता के कारण उन्हें सदन से बाहर कर उस स्थान पर भेजा जाय जहां पर जाकर वे अपनी मानसिक अस्थिरता दूर कर सकें, ऐसे स्थान पर भेज दिया जाय ताकि भविष्य में वे इस प्रकार की गलती न कर सकें। वहां रह कर इस डिस्क्वालिफिकेशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
को रिमूव न कर लें तब तक उनको सदन से बाहर रहने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : वह मेन्टल डिरेलमेन्ट नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं आपका ध्यान आर्टिकल १६२ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आर्टिकल १६१ में यह है :

"1. A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State"

With the first, I am not concerned,

(b) If he is of unsound mind and stands so declared by a competent court:"

ऐसी अगर पोजीशन आ जाय तो 192 says, "if any question arises, as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final."

I, Therefore, request that the names of these Hon. members of this House belong to the ruling party of which the head is Mr. M. L. Sukhadia who is going to resign, should be referred to the Government for decision and this House requests that they may be suspended for the time being.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का जो व्यवहार है वह संविधान के अनुच्छेद जिसका कि उल्लेख किया गया है उसके अन्तर्गत नहीं आता; संभवतः इस प्रकार तीन-चार दफा हो जाय तो आ सकता है, लेकिन आज की स्थिति में न मेरा यह आशय था और न यह वस्तु स्थिति है कि इस तरह से हमारे संविधान का यहां पर उपयोग किया जाय, इसलिये मैं इस आपत्ति को अस्वीकार करता हूं।

(४.२६ म. प.)

राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३
(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थान)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन, असहमति पत्रों सहित, उपस्थापित करता हूं।

स्वर्ण नियंत्रण कानून के फलस्वरूप बेकार स्वर्णकारों सम्बन्धी श्रममंत्री का वक्तव्य

श्री भीखाभाई (श्रममंत्री) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के फलस्वरूप सरकार ने बेकार हुए स्वर्णकारों को पुर्नसंस्थापन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का माह मार्च, १९६३ में निर्माण किया था।

(१) उपमन्त्री, उद्योग अध्यक्ष।

(२) विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग सदस्य।

(३) पंजीयक, सहकारी समितियां सदस्य।

(श्री भीखाभाई)

(४) श्री सुराणा, जयपुर, सदस्य ।

(५) दो मनोनीत सदस्य, स्वर्णकार संघ, सदस्य ।

(७) संचालक, उद्योग विभाग, जयपुर सदस्य, सचिव ।

उक्त समिति की सिफारिशों के अनुसार स्वर्णकारों को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो सुविधाएं प्रादन की गई हैं, वे निम्न-लिखित हैं :

(१) यह तय किया गया है कि उन कस्बों में जिनकी आबादी ५ हजार से कम है कस्बे के समीप की भूमि का बेरोजगार स्वर्णकारों को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू नियम, १६५७ के अनुसार (भूमि आवंटन कृषि कार्य के हेतु) आवंटन किया जायगा । उनको इस आवंटन के लिए भूमि-हीन व्यक्ति माना जायगा । समस्त जिलाधीशों को इस विषय में राजस्व विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं । श्रम विभाग मे भी शीघ्र कार्यवाही के आदेश जारी किए गए हैं ।

(२) गाय-बैल आदि खरीदने के लिए स्वर्णकारों को तकावी ऋण के रूप में देने के लिए एक लाख रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं । राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित तकावी ऋण का धन जिले की आबादी के अनुपात के अनुसार जिलाधीशों को बेरोजगार स्वर्णकारों के हेतु दे दिया गया है ।

(३) लवण क्षेत्रों में साढ़े बारह प्रतिशत खाली पड़ी भूमि लैण्ड रेवेन्यू नियमों के अनुसार (सेलाइन क्षेत्र आवंटन) स्वर्णकार सहकारी समितियों को जो वहां काम करना चाहती हैं, आवंटित की जायगी । इस सम्बन्ध में आदेश उद्योग विभाग द्वारा संचालित उद्योग को प्रचलित कर दिए गए हैं ।

(४) राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्वर्णकारों को अम्बर चर्खा देने में प्राथमिकता दी जायगी । इस सम्बन्ध में आदेश उद्योग विभाग द्वारा प्रचलित कर दिए गए हैं ।

(५) बड़े शहरों में जहां कि स्वर्णकार सिलाई का काम सीखना चाहते हैं तो उनके लिए सिलाई मशीन कम्पनियों द्वारा प्रशिक्षण कक्षाएं खुलवाने की व्यवस्था की जायगी, ऐसी कक्षाएं कम से कम २५ व्यक्तियों के तैयार होने पर ही खोली जा सकेंगी । सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के पश्चात् उनको सिलाई मशीन खरीदने के लिए ऋण दिया जायगा । इस सम्बन्ध में आदेश उद्योग विभाग द्वारा संचालक उद्योग को प्रचलित कर दिए गए हैं ।

(६) यदि स्वर्णकार आॅटो रिक्शा चलाने के लिए सहकारी समितियां बनायें तो उनको ऋण दिया जायगा और १० व्यक्तियों की ऐसी सहकारी समितियों को २ आॅटो रिक्शा के लिए ऋण दिया जायगा ।

(७) बेरोजगार स्वर्णकारों को सरकारी मोटर विभाग, पुलिस तथा यातायात मोटर विभाग से मोटर चलाने की निःशुल्क शिक्षा दी जाने की व्यवस्था की जायगी और यह प्रशिक्षण लेने के पश्चात् उनको ड्राइवर के पद पर नियुक्त करने में प्राथमिकता दी जायगी । गृह विभाग द्वारा इस विषय में आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(८) औद्योगिक संस्थानों में बेरोजगार स्वर्णकारों को प्रशिक्षण देने हेतु १०० प्रति-

(श्री भीखाभाई

रिक्त स्थान रक्खे गए हैं। इन प्रशिक्षणार्थियों को ३०) रु० मासिक छात्रवृत्ति दी जायगी। श्री गर्ड, संचालक, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर को फोन पर सब औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियो को प्रवेश देने के आदेश दे दिये हैं।

(६) (क) पीतल के काम में इन लोगों को उम्र व योग्यता में छूट देते हुए प्रशिक्षण स्कूल ऑफ आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स, जयपुर में दिया जायगा जहां कि ३०) मासिक की २५ छात्रवृत्तियां इन लोगों को इस साल के लिए निर्धारित की गई हैं।

(ख) स्वर्णकारों को कलेक्टर टाइप प्रशिक्षण केन्द्रों में भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) बेरोजगार स्वर्णकारों के बच्चों को उद्योग विभाग के अन्तर्गत फर्नीचर निर्माण केन्द्र में बतौर अपरेन्टिस लिए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

इस सम्बन्ध में उद्योग विभाग द्वारा संचालक, उद्योग विभाग, को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(१०) स्वर्णकारों को पॉवर लूम आवंटन में भी प्राथमिकता दी जावेगी।

(११) (अ) बेरोजगार स्वर्णकारों के जिनकी वार्षिक आमदनी १२००)रु० से कम है उनके बालिका-बालकों को राजकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में शिक्षा सचिव द्वारा आदेश संचालक, कॉलेज शिक्षा और संचालक, प्राइमरी और सैकन्डरी शिक्षा, को दे दिए गए हैं।

(ब) बेरोजगार स्वर्णकारों के जिनकी वार्षिक आमदनी १५००)रु० से कम है उनके कॉलेज में पढ़ने वाले बालकों को २००)रु० तक के मूल्य की पाठ्य पुस्तकें दी जावेंगी, ये पु उसी कॉलेज के प्रिन्सिपल महोदय द्वारा उनकी आवश्यकतानुसार दी जायेंगी। ऐसे आदेश शिक्षा विभाग द्वारा प्रचलित किए जा रहे हैं।

(१२) उन स्वर्णकारों को जिनकी आयु ३५ वर्ष से कम है और शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है उनको कनिष्ठ लेखक के स्थान पर एब्जोर्ब कर लिया जायगा। आदेश प्रचलित कर दिये गये हैं।

(१३) उन स्वर्णकारों को जो कि सरकार की सेवा करना चाहते हैं और जिनकी आयु ४५ वर्ष से कम की है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर नियुक्त किया जायगा। आदेश प्रचलित कर दिये गये हैं।

(१४) संचालक, उद्योग विभाग द्वारा जयपुर स्थित औद्योगिक संस्थानों में स्वर्णकारों को काम दिलवाने का प्रयत्न करेंगे। आदेश प्रचलित कर दिये गये हैं।

(१५) राज्य सरकार ने यह भी निर्णय कर लिया है कि यदि स्वर्णकारों के बालकों ने स्कूल व कालेजों में फीस जमा करा दी है तो वह उन्हें वापिस कर दी जायगी।

(१६) एब्जोर्पशन कमेटी द्वारा अब तक बेरोजगार स्वर्णकारों में से १८ कनिष्ठ लेखक के पद पर तथा १६ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद पर जयपुर में एब्जोर्ब कर लिए गये हैं। इनके अतिरिक्त ६४ और बेरोजगार स्वर्णकारों को नियोजन कार्यालय जयपुर द्वारा नौकरी दिला दी गई है।

(श्री भीखाभाई श्रम मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों को पूर्ण रूप से पालन करने एवं कार्यान्वित करने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों को आदेश जारी किये जा चुके हैं। सम्बन्धित जिला नियोजन अधिकारी को उक्त निर्णयों को अविलम्ब कार्यान्वित करवाने हेतु ऑफिसर इन्चार्ज नियुक्त किये जा चुके हैं जो कि सम्बन्धित जिलाधीशों के अन्तर्गत उनके आदेशानुसार कार्य करेंगे।

श्री भैरं सिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि क्या सरकार ने राजस्थान में इस बात का सर्वे करवाया है कि स्वर्ण नियन्त्रण कानून के द्वारा कितने व्यक्ति बेकार हुये हैं और किस–किस क्षेत्र में उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार के जो जो नियम बने है और जो जो सुविधाएं सरकार ने दी हैं क्या उनके लागू करने के पश्चात् बेकारी दूर हो जावेगी उनकी ?

कितनों को जमीनें दी हैं और कहां रिज़र्वेशन किया है कि इतनी जमीनें उनको देने के लिए हम निर्धारित करते हैं। कितनों को तकाबी किस-किस प्रकार की दी है ?

ये जो जो सुविधाएं देने की बात कही गई है उसके अनुसार इम्प्लीमेन्टेशन कहां तक हुआ है, यह तो समाचार पत्रों में ही हमने पढ़ लिया था, पर यह जानकारी नहीं मिली कि कितनी सुविधाएं वास्तव में उनको दी है, इसका इम्प्लीमेन्टेशन भी होता है या नहीं।

आखिरी मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार से राजस्थान सरकार को इस सिलसिले में कितनी रकम मिली है और वह किस-किस काम में मिली व किस-किस काम में खर्च हुई और अब तक किस–किस विभाग के द्वारा किस–किस को डिस्ट्रीब्यूट की गई है ? यह जानना चाहता हूं। तो आपकी इस घोषणा का रिजल्ट आप बता दें, यह पता नहीं चलता था। समाचार पत्रों से।

श्री अध्यक्ष : और कोई जानकारी करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मेरी जानकारी जहां तक है सरकार ने इसमें भी यह बन्धन रखा है कि जो स्वर्णकार गांव का है वही जमीन प्राप्त कर सकता है, शहर का रहने वाला नहीं, जबकि सबसे अधिक असर इसका शहर के स्वर्णकार पर ही पड़ा है। गांव में तो वह चांदी का काम ही अधिकतर करता था। गांव के स्वर्णकार से तो शहर का स्वर्णकार ज्यादा बेकार हुआ है। बीकानेर के बहुत से स्वर्णकार गंगानगर में बसना चाहते हैं। इसका स्पष्टीकरण कृपया करें कि क्या शहर के स्वर्णकारों को भी जमीन की कोऑपरेटिव सोसायटियों में रखा जायेगा या नहीं, या उसको भी जमीन दी जावेगी या नहीं ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कितने स्वर्णकारों की एप्लीकेशन्स इसके लिये पेन्डिंग में पड़ी हैं और कब से पड़ी हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : शिक्षण संस्थाओं में, कालेजों में फीस माफी के आदेश दिये जाने के बात कही गई। पर जहां तक सैकण्डरी स्कूलों का सवाल है, मेरी जानकारी में ये आपके आदेश अभी तक तो नहीं पहुँचे हैं और नतीजा यह है कि उनसे शुल्क वसूल किया जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण करिये कि गवर्नमेन्ट

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
ने अगर ऐसा आॅर्डर जारी किया है तो कब किया है। इस बात की जानकारी दें।

श्री हरिराम (तिजारा) : माननीय मंत्री महोदय, इस बात की जानकारी दें कि सरकार को क्या दिक्कत है कि जितने भी सुनार बेकार हुए है सारे राजस्थान में उनको बेकारी का भत्ता दे दिया जावे।

ये सुविधाएं जो आपने दी हैं ये पूरी तौर से कागजों के अन्दर रहेंगी और थोड़े दिनों के बाद ये बहुत अच्छी अलमारियों में, शीशे की अलमारियों में बैठ जावेंगी। उन बेचारे गरीब बेकार सुनारों को एक रुपये में एक आना भर भी आपकी इन विज्ञप्तियों से राहत नहीं मिलने वाली है, वह राहत चाहे जमीन की हो, चाहे किताबों की हो, चाहे फीस की हो किसी तरह की क्यों न हो।

सरकार ने उनके कारोबार को चौपट किया है, इसकी वजह से वे सुनार आज बहुत बड़ी खतरनाक नाजुक स्थिति में पहुंच गये हैं; वे उजड़ गये हैं, बेकार हो गये हैं।

ऐसे टाइम पर भी जब कि हम राजाओं को इस नाम पर कि वे उजड़े हैं उनको जेब खर्च दे सकते हैं। जब हम जागीरदारों को इस नाम पर कि इनको फिर बसाओ, कुछ दे सकते हैं तो उनके पास जब कि पहले से और दूसरी सुविधायें मौजूद है वे मर नहीं सकते, उनके पास गुजारा करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। इसलिए सरकार को कौनसी ऐसी कठिनाई है, क्या ऐसी दिक्कतें है जो कि मंहगाई का भत्ता दिये बगैर ही उन तमाम लोगों को एक ही कलम से बेकार कर दिया गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदय महरबानी करके यह बतायें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेडा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री महोदय ने बताया उसमें एक बात नहीं है और वह यह कि जो १४ कैरेट के सोने के जेवरात बनाने की भारत सरकार ने कही है उसके अलावा बहुत सारे स्वर्णकार ऐसे हैं जो कि छोटे-छोटे गांवों में रहते हैं और वे चांदी के ऊपर सिर्फ सोने का धूआं लगाते हैं। उसके लिए उन स्वर्णकारों को प्योर गोल्ड कन्ट्रोल रेट से उपलब्ध नहीं होता है।

क्या सरकार उन लोगों को इस तरह का सोना कन्ट्रोल रेट से दिलाने का कोई प्रबन्ध रखती है, एक तो यह बात मंत्री महोदय बतायें और जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो शिक्षा के शुल्क में छूट दी गयी है विद्यार्थियों की फीस के विषय में, तो मुझे मालूम है कि ऐसे लोग मुझ से दस्तखत करवाने के लिए आये थे, लेकिन जैसा अभी बताया गया कि ऐसे आॅर्डर न तो किसी सदस्य के पास पहुंचे हैं और न किसी भी हाईस्कूल के हैडमास्टर के पास पहुंचे हैं और न जनता में सर्कुलेट हुए हैं और विद्यार्थियों से फीस ले ली गयी है। ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार स्कूलों को इस प्रकार की आज्ञा भेजेगी कि जिनसे फीस ले ली गयी है वह उनको लौटा दी जाये? इन दो बातों का माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे दें।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि स्वर्णकारों को ये सुविधायें दी जाती हैं और कहा कि स्कूलों में आदेश भेज दिये हैं। मैंने २०० छात्रों के बारे में लिख कर दिया है और वहां के हैडमास्टर कहते हैं कि मैं तो एक को भी मान्यता नहीं देता हूं और

Page No 54

(श्री गोविन्दसहाय)
वह इसलिए कि वे कहते हैं कि मेरे पास कोई आज्ञा नहीं है। सवाई माधोपुर के लोगों की स्थिति कितनी खराब है उसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं बताया। बगैर आंकड़े प्राप्त किये इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है और उनको किस तरह से रोजगार दिया जा सकेगा ? यह समझ में नहीं आता जब कि जिलेवार इस तरह के आंकड़े नहीं लिए जायेंगे। आप कहते हैं कि एक लाख रुपया स्वीकृत किया तो इसका उपयोग किस तरह से होगा इसके लिए जब तक आपके पास आंकड़े नही होंगे तो कैसे काम चलेगा ?

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दांगोद) : अध्यक्ष महोदय, सुनारों को सुविधायें कौनसी तारीखों को दीं और उनके तहत आज तक कितने लोगों को मोटर ड्राईविंग की ट्रेनिंग दी, कितने लोगों को इन्डस्ट्रीज में ट्रेनिंग दी और कितने लोगों को दूसरे काम सिखाये जा चुके हैं, कितने लोगों को सरकारी नौकरियों में लिया जा चुका है, यह सब माननीय मंत्री महोदय बतायें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जहां तक स्वर्णकारों के लिए जो भी एम्पलॉयमेन्ट के लिए व्यवस्था की है क्या सरकार के पास ऐसे आंकड़े या ऐसी व्यवस्था है कि जिससे वह यह कन्ट्रोल कर सके कि वास्तव में जो अन एम्पलॉयड हैं उन्हीं को सुविधायें मिले सकें और उसमें जो गरीब सुनार हैं उनको पहले सुविधायें मिलें और जो अमीर सुनार हैं उनको बाद में ये सुविधायें मिलें। माननीय मंत्री महोदय यह बतायें कि इस प्रकार की व्यवस्था है या नहीं। क्योंकि जवाहरात का काम करने वाले भी लखपति, करोड़पति और हजारपति भी इसके तहत आ जाते हैं। इसलिए आम तौर से जो पैसे वाले लोग हैं वे अपनी एप्रोच से फायदा उठा लेते हैं। तो क्या सरकार जो कुछ सुविधायें दे रही है यह गरीब सुनारों को सबसे पहले मिले इसको चैक करने की व्यवस्था क्या सरकार के पास है ? मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी सुविधायें सरकार दे वह तो दे लेकिन गरीब सुनार जो हैं उनको ये सुविधायें पहले मिलें उसकी भी व्यवस्था साथ ही साथ करे।

दूसरा निवेदन यह है कि जो लोग चांदी का काम करते हैं गावों मे और शहरों में तो क्या सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि चांदी की जो चीजें बनती हैं या एक्सपोर्ट होती है, उस दृष्टिकोण से कोआॅपरेटिव सोसाइटीज के आधार पर या पब्लिक सेक्टर में उस काम को लेकर उस काम को और बढ़ावा दिया जाये। चांदी की कई ऐसी चीजें हैं कि जो फोरिन मार्केट मे बिकती हैं और बड़े-बड़े लोग जो केपिटलिस्ट्स हैं और नोन-सुनार हैं वे इस काम को करते हैं। सही रूप से काम करने वाले तो वे हैं कि जो सुनार का काम करते हैं उन लोगों के यहां और वहां एम्पलॉयड हैं। इसके लिए बड़े-बड़े केपिटलिस्ट्स को लाइसेन्स नहीं देकर क्या सरकार पब्लिक सेक्टर में इन कारीगरों को उस काम में लेगी, इस तरह की व्यवस्था सरकार ने की है या नहीं ?

तीसरा निवेदन यह है कि जो भी सरकार ने घोषणा की, अब तक यह नहीं कहा है कि कितने पर्सेन्ट फोर्थ क्लास में ऐसे लोगों को नौकरी में लेगी। १८ आदमियों को लिया है, मास्टरों में १६ आदमियों को लिया है जो कि संख्या बिलकुल नगण्य है। इसका मतलब यह

(श्री मोतीलाल चौधरी)

है कि जो अनएम्पलॉयड आदमी हैं उनमें से एक परसेन्ट को भी नहीं लिया। तो क्या सरकार ऐसा कोई पर्सेन्टेज निर्धारित करेगी कि १ साल के लिए या दो साल के लिए सुनारों के लिए जो कि इकोनोमिकली डूबे हैं उनको काम पर लगायेगी और साथ ही साथ कुछ महकमे ऐसे हैं कि जिनमें सुनारों से संबंधित काम होते हैं, जैसे बिजली का है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लगती हैं जिनको सुनार अच्छी तरह बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत से टूल्स मेनुफेक्चरिंग हैं जिनमें आइरन वगैरह का काम होता है जैसे हमारे यहाँ नागोर में है और इसी तरह के और कई काम हो सकते हैं जिनमें सुनार काम कर सकते हैं, क्या ऐसे काम में उन लोगों को लगाया जा सके इसके लिए उनको प्रायोरिटी देंगे ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात और स्पष्ट करवाना चाहूंगा।

ये जो स्वर्णकारो को सहूलियतें दी गयी हैं यह सुनार जाति से संबंधित है या स्वर्ण का काम करने वाले उन सभी लोगो से संबंधित है और जो स्वर्ण नियत्रण कानून के आने के बाद बेकार हुए हैं और स्वर्णकार जाति के नहीं हैं, और उनका सारा बिजनेस सोने का ही था। तो आपने जो सहूलियतें दी हैं उनका असर उन लोगों पर भी होगा या नहीं जो कि इस जाति के नहीं हैं। जहां मीनाकारी का काम करने वाले लोग, तार खींचने वाले लोग जो भी बेकार हुए हैं स्वर्ण नियंत्रण कानून के द्वारा उनको भी फैसिलिटी मिलेगी या नहीं ? दूसरे जो अभी २ महीने पहले घोषणा की थी मीनाकरी के संबंध में उस संबंध में सरकार ने क्या काम किया ? इन दो बातों का स्पष्टीकरण माननीय मंत्री दे दें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत यह पूछना चाहूंगा कि गंग कैनाल एरिया में अलॉटमेन्ट का काम शुरू है और राजस्थान कैनाल एरिया में भी काम शुरू है और वहां पर स्वर्णकार दर्ख्वास्तें लेकर गये। अब सारे बेकार हैं। लेकिन कलेक्टर साहब ने यह कहा कि मेरे पास कोई इन्स्ट्रक्शन्स नहीं हैं कि स्वर्णकारों को उनकी दर्ख्वास्तों पर, बतौर भूमिहीन, उनको जमीन अलॉट की जाये। वैसे इस चीज को हमने अखबारों में पढ़ा तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह है तो ठीक है, वरना हमने पढ़ लिया और आपको धन्यवाद दे दिया।

श्री भीखाभाई (श्रममंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये उनका ध्यान मैं हमेशा रखूंगा और मैं समझता हूं कि आगे भी जो सुझाव आयेंगे मैं उनका स्वागत करूंगा।

वैसे यहां पर जो सुनारों का संघ है उससे सम्पर्क स्थापित किया हुआ है और माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उसमें कहा कि मैंने मीनाकारी के बारे में कुछ कहा। यह बात हमने यहां तो नहीं कही थी, लेकिन उनके साथ वहां जरूर बात हुई थी और यह बहुत अच्छा काम था। हमने कहा था कि हम भारत सरकार से प्रयत्न करेंगे कि पब्लिक सेक्टर में इस प्रकार का कोई कारखाना खुल जाये जिसमें मीनाकारी का काम हो। तो उसके अन्दर यह काम बढ़ाया जा सकता है और हमारे यहां जो इस बारे में बड़ा भारी आर्ट है उसकी भी सुरक्षा की जा सकती है। इस संबंध में अभी

(श्री भीखाभाई)

तक विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर आगे प्रयत्न किये जायेंगे ।

यहां पर नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें अभी तक जो भी काम हुआ है उसमें ग्रामीण लोगों को वंचित किया गया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी जो जितनी भी सुविधायें उनको दी गयी हैं उनको पढ़ा था, उसमें सभी प्रकार के स्वर्णकार आ जाते हैं । इसमें जाति का प्रश्न नहीं है बल्कि जो पेशेवर हैं वे सब इसमें आ जाते हैं और रूल्स के अन्दर यह प्रोवीजन किया गया है कि जब कोई एस० डी० ओ० या मजिस्ट्रेट उस बात की तस्दीक करेगा तो उसके बाद उसको सुविधायें प्राप्त होंगी । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कन्सेशन्स दिये गये हैं उन कन्सेशन्स में ३-४ प्रकार के कन्सेशन्स हैं । पहला कन्सेशन नौकरी के संबंध में है, दूसरा भूमि के संबंध में है, तीसरा शैक्षणिक है और चौथा ट्रेनिंग के संबंध में है और इन कन्सेशन्स से सभी लोग जो कि इस स्वर्ण नियंत्रण कानून के अन्तर्गत आते हैं, फायदा प्राप्त कर सकते हैं ।

आज तक की जो संख्या है, जैसा कि माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंहजी कह रहे थे उनका कहना था कि कितने स्वर्णकार हैं जिनका कि सर्वेक्षण किया गया है, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए सम्भव नहीं था । हमको जो करना है उसके लिए अभी १८ जुलाई को केबिनेट ने निर्णय लिया है, उसके बाद में सक्यूलेट किया है और सक्यूलेशन के ऊपर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो आॅर्डर्स प्रसारित हुए हैं, जिसके बारे में जिक्र किया गया है वे उद्योग विभाग को १२ अगस्त को आॅर्डर्स जारी हुए हैं, डाइरेक्टर आॅफ इन्डस्ट्रीज एण्ड सप्लाईज, जनरल मैनेजर, राजस्थान कॉर्पोरेशन, सेक्रेटरी खादी बोर्ड, आर्टस एण्ड क्राफ्ट्स....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : १२ अगस्त, सन् ६२ या ६३ ?

श्री भीखाभाई : मेरे को बोलने दें ।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात अभ अलॉटमेन्ट आॅफ गवर्नमेंट लैण्ड के बारे में कही; तो उस बारे में to all Collectors, Secretary Revenue, Registrar, Board of Revenue, Settlement Commissioner, Joint Development Comm ssioner, Secretary O. & M. Section etc. इन सबको भेजा है ।

उसी तरह से एज्यूकेशन के सम्बन्ध में कहा है कि आर्डर कब जारी किया है, तो मैंने अपने भाषण में बता दिया कि आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं, तारीख की इच्छा हो तो मैं बता सकता हूं कि ८ तारीख को एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है । वह फीस पर विचार करने के बारे में है और उसके बारे में फाइनेन्स डिपार्टमेंट, आॅल कलेक्टर्स, डाइरेक्टर आॅफ कालेज एज्यूकेशन, डाइरेक्टर आॅफ हायर सैकण्डरी एज्यूकेशन, डायरेक्टर आॅफ संस्कृत एज्यूकेशन, डाइरेक्टर आॅफ मेडीकल एज्यूकेशन, डाइरेक्टर आॅफ एग्रीकलचर, डाइरेक्टर आॅफ टेकनिकल एज्यूकेशन राजस्थान, इन तमाम को जारी कर दिया गया है ।

उसी तरह से यह एक बात और आ गई थी हमारे सामने कि उनको यह दिक्कत थी मजिस्ट्रेट वगैरह की दिक्कत थी कि सर्टीफि-

Page No 57

(श्री भीखाभाई)
फिकेट मिलने में टाइम लगता है, समय पर नहीं मिलता है तो तुरन्त ऑर्डर जारी कर दिया गया है चीफ सेक्रेटरी के दस्तखती वह ऑर्डर ३१ अगस्त को जारी किया था....

श्री भैरोंसिंह : ३१ अगस्त ?

श्री भीखाभाई : एम्प्लायमेंट ऑफिसर वगैरह को ऑफिसर इन्चार्ज नियुक्त किया है। उसके ऑर्डर्स भी जारी हुए हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह अभी जो हमने एक लाख दिया है, उसका एलॉटमेंट भी हमने कर दिया है। वह एलॉटमेंट भी सब डिस्ट्रिक्ट्स के अन्दर आबादी के अनुपात से कर दिया है। एलॉटमेंट जो किया है उसमें किस तरह के लोगों को इन्क्लूड किया है कि गांव के जो रहने वाले स्वर्णकार हैं जो कि सोने का काम करते हैं वे ही हैं न कि चांदी का काम करते हैं वे स्वर्णकार हैं उनको मान लें। इसका सारे का सारा काम वहां के मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा, सिटी मजिस्ट्रेट हो या और कोई हो, उसके दस्तखतों के आधार पर जो कन्सेशन बताये हैं उसमें सभी वर्ग के लोग हैं चाहे वे खेती करने वाले हों, टेकनिकल शिक्षा लेने वाले हों, महिलाओं का सवाल हो तो वह भी है, क्योंकि सिलाई का काम भी रखा है, जिस किसी भी प्रकार के लोग हैं उनको सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कुल मिलाकर एक ऑर्डर जारी कर दिया एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज के मारफत और उनसे निवेदन किया है कि हमारा काम दूसरा है, यही नहीं कि इनके मार्फत होता है। हमने उनसे कहा है कि हमारे दरवाजे २४ घन्टे खुले हुये हैं। उनके जो हैं श्यामलालजी और मूलचन्दजी से कि दूसरे आदमियों के चक्कर में पड़ गये तो नुकसान उठाओगे।

श्री अध्यक्ष : केवल आपके ही चक्कर में हों।

श्री भैरोंसिंह : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ३१ अगस्त को ऑर्डर इश्यू किया है वह तो अभी तक पहुँचा ही नहीं है। वह कब निकला है। आपने बताया है कि चीफ सेक्रेटरी को हुक्म देकर हुक्म निकाला है वह........

श्री भीखाभाई : २१ अगस्त की बात कह रहा हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आज कौनसी तारीख है ?

श्री भीखाभाई : एक-एक दिन में काम हुआ है, आपको पता ही नहीं। २१ अगस्त को चीफ सेक्रेटरी ने निकाला है, २० तारीख, २२ तारीख को, और बोलो क्या चाहते हो ? अभी निकलवाया है, गंगानगर ४.५००), बीकानेर २,०००), चूरू ३,०००), यह सब निकलवाया है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कितनी एप्लीकेशन्स पैंडिंग हैं सुनारों की अलग अलग विभागों में, इसकी आपने जानकारी दी है ?

श्री अध्यक्ष : बहस शुरू नहीं करें। मंत्री महोदय को अपना उत्तर समाप्त करने दें।

श्री भीखाभाई : मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये मत।

श्री भीखाभाई : बीच में इन्टरप्ट कर हैं।

Page No 58

श्री अध्यक्ष : तो भी खड़े रहिये।

श्री भोखाभाई : आदेश जारी किये थे उसके पूर्व परिणामस्वरूप २,०५६ नाम रजिस्टर हुए थे उसमें ६४ आदमियों का प्लेसमेंट हुआ और जयपुर के अन्दर १८ या १६ नाम का एब्जोर्पशन हुआ है। अभी तक १३०४ हैं उनमें ६५२ का रिन्यूवल होने के कारण वे नाम चले गये।

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से हमारी ओर से इस तरह का प्रयत्न किया जा रहा है। ये जो स्वर्णकार बेकार हुए हैं उनको सुविधा मिलें। उसके साथ-साथ हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और किसी अन्य राज्य सरकार ने कोई अच्छा कदम उठाया, मैंने उनके जो लोडर हैं, श्यामलाल और मूलचन्दजी उनसे भी कह दिया कि प्रतिदिन मेरे पास आया करो और कोई नई बातें हों तो बता दिया करो। केबिनेट जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर उस पर कार्यवाही करेगी। इस तरह से मैंने उनको आश्वासन दे रखा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसी बात नहीं है। डे टू डे डिफिकल्टी जो कि आने वाली हो उसके लिए ऐसी कार्यवाही की है।

जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि ऑर्डर कब जारी किया है और उससे पहले जो फीस वसूल कर ली गई है, तो उसके लिए भी आदेश जारी कर दिया है कि वह फीस लौटा दी जाय। इस प्रकार का आदेश है।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोई काम इस प्रकार का नहीं रहता है, फिर भी जो माननीय सदस्य यहां पर राय देंगे, या लिखकर अलग से देंगे जैसा कि वे प्रयत्न करते हैं कि उनकी जानकारी बहुत बड़ी है, और जानकारी किस आधार से किस प्रान्त से आती है और जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो हमेशा हम इसके लिये तैयार रहेंगे और जो जानकारी आपकी तरफ से आयेगी उसके आधार पर कार्यवाही की जायगी।

श्री भैरोंसिंह : जयपुर में कितना दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत छोड़ दिया। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि माननीय मंत्री महोदय ने उन बातों को तो टच ही नहीं किया है और न उनका जवाब दिया। आपकी आज्ञा हो तो फिर उनको याद दिला दूं, क्योंकि जो बातें रखी गई थीं उनका जवाब नहीं मिला है। उन्होंने जो कुछ जवाब दिया है केवल अपनी बातें कही हैं। दूसरों की बातें तो उसमें आई ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उनके दरवाजे और कान हमेशा खुले हैं; आप जब चाहें दरख्वास्त दे दें या जाकर मिल कर कह दें।

श्री मुरलीधर व्यास : फीस के बारे में आपने कह दिया कौन सी फीस ट्यूशन फी या सारी फीस।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त) ट्यूशन फी।

श्री अध्यक्ष : जो भी कंसेशन्स उनको मिले हैं यदि उनको इम्पलीमेंट नहीं किया गया है तो मंत्रीजी से कहें उनको रिफन्ड करा दिया जायगा। कहीं गलती से ऐसा हुआ है तो माननीय सदस्य बतावें।

(५. म० प०)

संविधान (१५ वां संशोधन) विधेयक, १९६३ के शासकीय संकल्प पर औचित्य प्रश्न एवं पारित

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : कोई पोइन्ट आफ ओर्डर है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of Order, Sir, विधि मंत्रीजी ने पूछा है कि कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है क्या, इसलिए मैं पोइन्ट ऑफ ऑर्डर पेश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन के (फिफ्टीन्थ अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६३ के द्वारा अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत रेटिफिकेशन के लिए इस सदन में एक प्रस्ताव विधि मंत्रीजी पेश करना चाहते हैं। मेरी इसमें एक आपत्ति है। यह आपत्ति इसलिये है कि यह कांस्टीट्यूशन (अमेन्डमेन्ट) बिल, १९६२ जो हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के जजों की आयु के सम्बन्ध में और उनका एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर किये जाने के संबंध में, उनको कम्पेनसेटरी अलाउन्स दिये जाने के सम्बन्ध में, अनुच्छेद ३११ संशोधन के सम्बंध में और कुछ इस प्रकार की अन्य बातों को लेकर संसद के सामने पेश किया गया और वहां पर पारित होने के बाद संविधान के अनुच्छेद ३६८ के अन्तर्गत इस सरकार की ओर से रिजोल्युशन लाया गया है और इस विधेयक पर लोकसभा में जितना वाद-विवाद हुआ वह भी सदस्यों को सर्क्यूलेट किया गया, वह भी विपरित किया गया है, इसलिए मैं कहूंगा कि यह बिल जैसा संसद में प्रस्तुत हुआ, जैसी उस पर वहां पर बहस हुई वह सारी पार्लियामेंट की डिबेट हमारे हाउस की कस्टडी में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टि से इस पर विचार करते समय जो पार्लियामेन्ट के प्रिवलेजेज थे वे ही इस सदन के हैं. इन प्रिविलेजेज के आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय यह विधेयक संसद में विचारार्थ लाया गया था उस समय केन्द्र के विधि मंत्री श्री अशोककुमार सेन ने भाषण देते समय कुछ बातें कहीं थीं जिनमें से चार-पांच लाइनें एक्सट्रैक्ट के रूप में सदन के सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो कुछ बातें उन्होंने भाषण देते समय कहीं उनमें उन्होंने कहा :

"It was unfair that some judges took a long 'view of their role and travelled beyond the realm of judiciary to the realm of politics and tried to take a position regarding certain matters affecting the Government with which they were not concerned."

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विधि मंत्री श्री अशोककुमार सेन ने हमारे जजेज के बारे में इस प्रकार कहा....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : पेज ?

श्री अध्यक्ष :कौनसे पेज पर हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी बताऊंगा। उनका इस प्रकार कहना, इस प्रकार का रिफ्लेक्शन हमारी जुडिशियरी के बारे में कहना कि यहां के जजेज जुडिशियरी से पोलिटिक्स में चले गये, ट्रैवल कर गये हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जुडिशियरी को सर्वोपरि माना है उस पर इस तरह से छींटा कशी करना, सदन के माननीय सदस्यों को विचार करना होगा कि उनको जो प्रिविलेज दी गई है उसका दुरुपयोग करना है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के द्वारा पार्लियामेन्ट के सदस्यों को जो अधिकार दिये हैं वे ही अधिकार इस सदन के हैं और इस सदन को जो अधिकार दिये हैं उनका दुरुपयोग है और इस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं और यह भी प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं और यह भी मेरी मान्यता है कि इस प्रकार सदन के अधिकारों का दुरुपयोग करके ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का ऑफेन्स केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री अशोककुमार सेन ने किया है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय विधि मंत्री, श्री अशोककुमार सेन को इस हाउस के सामने बुलाया जाय और वे यहां हाउस से माफी मांगें, नहीं तो सदन उनको पीनेलाइज़ करे।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के जज़ श्री जे. बी. मित्र की एज के संबंध में मामला चल रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट की बैंच में चल रहा था, शायद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो मामला एक जज़ की आयु के बारे में लॉ कोर्ट में या न्यायालय में चल रहा है, पेन्डिंग है उस पर विचार नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार की मिसालें या मसले इस सदन के सामने आये हैं जिन पर सदन ने विचार नहीं किया। जो मामले न्यायालय में विचाराधीन थे उन पर इस सदन ने विचार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, यह मामला जहां तक फिक्सेशन ऑफ एज का सवाल है, न्यायालय के विचाराधीन है, यह सब-जुडिस है इसलिये इस संबंध में विचार नहीं किया जाना चाहिये, इस पर विचार करना न्याय क्षेत्र में हस्तक्षेप करना होगा, जो नहीं होना चाहिये।

मैं पहला पोइन्ट ऑफ ऑर्डर इतना उठाता हूं कि यह मामला सब जुडिस है इसलिये इस पर विचार किये जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। और दूसरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर मेरा यह है कि सेन्टर के लॉ मिनिस्टर, श्री अशोक सेन ने अपने प्रिविलेज़ का मिसयूज़ किया है, जिन्होंने जुडिशियरी के लिये ऐप डेरोगेटरी शब्द यूज़ किये हैं, उन्होंने इस हाउस के प्रिविलेजेज़ का ब्रीच किया है इसलिये केन्द्रीय मंत्री, श्री अशोकसेन को यहां बुलाया जाय और वे या तो इस हाउस के सामने क्षमा याचना करें या उनको पीनेलाइज़ किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है वह बड़ा साधारण है। यदि यह माना जाय कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज़ हुआ है तो वह दूसरे हाउस में हुआ है, वह बड़ा सीधा सा प्रश्न है जो परम्पराओं पर और कई रूलिंग्ज़ पर आधारित है। इसलिये जो पार्लियामेन्ट में एसपर्शन किये है वे ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज़ होते हैं या नहीं, इस हाउस के ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेज़ में आते हैं या नहीं, यह देखने की बात है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): अध्यक्ष महोदय, जो पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के जरिये एतराज पेश किया और खास करके जो बातें पार्लियामेन्ट मे कहीं जिनके बारे में यहाँ राय प्रकट की गई, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी

(श्री मोतीलाल चौधरी)

मिनिस्टर पार्लियामेन्ट में या दूसरे सदन में वहां के रूल्स के माफिक कोई बात कहे तो उसके बारे में रिफ्लेक्शन इस हाउस में लाना अनुचित होगा। पार्लियामेन्ट हमारा सर्वोपरि संगठन है जो संपूर्ण भारत की इलेक्टेड बॉडी है, सॉवरिन बोडी है, मैं यह कहूं तो अनुचित नहीं होगा। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा कि जजेज़ किस तरह पोलिटिक्स में आ गये हैं। इस तरह की बात जुडिशियरी के बारे में नहीं कह सकते तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधान के अनुसार संसद सर्वोपरि है जिसमें कुछ भी विचार कर सकते हैं। यदि जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को बंद भी कर सकते हैं इतना पॉवर पार्लियामेन्ट को है एज़ वेल एज़ हाउस में भी किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये किस तरह का होना चाहिये, यह सब करने का अधिकार पार्लियामेन्ट को है बाई चेन्जिग कॉस्टीट्यूशन। पार्लियामेन्ट में एक सदस्य ने कोई बात कही है तो इस दृष्टिकोण से दूसरों को भी राइट वहां बोलने का है। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे है कि मंत्री महोदय, ने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है तो जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं उस पार्टी के सदस्य पार्लियामेन्ट में भी थे, वे क्या उस समयXXXX या उनके दिमाग में ऐसी बात नहीं आई होगी....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हाई कोर्ट में जजेज़ पार्टी बेसिस पर नहीं होते।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैं हाई कोर्ट के बारे में नहीं कह रहा हूं। आपने श्री अशोक सेन के बारे में कहा, उन्होंने अगर पार्लियामेन्ट में कोई बात जजेज़ के बारे में कही और अगर वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में आती थी तो उस समय क्या आपकी पार्टी के मेम्बर जो संसद में थेXXXXवे यही बात वहां पर उठा सकते थे। यहां पर इस तरह का मोटिव इम्प्यूट करके इस हाउस के प्रिविलेजेज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "रेस जुडिकेटा" कानून का शब्द है, अंग्रेजी किताबों में....

श्री मोतीलाल चौधरी : आप अपने आपको कानून का माहिर न समझें।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का सवाल उठाया है उसके सम्बन्ध में उस पक्ष से बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में यह सदन अपनी कोई राय प्रगट नहीं कर सकता, इसको इस प्रकार से कहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं कि जो भी पार्लियामेंट में पेश हुआ बिल यहां आता है और जिस पर यह सदन विचार करता है वह इस दृष्टिकोण से करता है कि उस के सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्य अपनी राय प्रकट करें और आशा भी इसमें की जाती है कि वह विचार वहां तक जा भी सकें। ऐसा भी नहीं है कि उस राय को वहीं समाप्त कर दें। वह वहां तक पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद बिल में कोई परिवर्तन हों या नहीं, इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का अधिकार हमको दिया गया है। इस सम्बन्ध में

XXXXअध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

कोई ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज का सवाल है ग्रौर उसको यहां उठाया जाता है, उसके ऊपर यह कहना कि यह हमारे ग्रधिकार में नहीं है, हम विचार नहीं कर सकते ग्रौर यह कह कर उसको टालने की कोशिश करना उचित नहीं है। कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, वे इसमें हुई है या नहीं, इसके सम्बन्ध में वहां सवाल उठाया है या नहीं-यह ग्रलग चीज है, पर हमारा इसके ग्रन्दर ग्रधिकार है या नहीं, हम उठा सकते हैं या नहीं-इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था दे रहे हैं कि इस सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकते हैं-उनका यह सोचना गलत है। इसके सम्बन्ध में यदि मान लें कि यह सवाल उठाया गया है ग्रौर इसके सम्बन्ध में निर्णायक व्यवस्था स्पीकर महोदय देंगे, पर मैं कहना चाहता हूं ग्रौर हमारा विचार है कि इसके सम्बन्ध में जो सवाल उठाया है इसको उठा सकते हैं ग्रौर ग्रपनी बात कह सकते हैं ग्रौर ग्रपनी बात को वहां तक पहुंचा सकते हैं। यहां किसी प्रकार की बात नहीं कही जा सकती, माननीय सदस्य का यह कहना उचित नहीं कहा जा सकता मैं समझता हूं कि हमारा ग्रधिकार है, उसके विपरीत वे कह रहे हैं ग्रौर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में ऐसे विचार प्रगट न करें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): माननीय ग्रध्यक्ष, जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने एतराज उठाये हैं, उसमें दो-तीन प्रश्न पैदा होते हैं; पहला प्रश्न यह है कि ए. के. सेन ने जो पार्लियामेंट में भाषण देते वक्त हाई कोर्ट जजेज़ के बारे में जनरल रिमार्क दिया, गोया वह ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज है या नहीं ? दूसरा सवाल यह है, जो कुछ भी उन्होंने कहा, ग्रगर वह ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज था तो क्या किसी दूसरे सदन का सदस्य ग्रगर कोई ब्रीचग्रॉफ प्रिविलेज कमिट करे तो क्या दूसरा सदन उसके बारे में निर्णय ले सकता है ? दूसरा प्रश्न उससे यह पैदा होता है। मेरे ख्याल में हमारे देश में हाई कोर्ट जजेज़ के बारे में जो भी भारत के संविधान में ग्रधिकार मिले है, उन ग्रधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए गोया इस सदन में हम लोगों को बात करने का ग्रधिकार है, हम हाई कोर्ट जजेज़ के बारे में चर्चा कर सकते हैं। खास तौर से जो मौजूदा प्रश्न है वह एक प्रावधान में तरमीम लाने के लिए है, ग्रौर जब कि वह हाई कोर्ट जजेज़ के सम्बन्ध में कोई तरमीमात हों—इस वक्त वह प्रश्न उनकी सुपरएनुएशन एज को बढ़ाने का हो, उनकी उम्र के ग्रन्दर करेक्शन करने के बारे में हो, उनके रिटायर होने के बाद प्रेक्टिस करने के बारे में हो—ग्रौर खास तौर से जो फिफ्टीन्थ ग्रमेंडमेंट बिल है वह ज्यादा करके हाई कोर्ट जजेज़ से सम्बन्ध रखता है—उस वक्त पार्लियामेन्ट के मेम्बर, जो भारत का संविधान बनाते हैं, को पूरा ग्रधिकार है कि वे जुडिशियरी ग्रौर हाई कोर्ट के वर्किंग के बारे में ग्रपने विचार रख सकें। प्रोटेक्शन ग्रगर दिया भी जा सकता है तो वह यह है कि किसी हाई कोर्ट के जजेज़ के बारे में नाम लेकर कन्डेक्ट को डिस्कस नहीं किया जा सकता है-यह कन्वेन्शन है, केवल यही नहीं, हाउस ग्रॉफ कॉमन्स में भी यही माना गया है। यह कहा जाय, जो हमारे भारत का संविधान बना या कॉन्स्टीट्यूएन्ट ग्रसेम्बली में, ग्रौर जब सुप्रीम ग्रौर हाई कोर्ट ग्रौर जुडिशियरी को सेपरेट पॉवर्स दी गई थीं उस उक्त चर्चा चली थी कि पार्लियामेन्ट के बनाये हुए संविधान को, पार्लियामेन्ट के बनाये हुए कानून को दस ग्रादमी बैठ कर, हाई कोर्ट के जजेज़ बैठ कर कहें कि इसे पलट दें-तो यह कहां तक मुनासिब होगा ? ग्रौर ग्राज भी जब हाई कोर्ट के जजेज़ का डिस्पोज़ल खराब हो तो इस सदन को विचार करने का पूरा ग्रधि-

(श्री मथुरादास माथुर)
कार है। इसमें कोई ब्रीच ग्रॉफ प्रिविलेज नहीं होता है। हम यहां बैठ कर चर्चा करें कि हाई कोर्ट के जजेज़ वे हैं, इन्डिपेन्डेंटली काम नहीं करते हैं या हाई कोर्ट, राजस्थान स्लगिश तरीके से काम करता है इसलिए वह जिस मायने में रखते हैं उस तरह के हाई कोर्ट बनाये जायं, इस बारे में पूर्ण ग्रधिकार इस सदन को है, लोकसभा को पूर्ण ग्रधिकार है, राज्य सभा को पूर्ण ग्रधिकार है कि वह जुडिशियरी के फंक्शन के बारे में जनरल डिस्कस कर सकता है ग्रौर ग्रपनी ग्रोपोनियन पार्लियामेंट ग्रौर लोक सभा के सदस्य रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज नहीं होनी चाहिए कि एक इन्डीविजुग्रल कन्डक्ट हाई कोर्ट जजेज़ के ग्रन्दर से सदन में डिस्कस हो। वह ऐसा होता है कन्वेन्शन के ग्राधार पर इसमें भी मतभेद है ग्रौर वह डिस्कस करने पर प्रिविलेज का प्रश्न बनता है या नहीं-इसमें भी मतभेद है। वैसे कन्वेन्शन है कि डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए। इसके ग्राधार पर हाई कोर्ट के जजेज़ के बारे में, हाई कोर्ट जजेज़ के बिहेवियर के बारे में, हाई कोर्ट सिस्टम के बारे में विचार करने का पूरा ग्रधिकार है। हम ग्रपने विचार रख सकते हैं ग्रौर ग्रपने विचारों के जरिये संविधान में तरमीम लाना जरूरी समझें तो ला सकते हैं। इसलिए लोकसभा में लॉ मिनिस्टर के. के. सेन ने जो कुछ भी कहा, जो कि इस सदन में जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ कर सुनाया उसमें जो बात कही है वह किसी भी व्यक्ति विशेष, हाई कोर्ट के जजेज़, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के बारे में नहीं कही है। जनरल वे में यह कहा है कि हाई कोर्ट के जजेज़, जो बुलाने पर स्टेट्स से सुप्रीम कोर्ट में गये हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ पोलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। तो क्या सदन को ग्रधिकार नहीं है कि सदन के सदस्य सदन के सामने या सदन की मेज के ऊपर यह बात रखें कि हाई कोर्ट के जजेज़ पोलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा मकसद है कि जो जुडिशियरी है उसको हमें इन्डिपेंडेंट, नीट ग्रौर क्लीन बनाना है ग्रौर सदन के सामने, जो इस तरह के सवाल ग्रायें उनको रखें-इसका मकसद है कि जुडिशियरी में ऐसा सिस्टम इवोल्व करें कि वह इन्डिपेंडेंट, नीट ग्रौर क्लीक रहे ग्रौर इसके बारे में कोई बात रखना चाहें तो रख सकते हैं ग्रौर ग्रपनी बात कह सकते हैं इसमें ग्रधिकारों का, प्रिविलेज का ब्रीच नहीं होता है।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जजेज़ की ड्यूटी ग्रौर फंक्शन के बारे में, काम ग्रौर जजमेंट के बारे में जो कॉन्स्टीट्यूशन का ग्रार्टीकल २११ है वह यह कहता है कि:

"No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties".

ग्रगर कोई हाई कोर्ट के जज ऐसे काम में लग जायं कि इस सिस्टम के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो इस सदन के सदस्यों को चर्चा करने का ग्रधिकार है। हां उसकी जुडिशियरी ड्यूटी है कि उसको डिस्कस नहीं कर सकते कि इस फैसले में यह क्यों कहा, इस फैसले में यह क्यों कहा। यह बात नहीं कही जा सकती। इसके ग्रलावा हमें ग्रौर पार्लियामेंट के सदस्यों को पूरा ग्रधिकार है चर्चा करने का। इसलिये मैं नहीं मानता कि माननीय सदस्य ए. के. सेन ने जो जनरली जजेज़ के बारे में रिमार्क दिया है वह किसी तरह से भी प्रिविलेज का ब्रीच करता है।

(श्री मथुरादास माथुर)

दूसरा प्रश्न यह पैदा होता है, गोया कि अगर प्रिविलेज का ब्रीच हुआ था है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सदन को किस हद तक अधिकार है कि उसके ऊपर कार्यवाही करे। इसके बारे में प्रेक्टिस है और इण्डियन पार्लियामेंट में १९५९ में चर्चा हुई उसमें उन्होंने साफ कहा है, एक ऐसा सवाल पहले भी पैदा हुआ था। Practice & Procedure of Indian Parliament by S. S. More says, "The Leading principle which appears to pervade between the House of Parliament" यानी राज्य सभा और लोक सभा के बीच में "is that there shall subsist a perfect equality between them" अगर कह दी तो राज्य सभा का प्रिविलेज ब्रीच हो जाय तो लोक सभा नहीं कर सकता "...and that they shall be in every respect totally independent one of the other. Hence it is that neither House can claim, much less exercise, any authority over a Member of the other, Neither House of Parliament can take upon itself to punish any breach of privilege or contempt offered to it by any Member of the other House"

इस सदन में और लोक सभा में सम्बंध है, वह विधान से कम्प्लीटली और टोटली इन्डिपेंडेंट मानते हैं। इसलिये राज्य-सभा और लोक-सभा में, between the Rajya Sabha and the Lok Sabha, between the two houses of the same Parliament one House cannot take action for the commission of a breach of privilege in other House."

जहां तक इसका इस सदन से और लोक-सभा से सम्बन्ध है, आज तक कोई ऐसा प्रश्न पैदा नहीं हुआ जिसमे किसी लेजिस्लेचर में, किसी एसेम्बली में, लोक सभा में एक्शन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का किया गया हो, उसकी चर्चा उसमें की गई हो। एक प्रश्न पहले उठा था और यह तय हुआ कि एक हाउस में जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जावे तो दूसरे में उसके लिये एक्शन नहीं लिया जावे। इसलिये जो जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाये हैं कि ए. के. सेन ने जो बातें कहीं उससे हमारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है यह गलत है। साथ में इस सदन को इसके लिये कतई अधिकार नहीं है। जस्टिस मित्र का मामला। यह कलकत्ता हाईकोर्ट का मामला सबजुडिस है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मामला सब जुडिस है उसके इन्डिविजुअल केस पर चर्चा नहीं करते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): (बैठे बैठे) श्री एक. के. सेन ने चर्चा की है।

श्री मथुरादास माथुर: की हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में जो बिल पास किया गया है उसको रेटीफाई करने के लिये यह मामला यहां हमारे सामने पेश है। किसी पर्टीकुलर केस का मामला हमारे सामने नहीं है। संविधान का १५ वां एमेन्डमेंट बिल है, उसको रेटीफाई करने के लिये यह हमारे सामने पेश है। कोई भी मामला जो पार्लियामेंट से एप्रूव हो चुका है वह यदि हाईकोर्ट में सबजुडिस हो तो ऐसी कोई बाइंडिंग हम पर नहीं है कि हम उस पर बहस नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र ने मुख्यत: दो आपत्तियें उठाई हैं। एक तो यह कि ए. के. सेन ने जो लोक सभा में

(श्री अध्यक्ष)
भाषण दिया उसमें इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया। इसलिये उन पर इस विषय में कार्यवाही की जावे।

दूसरी आपत्ति माननीया सदस्य की यह है कि चूंकि यह मामला हाई-कोर्ट या सुप्रीमकोर्ट में सब-जुडिस है, उस नाते ए.के. सेन का यह कहना उचित नहीं था और इस सदन में सब-जुडिस होने के नाते इसकी चर्चा नहीं हो। दो पॉइन्ट्स के अलावा एक और पॉइन्ट मान कर तीन पॉइन्ट्स मान लेते हैं। मैं इन आपत्तियों को अस्वीकार करता हूं।

जैसा कि प्रिविलेज का प्रश्न है इसके लिये अभी विधि मंत्री ने बताया कि ए. के. सेन लोकसभा में भाषण देकर इसे सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया है, ऐसा सदन में, प्रतीत नहीं हुआ और जैसा सब-जुडिस का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते हैं कि सब-जुडिस कई मामले होते हैं। यदि कोई कानून में खामी रह गई हो तो उसको पूरा करने के लिए सदन में विधेयक आता है और हम उस पर विचार करके उसे पारित करते हैं इसलिये सब-जुडिस में कोई एक्शन नहीं लिया जावे या उसके संबन्ध में कोई प्रस्ताव हो उस पर विचार नहीं किया जावे, ऐसी बात नहीं है। सदन को अधिकार है कि विशेष तौर से इस प्रकार का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जावे तो सदन उस पर विचार कर सकता है हालांकि कोई मामला जुडिशियरी में चल रहा हो।

जहां तक ए. के. सेन का प्रश्न है उन्होंने जो बात कही वह किसी न्यायालय के अधिकारों की या उसके द्वारा न्यायालयों का कन्टेम्पट हो, गया हो, उससे सदन के अधिकारों का हनन नहीं होता। इसलिए तीनों आपत्तियों को, जो माननीय सदस्य ने उठाई हैं, अस्वीकार करता हूं और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

(विराम)

मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आज को जो बहस हुई है और प्रोसीडिंग्ज़ बनेंगी वे लोक सभा और राज्य सभा में जावेंगी। जिस समय लोकसभा के सदस्य हमारी इस प्रोसीडिंग्ज़ को पढ़ेंगे और उनको जब यह मालूम होगा कि राजस्थान विधानसभा के एक माननीय सदस्य ने उनको XXXX बताया है तो यह हमारे लिये कोई शोभा की बात नहीं होगी, इन शब्दों को हटाया जावे। जिन माननीय सदस्य ने लोक-सभा के सदस्य कोXXXX बताया है....

श्री अध्यक्ष: किन्होंने बताया है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): श्री मोतीलाल चौधरी ने। उन्होंने कहा कि पार्टी के मेम्बर जो संसद में थे वे XXXX थे, वे वहां पर XXXX और यह बात वहां उठा नहीं सकते थे।

श्री अध्यक्ष: मगर ऐसा उन्होंने कहा है तो वे अपने शब्दों को कृपया वापिस ले लें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं कहा। XXXX शब्द मैंने नहीं कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैंने खुद ने

XXXXअध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सुना है और मैं उसी समय आपको कहने वाला था। प्रोसीडिंग्ज़ में आप देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया इस पर खेद प्रकट करना चाहें तो खेद प्रकट कर दें और अपने शब्दों को वापिस ले लें, अन्यथा आपकी इच्छा।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैंने यह नहीं कहा कि मेम्बर जो संसद में थे वे XXXX थे। मैंने यह कहा कि काम नहीं करते थे। अगर कोई ऐसा शब्द हो तो मुझे वापिस लेने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। मगर....

श्री अध्यक्ष : आप अपना सारा प्रेस खो देते हैं। इस पर भाषण और बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने शब्दों को वापिस लेना चाहें तो ले लें।

श्री मोतीलाल चौधरी : मैंने इस प्रकार के अनुचित शब्दों को काम में नहीं लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने खुद ने सुना है। आप प्रोसीडिंग्ज़ मगा कर देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की ऐसी सम्मति है तो इन शब्दों को प्रोसीडिंग्ज़ में से निकाल दिया जावे।

मन्त्रीजी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Point of Order Sir,......

श्री अध्यक्ष : इसको आज ही पास करना है, यह तो आप जानते ही हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां। अगर नहीं करें तो क्या फर्क पड़ेगा? I draw attention to Article 368 of the Constitution:--

"An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill :

Provided that if such amendment seeks to make any change in X the amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one half of the States by resolutions to that effect passed by those Legislatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य ने कहा है इसका तो प्रोविजो से सम्बन्ध है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Now, Sir, so far as the question of ratification of this amendment is concerned, this resolution of ratification can only be passed before the Bill is passed by the Parliament and presented to the President for assent. As far as my information goes, the bill has been passed

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

and presented to the President already though the assent has not been given yet. It is for the Law Minister to say whether the assent has been given or not and whether the Bill has been sent to the President for assent or not. If the Bill has already been sent to the President for assent, my submission is that no resolution of ratification of this Bill can be taken into consideration by this House and it cannot be passed.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो पढ़ कर बताया है वह इस प्रकार है :

"......The amendment shall also require to be ratified by the Legislatures of not less than one-half of the States by resolutions to that effect passed by these Legilatures before the Bill making provision for such amendment is presented to the President for assent."

माननीय सदस्य का कहना है कि आधे से ज्यादा लेजिस्लेचर्स से वह पास कर दिया गया है और प्रेसिडेन्ट के पास प्रस्तुत किया जा चुका है इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

माननीय सदस्य के पास ऐसे क्या तथ्य हैं कि आधे से ज्यादा या कम के अंदर लेजिस्लेचर्स ने पास किया है और प्रेसीडेंट के पास प्रस्तुत किया जा चुका है। सवाल तो यह आता है कि अगर कर दिया है तो सदन को क्या अधिकार है उसको क्वेश्चन करने का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रेटिफिकेशन प्रेसीडेन्ट महोदय को प्रेजेन्ट करने से पहले होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अदर स्टेट लेजिस्लेचर्स का ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां। अमृतबाजार पत्रिका में वेस्ट बंगाल के केस की रिपोर्ट आई है, वह मेरे पास है कि That the Bill has been presented to the President for assent.

श्री अध्यक्ष : स्थिति यह हो सकती है कि आधे लेजिस्लेचर्स ने पास कर दिया है तो प्रेसीडेन्ट महोदय के पास जा सकता है। और आधे लेजिस्लेचर्स ने पास कर दिया है या आधे लेजिस्लेचर्स ने पास नहीं कर दिया है तो भी यह सदन पास कर सकता है, हर सूरत में पास कर सकता है, इसमें कोई वैधानिक बाधा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पास कर सकता है, पर प्रेजेन्टेशन प्रेसिडेन्ट महोदय के पास हो गया है तो पास नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : नहीं, ऐसी मंशा इस क्लॉज़ की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रेसीडेन्ट के पास प्रेजेन्टेशन के बाद इस पर डिबेट करना बेकार है।

श्री अध्यक्ष : डिबेट करना बेकार नहीं इसलिए आवश्यक है कि यह सदन भी अपनी राय इस पर दे। माननीय सदस्य के पास क्या आधार हैं कि आधे लेजिस्लेचर्स द्वारा पास किये जाने की स्थिति में ऐसा प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और आधे से कम द्वारा किये जाने पर नहीं कर सकते ?

श्री भैरोंसिंह : बाकी के लेजिस्लेचर्स समयाभाव से पास करके नहीं भेजें तो प्रेसी-

(श्री भैरोंसिंह)
डेन्ट को अधिकार है कि उस पर स्वीकृति दे दें, असेन्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष : आधे लेजिस्लेचर्स के पास करने के बाद प्रेसीडेन्ट महोदय के पास चला जाय तो क्या बाकी के लेजिस्लेचर्स पास नहीं कर सकते ?

श्री भैरोंसिंह : फिर पास करना यूज़लैस है।

श्री अध्यक्ष : यूज़लैस नहीं है। सेंट-पर्सेंट स्टेट्स एप्रूव करती हैं तो वहां आपकी भी राय होना आवश्यक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किस-किस लेजिस्लेचर ने पास किया है, प्रेसीडेन्ट महोदय की असेंट के लिए प्रेजेन्टेशन के पहले ? यह लॉ मिनिस्टर बतावें।

श्री अध्यक्ष : मेरा कथन है कि आधे लेजिस्लेचर्स ने पास किया है तो भी हम पास कर सकते हैं और आधे लेजिस्लेचर्स ने पास नहीं किया है तो भी पास कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में पास कर सकते हैं। अदर लेजिस्लेचर्स के पास करने न करने का हम पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ? वे भी करें, उनका जिम्मा है, अपना जिम्मा नहीं। आधे लेजिस्लेचर्स के पास करने के बाद प्रेसीडेन्ट महोदय के पास पेश किया गया है तो मेरी मान्यता है कि बचे हुए लेजिस्लेचर्स भी इसको पास कर सकते हैं। जो माननीय सदस्य ने कहा उसको यदि माना जाय तो इसका मतलब होगा कि आधे लेजिस्लेचर्स के पास करने के बाद प्रेसीडेन्ट के पास चला गया तो बाकी के लेजिस्लेचर्स इस पर विचार ही नहीं कर सकते।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टौंक) : पार्लियामेंट के बोथ लेजिस्लेचर्स पास कर दें तो सारे भारत ने रेटिफाई किया, यह गिना जायगा और उसके बाद प्रेसीडेन्ट महोदय के पास पेश किया जा सकता है। जब यह प्रेसीडेन्ट महोदय के पास पेश किया जा चुका है तो अब इसकी मंशा पूरी हो चुकी है, कॉन्स्टट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। ऐसी हालत में अब इस पर बहस करना रिडेन्डेन्ट रह जाता है। जब कॉन्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट् पूरी हो गई है तो इस पर बहस करना रिडन्डेन्ट है।

श्री अध्यक्ष : सवाल रिडन्डेन्ट का नहीं....

श्री राधाकृष्ण गोयल : जो कुछ बहस कर रहे हैं इस दृष्टि से कर रहे हैं कि विधान में संशोधन लाने के लिए कॉन्स्टीट्यूशन को रिक्वायरमेंट पूरी करें। यह बहस कान्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए कर रहे हैं। जब कॉन्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट ही नहीं रही तो इस पर अब यहां बहस करना बेकार है।

श्री अध्यक्ष : हमें किसी कॉन्स्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट को गलत या सही बनाने का अधिकार नहीं है। प्रश्न यह है कि इस पर विचार करने का अधिकार हमारे सदन को है।

श्री सतीशचचन्द्र अग्रवाल : Once the Bill has been presented to the President for assent...

श्री अध्यक्ष : मेरी व्यवस्था यह है कि इस सदन को अधिकार है कि इस पर यह सदन विचार करे और विचार करने का मतलब ही यह है कि बहस कर के किसी न किसी निर्णय पर पहुंचे कि इस संशोधन से हमारी

(श्री अध्यक्ष)

सहमति है या नहीं। माननीय सदस्य का कहना माना जाय तो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि भारतवर्ष के आधे से ज्यादा लेजिस्लेचर्स के पास होने के बाद पेश कर सकें और न वैधानिकता से इसका सम्बन्ध ही है। इस सदन को अधिकार है किसी संशोधन पर विचार करने का। कल ऐसी स्थिति आ सकती है कि प्रेसीडेन्ट महोदय के पेश करने के बाद ही आया तो हर सदन को अधिकार है कि कोई संशोधन आये तो उस पर विचार करें और विचार करके पास करें या गिरायें। इसलिये मेरी मान्यता है कि संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल नही है कि जिसमे बाधा पड़ती हो इस पर विचार करने में। इसके विपरीत कथन को माना जाय तो ऐसी स्थिति होती है कि आधे से ज्यादा लेजिस्लेचर्स पास नहीं कर सकें उससे पहले ही प्रेसीडेन्ट महोदय को पेश हो जाता है और फिर बाकी बचे लेजिस्लेचर्स उस पर विचार ही नहीं कर सकते, इसमे न कोई व्यवहारिकता है और न वैधानिकता ही। इसलिये माननीय सदस्य की आपत्ति अस्वीकार की जाती है और मंत्री महोदय जो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे उस पर विचार किया जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Another point is that the Government has not come forward to enlighten the House.

श्री मथुरादास माथुर : This is only a conjecture.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Appears to have no information about it.

श्री मथुरादास माथुर : The Chair has already given a ruling and I have been asked to speak. The information is quite clear.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्लीयर है तो बता दीजिये न कि कौन कौनसी में पास हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : We have absolutely no information that the Bill has been presented to the President for assent. There is only one letter which we have received that this Act is being sent to the State Government for discussion etc, thats' all.

श्री दुर्गालाल बादड़वार(हवामहल,जयपुर) : अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के द्वारा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर की पूरी व्यवस्था नहीं दी गई है। दो पॉइन्ट्स को लेकर पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज़ किया गया। एक तो यह कि आधे से ज्यादा लेजिस्लेचर्स अपने प्रपोजल्स दे देते हैं, अपना प्रस्ताव पारित कर देते हैं तो प्रेसीडेन्ट महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रेसीडेन्ट महोदय के पेश कर देने के बाद भी दूसरे लेजिस्लेचर्स विचार कर सकते हैं, यह व्यवस्था श्रीमान् ने दी, हम इसको मानते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं।

लेकिन पॉइन्ट ऑफ आर्डर में जो दूसरा पॉइन्ट रेज़ किया उसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा कोई व्यवस्था नहीं दी गई। इस पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर में दूसरी आपत्ति यह रेज़ की गई कि इस पर डिस्कशन कर रहे हैं इससे पहले प्रेसीडेन्ट महोदय के पास यह प्रस्तुत कर दिया गया है और प्रस्तुत उस हालत में किया गया है जब कि आधे लेजिस्लेचर्स में विचार नहीं किया गया, इस लियेइस पर विचार यहां नहीं किया जा सकता।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

तो जब तक इस पर निर्णय नहीं हो जाय तब तक इस पर बहस नहीं की जा सकती।

श्री अध्यक्ष : अगर माननीय सदस्य ने मुझे ठीक तरह से सुना होता तो उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा था कि आधे लेजिस्लेचर्स ने पास किया या नहीं किया तो भी प्रेसीडेन्ट महोदय के पेश कर दिया, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं। इसका जो परिणाम निकलेगा, निकल सकता है। पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर का मतलब यह था कि आज के इस सदन के सामने इस संकल्प को लाने के सम्बन्ध में बाधा उपस्थित की गई थी उसका निराकरण कर दिया गया है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : Mr. Speaker, Sir, I move, "That this House ratifies the amendments to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (15th Amendment) Bill, 1963 as passed by the House of Parliament."

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मथुरादास माथुर : May I say something now or in the end......

श्री अध्यक्ष : आप कुछ बोल दीजिये, इसके इन्ट्रोडक्शन के बारे में।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल हमारे संविधान के अनुच्छेद १२४, १२८, २१७, २२२, २२४ से २२६ २९७ व ३११ इसको तरमीम करने का बिल है। यह बिल खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जजेज से सम्बन्ध रखता है। क्लॉज दो जो इस बिल का है, वह सुप्रीम कोर्ट के जजेज, जिनकी उम्र ६५ साल रखी गयी है उसके अनुसार हम उनकी जांच करें कि उनकी उम्र ६५ है या नहीं। ऐसे प्रश्न भी पैदा हुए हैं, इसलिए इस वक्त के द्वारा तब्दीली लाई जा रही है, जिसमें प्रेसीडेन्ट आॅफ इण्डिया को यह अधिकार है जजेज की उम्र का डिसाइड करने का। क्लॉज ३ जो इस बिल का है, वह उनके रिटायरमेंट से सम्बन्ध रखता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : रिटायरमेंट की डेट एक्सटेंड की गई है।

श्री मथुरादास माथुर : Clause 3 extends the retirement age of the Judges.

Clause 4 is an amendment of article 217.

The judge of a High court is entitled to hold office until he attains the age of 60 years. The Law Commission had recomended that the retirement age should be 65 years. But now it was felt that the retirement age should be 62 years as provided in the present Bill.

Clause 5 is with regard to the transfer of High Court Judge from one High Court to another High Court. It further makes a provision that those judges who will be transferred from one High Court to another they will be given a certain allowance and a provision has been made in the Constitution accordingly.

(श्री मथुरादास माथुर)

Clause 6 is an amendment to Article 224 of the Constitution which is in respect of age.

Vide clause 7, Chief Justice of a High Court may, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of that court or of any other High Court to sit and act as a Judge of the High Court.

Clause 8 has arisen out of a decision of a Supreme Court. The seat of the Government of India is in New Delhi, therefore, any writ application under article 226 would be made to the Punjab High Court. It is now being considered necessary to make this amendment that the High Court, within whose jurisdiction cause of action arises. may issue directions, orders or writs to any person or authority.........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह बिल आपके और हमारे सामने है। आपको यदि उस पर कुछ कहना है तो कह दीजिए।

श्री मथुरादास माथुर : I am only analysirg the various provisions of the Bill.

It could be considered in two stages, one is regarding the High Court Judges, their retirement age, their transfers and emoluments etc. and the other part is clause 10. This is an amendment of clause 311 which makes it clear that reasonable opportunity should be given to the Government servants in respesct of enquiries against them.

Now, Sir, these are the main features of the Bill and I recommend that this bill may be retified.

(५.४८ म प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, भारतीय सविधान के १५वीं बार संशोधन का यह बिल आज विचाराधीन हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : May I request the Chair to limit the time.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस बहस के लिए सदन से यह निवेदन करूंगा कि प्रत्येक सदस्य इसमें १५ अथवा २० मिनट से अधिक न लें, ताकि सभी पक्षों के विचार इसमें आ सकें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : संविधान के बहुत से आर्टिकल्स, जो महत्वपूर्ण हैं, इस संशोधन के द्वारा परिवर्तित किए जाने वाले हैं और किए जा चुके हैं। राजस्थान में भी एक न्यायालय है और भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके जजेज् भी इससे प्रभावित होते हैं। आर्टिकल ३११ है उसमें सारे पब्लिक सर्वेन्ट्स प्रभावित होते हैं। इस दृष्टिकोण से भी इन विषयों पर विचार करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संशोधन द्वारा न्यायालयों के जजेज् की आयु कितनी होनी चाहिए तथा उनकी आयु के विषय में कोई

Page No 72

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विवाद उत्पन्न हो जाय तो उस विवाद का निर्णय कौन करेगा तथा जब जजेज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण हो जाय तो उनको किस प्रकार की सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी तरह से पब्लिक सर्विस कमीशन के एक्टिंग चैएरमैन के अपोइन्टमेंट के बारे में है तथा पब्लिक सर्वेन्ट्स जो हैं उनको एक बार मौका दिया जाय। इन विषयों पर हम विचार करने जा रहे हैं।

जहां तक इन आर्टिकल्स को अमेंड करने का सवाल है इन आर्टिकल्स को विभिन्न रूप से अलग लिया जाय, लेकिन पहले मैं मूलभूत सिद्धांतों को लेता हूं कि संविधान क्या है और इसमें परिवर्तन किस अवस्था में किया जाना चाहिए। संविधान की मान्यता बहुत ऊंची है। हमारे राष्ट्र के स्वतंत्र होने के पश्चात् जब हमने अपना संविधान बनाया उस समय हमारे हृदय की ये भावनाएं थीं कि यह संविधान हमारे देश के सारे कानूनों के ऊपर राज्य करेगा यह संविधान राजाओं का राजा होगा। यह संविधान अपनी शक्ति के द्वारा एग्ज़ेक्यूटिव के ऊपर सबसे बड़ा अंकुश होगा। इस भावना के साथ ही संविधान का निर्माण किया गया। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर इस संविधान के अंदर भारत के प्रत्येक नागरिक के मूलभूत अधिकारोंकी रक्षा के लिए कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए गए। उनके द्वारा जुडीशियरी को वह शक्ति प्रदान की गई कि एग्ज़ीक्यूटिव यदि अपनी निरंकुशता करता है या उस निरंकुशता के द्वारा कोई मूलभूत अधिकारों का हनन करती है, तो ऐसी अवस्था में जुडीशियरी इन्टरफिअर करने को तैयार होगी।

इन्हीं भावनाओं को लेकर जब संविधान आगे बढ़ा तो हम देखेंगे कि अब तक ऐसे बहुत से अंजेज आए केंद्रीय सरकार के और राज्य सरकारों के भी जब कि कभी जनता के मूलभूत अधिकारों के हनन करने की चेष्टा हुई तो जुडीशियरी ने इसमें हस्तक्षेप किया। लेकिन ज्यों ही यह हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो एग्ज़ीक्यूटिव उसे सहन नहीं कर सका। तब संविधान में ये तरमीम करने की नौबतें आने लगीं। ऐसे संशोधन पर आज सदन को विचार करना है।

मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि न्याय सबसे बड़ी चीज होती है। इसको आज से नहीं बल्कि, प्राचीन जमाने से हमारे शास्त्रों ने बड़ा भारी महत्व दिया है। न्याय के कुछ मूलभूत आधार होते थे :

> "श्रुति स्मृति सदाचार
> स्वस्वय प्रियमात्मनम्
> एतत चतुर्विधम् प्राहुः
> साक्षत् धर्मस्य लक्षणम्।",

इस प्रकार धर्म के लक्षणों की विवेचना करते समय हमारे शास्त्रों ने यह बताया कि श्रुति भी है, स्मृति भी है, सदाचार भी है. ये धर्म के लक्षण हैं और इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों को लेकर इस संविधान का प्रतिपादन किया गया। इसके विपरित हम इस संविधान में संशोधन लाने की चेष्टा कर हैं। संविधान फ्लेक्सीबल होते हैं और होने चाहिए। लेकिन किन परिस्थितियों में संविधान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इन सब पर विचार करना चाहिए शासन करने वाली सरकार को अपनी व्यवस्था, सुव्यवस्था और अव्यवस्था के आधार पर संविधान जैसी वस्तु को जब चाहे परिवर्तन कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

स्वस्थ परम्परा के आधार पर, प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली के आधार पर यदि हम विचार करने लगेंगे तो संविधान जैसी पवित्र वस्तु में प्रत्येक समय में अमेन्डमेन्ट लाने; संशोधन लाने, की जो परम्परा है वह स्वस्थ परम्परा के आधार पर कोई नहीं चाहेगा। इसी भावना के आधार पर जहां तक संविधान में परिवर्तन करने का प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध करते हुए यह कहना चाहूंगा कि जहां तक यह मौजूदा सूरत है उसमें आप यह देखेंगे कि संविधान की जो शक्ति वह प्रोविन्शियल स्टेट्स द्वारा बनाये हुए कानूनों से भी परे है। कोई लेजिस्लेचर ऐसे कानून का आज निर्माण कर दे जो संविधान के आर्टिकल्स और संविधान की भावनाओं के प्रतिकूल हो तो जुडिशियरी उसको तत्क्षण प्रतिकूल कर देती है। संविधान की मान्यता इतनी बड़ी है।

कानून बनाये जा रहे हैं। लेजिस्लेचर्स के द्वारा वे इस तरीके से बनाये जाते हैं जो मूलभूल अधिकार नागरिकों को दिये गये हैं संविधान के द्वारा, उन पर असर होता है तो यह सविधान की भावना के प्रतिकूल है। न तो एग्ज़ीक्यूटिव उन पर प्रभाव डाल सकती है और न लेजिस्लेचर उन पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिये एग्ज़ीक्युटिव और लेजिस्लेचर को जुडिशियरी से पृथक रखा है। जब इस प्रकार की पवित्र वस्तुएं संविधान जैसी हैं तो उन पर आसानी से परिवर्तन नहीं आने चाहिये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्राचीन समय में भी श्रुति और स्मृतियां थीं। श्रुतियां जो थीं, संविधान की पवित्र धारायें थीं और उनका निर्माण ऋषियों द्वारा किया गया था। जैसे एक कोडीफाई लॉ बनता है उसी आधार पर आप स्मृतियों को कह सकते हैं। प्रत्येक युग में देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार ही विभिन्न श्रुतियों और स्मृतियों का निर्माण किया गया है और विभिन्न प्रकार के कानून वे स्मृतियां ही करती थीं जो उन श्रुतियों के आधार पर ही थीं, उनका किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हो सकता था। जैसा वेद में भी कहा गया है कि जहां श्रुति और स्मृति में कोई डिफरेन्स की स्थिति हुई तो वहां पर प्रधानता श्रुति को ही दी जाती थी। उसमें कहा भी यह गया है "श्रुति स्मृति विरोधेतू, श्रुति रेव गरियसि" अर्थात्—When there is a conflict between Shruti and Smriti, it is Shruti that has to prevail upon. इसका मतलब यह हुआ, कहने का आशय यह हुआ कि संविधान का आशय यह है कि जिस प्रकार स्मृतिकारों ने देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार, लोगों के हितों की दृष्टि से कानून और नियमों का निर्माण किया, लेकिन जहां श्रुति और स्मृति में विरोध होता था तो जो निश्चयात्मक निर्णय दिया जाता था वह श्रुति के अनुसार ही दिया जाता था। यही पोजिशन आपके सामने है। यह लेजिस्लेचर कोई कानून बना देता है और वह कानून यदि संविधान की आर्टिकल के खिलाफ है या संविधान की भावना के खिलाफ है तो जो निर्णायक है, जुडिशियरी है, इस प्रकार का निर्णय देने के लिए सक्षम है और दे सकते थे कि ये कानून संविधान की भावना के प्रतिकूल हैं, उसकी कोई मान्यता नहीं, उसको रद्द कर दिया जावेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि जिस संविधान की इतनी मान्यता है, जिस संविधान का इतना गौरव है, उसको इस प्रकार से आसानी से परिवर्तन नहीं करना चाहिये। उन मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर मैं अपने ये विचार व्यक्त करता हूं कि संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जहां तक ये व्यूज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन का जहां तक सवाल है, मैंने आपके सामने प्राचीन काल की बातें कहीं। अब मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि श्रुतियां १८ क्यों बनीं ? यदि उस काल के लोग रिजिडिटी को लेकर चलते तो १८ प्रकार की श्रुतियों का निर्माण न होता, फ्लैक्जिबिलिटी ग्रॉफ लॉ नहीं होता तो इसका निर्माण न होता ? आप प्राचीन इतिहास को उठा कर देख लीजिये, पुराणों के अध्ययन के आधार पर विवेचन करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि श्रुतियों में परिवर्तन का अवसर आये तो उनमें परिवर्तन करना चाहिये। अब वह अवसर आये तो कब आये ? सौ वर्ष निकलने के पश्चात् जो उस काल में घटनायें घटी हैं उनको देख कर ही उसमें परिवर्तन किया जाता था। सौ वर्ष का वह अवसर माना गया और उससे पूर्व उनमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती थी। भारतवर्ष के निर्माण को कितने वर्ष हुए ? अभी १५ वर्ष ही हुए हैं और इन पन्द्रह वर्षों के अन्दर १५ वां संशोधन हमारे संविधान में हो चुका और यह सोलहवां संशोधन आ रहे हैं। मैं यह कहूंगा कि जैसी एक व्यवस्था शासन की ओर से अभी थोड़ी देर पहले दी गई, माननीय सदस्य एक बार हस्ताक्षर करके दे देते हैं और पुनः अपने नोट ग्रॉफ डिमेन्ट से बदलते हैं, उसको बदलना चाहते हैं। उसके लिए चेष्टा की। उससे उनकी मानसिक स्थिति, मानसिक अस्थिरता प्रकट होती है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि संविधान में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अधिकार है और इस प्रकार हमारे संविधान में बार बार परिवर्तन करने से हमारे राष्ट्र की मानसिक अस्थिरता प्रकट होती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : On a point of order Sir, जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं वह यह कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। भारतीय संविधान है वह सुप्रीम है, सॉवरिन है और संविधान को भी संविधान के जरिये हटा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि संविधान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिये। संविधान के लिये अपमानजनक चीज है कहते जो कि सुप्रीम है, सॉवरिन है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ठीक नहीं कह रहे हैं और उनको यह कहने का अधिकार नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्भवतः जो मैं अपनी विचार–धारा व्यक्त कर रहा हूं उसको माननीय सदस्य ने समझने की कोशिश नहीं की। मैं यह कह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन है वह फ्लेक्जिबल है, इस सिद्धान्त का मैं विरोध नहीं करता हूं। संविधान में संशोधन जरूरी हो जाते हैं, यह भी मैं मानता हूं। मैं निवेदन करूंगा कि एमर्जेन्सी के पीरियड में यदि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आवश्यक परिवर्तन किया जाय, कोई आवश्यक तरमीम की जाय, मैं उसको स्वीकार करता हूं और वह आवश्यक भी है। मैं इस दृष्टीकोण से निवेदन करूंगा कि परिवर्तन करने की प्रथा प्रारम्भ से चली आ रही है। श्रुतिकारों ने श्रुतियों में परिवर्तन किये हैं, लेकिन उसके लिये अवधि निश्चित थी। देश, काल और परिस्थितियों के अनुसार ही उसमें वे परिवर्तन करते थे। मैं केवल यह निवेदन कर रहा था कि हमने पन्द्रह वर्ष के अन्दर संविधान में १५ संशोधन किये हैं और

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

१६ वां संशोधन यह है। इससे हमारी मानसिक अस्थिरता का दृष्टिपात हो सकता है। इतना शीघ्र संविधान में परिवर्तन नहीं लाना चाहिये, यही मैं प्रतिपादित कर रहा था और माननीय सदस्य को यह समझने की चेष्टा करनी चाहिये। मेरा मतलब यह कभी नहीं था कि संविधान में परिवर्तन का जनता को या पार्लियामेन्ट को अधिकार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्जिबल है, उसमें एक बार नहीं हजार बार परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन किन परिस्थितियों में परिवर्तन करना चाहिये इस पर प्रत्येक नागरिक के क्या विचार हैं और इस दृष्टिकोण से यहां विचार कर रहे हैं।

तो मेरा निवेदन करना यह था कि जहां तक यह १५वां संशोधन आ रहा है इसका सम्बन्ध बहुत कुछ न्यायालय के जजों की उम्र के बारे में है और स्थानान्तरण किया जाय तो किन-किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिये और उनको क्या एमिनिटीज़ और फेसिलिटीज़ प्रोवाइड की जांय? दूसरा यह है कि जिस न्यायालय के जज की उम्र के बारे में विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसका निर्णय कौन करेगा?

(६ म. प.)

प्रथम प्रश्न तो यह आता है जहां आयु के बढ़ाने का सवाल है उस पर बहुत कुछ विचार किया जा चुका है, अब इस विषय में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायालयों के जजों की आयु के विषय में विवाद उत्पन्न हो जाय तो उसका निर्णय करने वाली सबसे बड़ी ऑथोरिटी कौन होनी चाहिए? मैं यह समझता हूं कि भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् कई ऐसे मौके आये हैं जबकि इन बातों पर विचार किया गया है। इस समय मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि इस संशोधन से यह बात अवश्य उत्पन्न हुई है कि हाई कोर्ट के जजेज़ जो लाखों की प्रोपर्टी का फैसला देते हैं, जिन्दगी और मौत का फैसला देते हैं, मैट्रिक पास किये हुए होते हैं, बी. ए. पास किये हुए होते हैं और भी डिग्री हासिल किये हुए हैं, एडवोकेट्स की लिस्ट में उनका एन्रोलमेंट हुआ रहता है। लेकिन उनके भी रिटायरमेंट का जब सवाल आता है तो उनके दिमाग में यह सवाल पैदा होता है कि उन्होंने जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, या स्कूल में एन्टर होते समय जो उम्र लिखायी है वह कम थी या ज्यादा थी, उसके अन्दर किसी प्रकार की तरमीम करवाना वे चाहते हैं। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जब इस प्रकार का प्रश्न पैदा होता है, जिस समय अपॉइन्टमेंट किया जाता है उस वक्त भी अपॉइन्टमेंट के समय उनकी उम्र लिखी जाती है, उस उम्र में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जुडिशियरी में काम करने वाले और केलीबर के आदमियों में मानसिक अस्थिरता व्यक्त करने की आवश्यकता पड़े, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर हम इस प्रकार का परिवर्तन लाते हैं तो हमें चाहिए कि उनके अपॉइन्टमेंट में जो एज की तारीख दी हुई है वही सही मानी जानी चाहिये। अगर हम उसको परिवर्तन करने का अधिकार देते हैं तो उसके मायने यह होते हैं कि यह हम एक प्रकार का लेकुना छोड़ देते हैं और इस तरह से गुंजाइश देते हैं जिसमें इस प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है। इस विवाद का निर्णय कौन करे? मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए हाई कोर्ट के जजेज़ का

Page No 76

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

ट्रिब्यूनल हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ का ट्रिब्यूनल हो। अगर राज्य सरकार किसी ऐसी शक्ति को इस प्रकार के विवादों के निपटाने का अधिकार देती है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के विवादों का निर्णय करने देने का प्रश्न, हमारे संविधान में परिवर्तन लाने देना और उसके लिये गुंजाइश छोड देना ऐसा मौका उन लोगों को देना चाहते हैं इस प्रकार के विवाद हमारे सामने उपस्थित कर सकते हैं। उनके अपॉइन्टमेन्ट के वक्त "delay defeats equity" ५५ वें साल में जब आते हैं तब उनके द्वारा कहा जाता है कि मेरी उम्र कम लिखी गई या ज्यादा लिखी गई, इस पर विवाद उत्पन्न होता है। इतनी बड़ी डिग्निटी वाले पद के लिये, आदमी के लिये विवाद उत्पन्न होना जहां जुडिशियरी के प्रति सम्मान होना चाहिये, यह एक प्रकार से उस सम्मान को आघात पहुंचाने वाली व्यवस्था है। इस प्रकार से इस दृष्टिकोण से इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, कोई भी एज मुकर्रर की जा सकती है। यह तो प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति ५० साल में भी ऐसा मालूम देने लगता है कि वह काम करने लायक नहीं है, दूसरा ६० या ६५ तक भी शारीरिक व मानसिक दृष्टि से अपने आपको सुदृढ़ पाता है। ऐसी हालत में इस प्रकार के व्यक्ति बड़ी उम्र तक भी काम कर सकते हैं, यह तो उनकी अपनी शक्ति पर निर्भर है। इस तरह से एज के विवाद में आपत्ति करने का मौका देना अच्छी चीज नहीं है।

दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है आर्टिकल ३११ की तरमीम के बारे में। ३११ इन्डियन कॉन्स्टीट्यूशन का मैन आर्टिकल १६ है जो नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करता है उसमें एक प्रकार का अपघात हो जायगा। किसी भी पब्लिक सर्वेन्ट को जिस पर उससे उच्च अधिकारी नाराज हो गया उसके दया का पात्र नहीं रहा, उसके मर्जी के मुताबिक काम नहीं किया, उसके लिए आसान तरीका हो जायगा उस मातहत अधिकारी को कि चाहे जब वह निकाल दे। अब तक पब्लिक सर्वेन्ट की इन्क्वायरीज़ की मिसल चलती थी तो ऐसा होता आया था कि उसको एक 'शो कॉज़ नोटिस' दिया जाता है और उससे उसका जवाब लिया जाता है और उसके बाद डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी होती थी। हो सकता है कि डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी के लिये कमीशन कायम होता है। वह कमीशन तहकीकात करेगा action proposed to be taken. आर्टिकल ३११ के अन्तर्गत जो अवसर दिया जाता था उसको दूसरी ऑपोर्चुनीटी दी जाती थी। उस संविधान के आर्टिकल में यह संशोधन आ जाता है तो जो सैकन्ड ऑपोर्चुनिटी दी जाती थी उसको यह मौका नहीं होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संविधान में इस प्रकार का संशोधन ला कर क्या कोई महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जहां पर अब तक संविधान में पब्लिक सरवेन्ट्स को जो प्रदत्त अधिकार थे उनमें संशोधन करना मैं समझता हूं उनके नागरिक अधिकारों का अपहरण मात्र है। मैं अपने विचार रख कर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो अधिकार, जो मूलभूत अधिकार पब्लिक सर्वेन्ट होने के नाते उसे दे रखे थे, पब्लिक सर्वेन्ट के दरजे को प्रोटेक्ट किया था उन अधिकारों को हम आसानी से न ले लें, इस पर विचार करना चाहिए।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

इस एमर्जेन्सी पीरियड में जो संशोधन मूव किया उस दृष्टिकोण से आर्टिकल ३११ में तरमीम किया गया है। इस आर्टिकल में परिवर्तन करने के परिणामस्वरूप यह मान लिया। अब हम कुछ कन्ट्री के बारे में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अच्छी चीजें कर सकते हैं, लेकिन यह होने वाला नहीं है। ऐसा होता आया है कि सीनियर आफिसर्स जो हैं अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों पर हाई हैण्डेड्नेस करने के लिए बहुत ज्यादा अधिकार दे कर उनको खुली छूट देते हैं, वे मन-चाहे जब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तंग कर सकते है, उनको निकाल सकते हैं, इसलिए मैं इस प्रकार का संशोधन आना आवश्यक नहीं समझता। यह संशोधन लाकर जहां आप यह समझते हैं कि पब्लिक सर्वेन्ट्स के बारे में, उनके डिस्प्यूट के बारे में, उनके विवादों के अन्त करने में सुविधा होगा, मेरी यह मान्यता है कि इन सब बुरी बातों को रोकने केबजाय, इन बुरी बातों को प्रोत्साहन देंगे, इसलिये आसानी से इस प्रकार संशोधन नहीं होने चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) उपाध्यक्ष महोदय, आज जो यह बिल आ रहा है यह कॉन्स्टीट्यूशन का १५ वां अमेन्डमेन्ट बिल है, जिसके द्वारा कॉन्स्टीट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स का अमेन्डमेन्ट किया गया है, जिसमें ६ आर्टिकल्स हैं-२१७, २२०, २२४, २२६, ३११ और २६७ हैं।

आर्टिकल ३११ सिविल सर्वेन्ट्स से ताल्लुक रखती है। पहले के आर्टिकल्स हाई कोर्ट के जजेज् से ताल्लुक रखने वाले हैं। उन आर्टिकल्स से हाई कोर्ट के जजेज् की ट्रांसफर्स उनकी एज लिमिट, इसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जायं तो उनके लिए कम्पेन्सेशन वगैरह का प्रावधान है।

जिन जजेज् की एज लिमिट बढ़ाने का प्रश्न है उस संबन्ध में मैं इस बिल की राय से मुत्तफिक हूं। मैं अर्ज करूंगा कि हाई कोर्ट के जजेज् जिनको मनुष्य जीवन, व समाज की सम्पत्ति, भारी समाज की न्याय व्यवस्था आदि के महान् अधिकार हैं वे जजेज् कितनी ही अवस्था तक जज के पद पर रहें इसमें एतराज नहीं होना चाहिये।

ऐसा व्यक्ति जिसको हम मृत्यु और जीवन के सम्बन्ध में निर्णय करने का अवसर देते हैं, वह व्यक्ति स्वयं जिस समय अपने को उस पद का कार्य करने में असमर्थ और अशक्त पावेगा तो स्वयं रिटायर हो जावेगा।

इस सम्बन्ध में एक चीज स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जो नौजवान जज आगे बढ़ रहा है इससे उसको तो कहीं रोक नहीं लगेगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे।

पर मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हो पाऊंगा कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाय, इसलिए कि जिसे रिटायर हुए छः महीने हो गये हैं तो दुबारा वह एम्पलोय हो जाता है, उस हालत में १४-१५ जजों की सीनियोरिटी के अन्दर दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति पैदा हो जावेगी।

जहां तक आयु के निर्णय करने का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी इस पार्टी का केन्डीडेट, कांग्रेस का या जनसंघ का केन्डीडेट या किसी पार्टी का केन्डीडेट इलेक्शन कमीशन के सामने २५-३० वर्ष की आयु के सम्बन्ध

Page No 78

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में आपस में दलीलें पेश कर सकते हैं। तो उनकी यह बात समझ में आती है, पर हाई कोर्ट का जज अपने मैट्रिक के सर्टीफिकेट या होरोस्कोप के आधार पर आपस में उलझन में पड़ जावें तो यह बात समझ में नहीं आती और न यह शोभा का विषय है। इसलिये इस आयु के सम्बन्ध में आर्टिकल्स में जो प्रावधान रखा गया है उससे मैं पूर्णरूप से सहमत नहीं हूं।

जहां तक ट्रान्सफर्स का सम्बन्ध है एक प्रोविन्स से दूसरे में हाई कोर्ट जजेज़ के ट्रांसफर्स का स्वागत होना चाहिये। इससे एक चीज होगी कि एक प्रोविन्स के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो एक प्रकार से जजेज़ से सम्बन्ध स्थापित करके उन पर प्रभाव डालने में सफल हो जाते हैं उसमें कमी आवेगी और इसके साथ साथ उनके प्रभाव में आकर जो वे कभी कभी इन्जस्टिस कर डालते थे उससे बचेंगे।

मैं इसके अलावा अपनी यह निश्चित राय व्यक्त करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जजों को किसी भी कोर्ट में रिटायर होने बाद प्रैक्टिस करने की इजाजत कतई बन्द कर दी जानी चाहिये और इस प्रकार की रोक लगा दी जानी चाहिये कि हाई कोर्ट के जज या और कोई भी जज अपनी पोस्ट से रिटायर होने के बाद न कोई कहीं प्रैक्टिस करें, न कोई सर्विस जोइन करें, न किसी कमीशन का चेयरमैन बने, वाइस-चान्सलर बने या कहीं हाई कमीश्नर बनाया जावे, न कहीं फोरिन कन्ट्री अमेरिका वगैरह, में भेजा जावे क्योंकि उस लालच के सामने रहते हुए जजों के अपने सर्विस काल में उनके द्वारा प्रभावित होने का डर रहता है। हाई कोर्ट के जज इस लालच की परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेशन से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं, उनके सम्पर्क में उनको आना पड़ेगा या मन्त्रियों के सम्पर्क में आना [illegible], तो आगे जाकर डेवेलप होने वाली स्थिति को भी सीरियसली रोक देना चाहिये।

अब प्रैक्टिस उनकी क्यों रोक दी जाय, कहा जा सकता है। मैं निवेदन करूं कि कोई भी जज, सैशन्स जज या हाई कोर्ट के जज या कोई जज अगर प्रैक्टिस करेगा तो क्लाइन्ट्स के दिमाग में यह निश्चित् तौर से आवेगा कि चूंकि ये जज रह चुके हैं इसलिए दूसरे जजों से इनका सम्बन्ध होगा और इससे वे मुझे लाभ पहुँचा सकेंगे। तो यह भी गलत धारणा है और इससे भी गलतियों के होने की सम्भावना है, इससे न्याय प्रभावित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक जजों को रिटायर होने के बाद फण्ड्स के देने का प्रश्न है, इसमें मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन यह देख लेना चाहिये कि वह इस प्रकार की राशि न हो कि जिससे एक्सचेकर पर ऐसी परिस्थिति में कोई असहनीय भार पड़ता हो।

अनुच्छेद ३११ के सम्बन्ध में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा अब। इसमें सिविल सर्वेन्ट्स के लिये एक प्रोविज़न था। सिविल सर्वेन्ट्स को जबकि चार्ज शीटेड किया जाता था तो रिमूव किया जा सकता था, डिसमिस किया जा सकता था या रिडक्शन किया जा सकता था। अब जो अमेन्डमेन्ट आया है उसकी तहत उनका रिडक्शन मेजर पेनाल्टी में नहीं रह कर माइनर में आ चुका है और उनको रिमूव किया जा सकता है और डिसमिस भी किया जा सकता है। इस के अतिरिक्त अनुच्छेद ३११ के तहत जब भी किसी सिविल सर्वेन्ट को चार्ज शीट किया जाता था तो चार्ज शीट की नकल दी जाती थी, जिसमें एलीगेशन्स होते थे, उसकी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सिनोप्सिस होती थी, इन्क्वायरी होती थी। अगर चार्ज फ्रेम हो जाता था तो चार्ज शीट दे दी जाती थी और कह दिया जाता था कि चार्ज प्रूव हो गये हैं और दूसरा मौका उनको इस बात का मिलता था कि वह साबित करे कि वह चार्ज उस पर फ्रेम नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिकार दूसरी ऑपोर्चुनिटी देने का भी सिविल सर्वेन्ट्स से छीन लिया गया है। यह बिल पार्लियामेन्ट में २३ ११-६२-को पास हुआ और इसके बाद यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया। सिलेक्ट कमेटी के अन्दर भारतवर्ष के प्रख्यात वकीलों की राय ली गई जिनमें सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और विश्व विख्यात सीतलवाड़ जैसे पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास जैसे लोगों से, सेन, जैसे, सी पी. देसाई, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसियेशन के लोगों से सलाह-मशविरा किया और इस सिलेक्ट कमेटीके मेम्बरों ने इन विख्यात महान् व्यक्तियों से जिनका कि भारतवर्ष के वकीलों में विख्यात स्थान है बाकायदा प्रश्न पूछा और इस सारी बात की जानकारी प्राप्त की। इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में ११ मेम्बरों ने नोट ऑफ डिसेन्ट पेश किया।

उपाध्यक्ष महोदय, जो राय इन एडवोकेट्स ने और एडवोकेट जनरल सीतलवाड़ ने प्रस्तुत की वह मैं कहूंगा। पर साथ ही एक चीज कहूंगा कि सिविल सर्वेन्ट्स जो हैं सरकार के २४ घंटों के नौकर हैं। आज दूसरी जगहों पर या फैक्टरियों में, कल-कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में अगर कोई संकट हो जाय तो वे डाइरेक्ट एक्शन ले सकते हैं, ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और फिर वहां से भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, उनके लिये सारे रास्ते खुले हैं। पर कोई भी सिविल सर्वेन्ट डाइरेक्ट एक्शन नहीं ले सकता, अपने साथियों को साथ लेकर स्ट्राइक नहीं कर सकता। इसके अलावा और दरवाजे भी जो थोड़े बहुत खुले थे वे भी इस अमेन्डमेन्ट ने बन्द कर दिये हैं।

इससे पहले भी सिविल सर्वेन्ट्स के साथ ज्यादतियां की गई हैं, यदि उनकी एग्जाम्पिल उपस्थित करूं तो वे निश्चित रूप से हजारों थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के आंसुओं में डूबा हुआ इतिहास होगा, निश्चित रूप से।

पर मैं एक जयपुर का ही किस्सा उपस्थित करता हूं कि यहां अकाउन्टेन्ट जनरल के ऑफिस में यह रिपोर्ट लिखी गई थी, पत्र लिखा गया था फाइनेन्स मिनिस्टर को कि जयपुर 'बी' क्लास सिटी होना चाहिये। जयपुर में गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया के सिविल सर्वेन्ट्स भी हैं। सिटी के 'बी' क्लास होने से 'बी' क्लास सिटी में प्राप्त सुविधाएं, मकानों का, टी. ए. डी. ए. और कुछ विशेष सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो पत्र लिखा गया कि जयपुर पांच लाख को आबादी की सिटी होनी चाहिए। और यह निश्चित रूप से पांच नहीं इससे अधिक की आबादी का शहर है।

म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ और आप में से हरेक सदस्य यह जनता है कि जयपुर के सबर्ब्स, बापूनगर, गांधीनगर आदि के लोग भी अपना वोट देकर इसके चुनावों में बाकायदा भाग लेते रहे हैं। ए. जी. को फाइनेन्स विभाग ने उत्तर में पत्र लिखा कि जयपुर की आबादी चार लाख है और जयपुर शहर की परिभाषा में उसने बताया कि जयपुर के अन्दर परकोटे में जो लोग रहते हैं वे ही जयपुर के निवासी गिने जावेंगे। उनका कहना है कि जयपुर सिर्फ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

परकोटे में ही बसा हुआ है। सबर्ब्स वाले जयपुर निवासी नहीं हैं जबकि उन्होंने भी म्यूनिसिपैलिटी के चुनावों में बाकायदा एक नागरिक, जयपुर के निवासी होने के नाते, भाग लिया है। तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जयपुर की इस तरह आबादी निश्चित रूप से ६ लाख से बढ़ चुकी है और इस तरह यह "बी" क्लास नगर होना चाहिये। लेकिन सिविल सर्वेन्ट्स को 'बी' क्लास सिटी में जो सुविधायें प्राप्त होती है और इसके लिए जो सरकार को धन खर्च करना पड़ता है उसके लिए सरकार ने इतनी बड़ी झूठ बोली, इतनी गलत रिपोर्ट गयी और इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट गयी कि उन लोगों के अधिकार का एक प्रकार से सरकार ने हनन किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा माननीय सदस्य की शंका का निवारण कर दूं कि पिछली सेन्सस की रिपोर्ट को लें तब भी ५ लाख से जयपुर शहर की आबादी अधिक बढ़ गयी थी। आज तो नये सेन्सस के मुताबिक जयपुर की आबादी ६ लाख से ज्यादा बढ़ चुकी है और जयपुर को 'बी' क्लास सिटी घोषित कर दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज जब कि इस अमेन्डमेन्ट के जरिये हमने रिडक्शन को एक माइनर पैनाल्टी मान लिया है तो रिडक्शन तो एक मामूली चीज हो गयी और किसी भी सिविल सर्वेन्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। एक ऐसा केस पार्लियामेन्ट के अन्दर उपस्थित किया गया है कि एक सिविल सर्वेन्ट जो कि हैड क्लर्क या प्रमोशन पाते पाते १५०० रुपये की तनख्वाह पर पहुंच गया और इस अमेन्डमेन्ट के पास होने के बाद उनका रिडक्शन होना शुरू हुआ और वह रिड्यूस होते होते १५० रुपये को सैलेरी पर आ गये। उपाध्यक्ष महोदय, एक सिविल सर्वेन्ट को आप रिड्यूस करें-रिडक्शन दो प्रकार का हो सकता है। आप उसको डिमोट कर देते हैं। (समय समाप्ति सूचक घंट

एक सैकिण्ड क्लास सर्वेन्ट को थर्ड क्लास सर्वेन्ट में रिड्यूस कर देते हैं या फर्स्ट क्लास सर्वेन्ट को सैकिण्ड क्लास सर्वेन्ट में रिड्यूस कर देते हैं, अब उसकी सेलेरी वही की वही रखते हैं लेकिन उसको कितनी अपमानजनक स्थिति महसूस होती है। आप इस समय दो उपमंत्री बैठे हैं। इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप एक मंत्री को अगर उप-मंत्री की जगह रिड्यूस कर दें और उसको इस बात का मौका भी न दें कि वह अपने चीफ मिनिस्टर से यह पूछ सके कि उसको क्यों रिड्यूस किया गया और अपनी सफाई भी चीफ मिनिस्टर को न कर सके, तो यह उसके लिए कितनी अपमानजनक स्थिति होगी। श्री मथुरादास जी को श्री परसराम जी मदेरणा की जगह बैठा दिया जाये और उनको अवसर भी नहीं दिया जाये कि चीफ मिनिस्टर से पूछ सकें कि उनका कुसूर क्या था और अपनी सफाई पेश कर सकें तो किस कदर अपमानजनक स्थिति महसूस करेंगे। आप सैकिण्ड क्लास सर्वेन्ट को थर्ड क्लास में रिड्यूस कर देते हैं और उसको अपने चार्ज की सफाई भी पेश करने का मौका न दें वह माइनर पैनाल्टी में आता है तो किस कदर की वह अपमानजनक स्थिति महसूस करता है। यह जो अमेन्डमेन्ट ३११ में है इससे उनके ऊपर बड़ा भारी कुठाराघात हुआ है। आज सिविल सर्वेन्ट्स की जो दुर्लक्षपूर्ण स्थिति है इस आर्टीकल के पास होने के बाद में उनकी स्थिति और भी ज्यादा दुर्लक्षपूर्ण हो गयी है। आज चपरासियों, एल० डी० सी०,

Page No 81

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
यू० डी० सी० और रेलवे और पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ में काम करने वालों की हजारों की स्थिति इस एक्ट ने बड़ा दुर्लक्षपूर्ण उनको बना दिया है। आज उनको इस बात का भी अधिकार नहीं रहा कि वे अपनी सफाई तो पेश कर सकें। बहतर तो यह था कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इसके लिए कायम किया जाता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देने की बात तो अलग है, जो कर्मचारियों को सफाई देने के अधिकार हैं ३११ के अमेन्डमेन्ट ने छीन लिये हैं। इसलिए मैं किसी प्रकार की सहमति इस संबंध में प्रकट नहीं कर सकता।

(६.२५ म. प.)

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (प्रवर समिति के सदस्य)

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि कल जो राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक, १९६३ को प्रवर समिति को सुपुर्द किया था उसके सदस्यों की नामावली इस प्रकार है :

श्री भीखाभाई	—	सभापति
श्री गोकुलप्रसाद शर्मा	—	सदस्य
श्री ज्ञानचन्द मोदी	—	,,
श्री हनुमानसिंह	—	,,
श्री गिरधारीलाल व्यास	—	,,
श्रीमती नगेन्द्र बाला	—	,,
श्री बिरधा राम	—	,,
श्री मोहनराज (बाली)	—	,,
श्री सांवलियाराम (रूपबास)	—	सदस्य
श्री दुर्गालाल बाढ़दार	—	,,
श्री रामकिशन	—	,,
श्री योगेन्द्रनाथ हांडा	—	,,
श्री केदारनाथ	—	,,
श्री देवेन्द्र कुमार	—	,,
श्री विजयसिंह झाला	—	,,

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह किस सलेक्ट कमेटी के मेम्बरों के नाम हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Select Comm ttee on Sarvajanik Udyan.

(विराम)

Shri Murlidhar Vyas.

संविधान (१५ वां संशोधन) विधेयक, १९६३ पर शासकीय संकल्प

(पूर्व क्रम से)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी रायसिंह नगर से आने वाले सदस्य ने जजेज की नियुक्ति, उनके ट्रान्सफर्स और उनकी उम्र के बारे में जो भी पालियामेंट में संशोधन हुआ है उस पर अपने विचार प्रकट किये हैं; मैं उनके कुछ विचारों से सहमत हूं और उन पर तो अपनी राय प्रकट नहीं करूंगा लेकिन खास करके जो यह जजेज की उम्र को बढ़ाने के विषय में सवाल है उस पर मेरा बड़ा ही जबरदस्त मतभेद है। मैं यह समझता हूं कि हाईकोर्ट के जजेज या सुप्रीम कोर्ट के जजेज जिनकी कि

Page No 82

(श्री मुरलीधर व्यास)
उम्र संविधान के अन्तर्गत जब ६० वर्ष की रखी गयी है और उसके बाद दो वर्ष बढ़ाते हैं तो यह बढ़ाना भी मैं अपने आप में संविधान के अन्तर्गत जो दूसरे लोगों को अपनी तरक्की पाने के जो अधिकार हैं मैं उसकी उपेक्षा समझता हूं और उस जगह यह संविधान की उपेक्षा है....

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक

(पूर्व क्रम से)

श्री उपाध्यक्ष : बीच में एक बात कहनी रह गयी है और वह यह कि यह सिलेक्ट कमेटी १५ दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

संविधान (१५ वां संशोधन) विधेयक, १९६३ पर शासकीय संकल्प

(पूर्व क्रम से)

श्री मुरलीधर व्यास :....क्योंकि एक व्यक्ति जो अपने बुनियादी अधिकारों के साथ अपना काम करता हुआ अगर ६० साल की उम्र में जो जजेज़ रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद जिनको मौका मिलना चाहिए और जो उसका एक बुनियादी अधिकार है' जो कि कॉन्स्टीट्यूशन के अधीन पहले से ही दिया हुआ है अब उसका वह अधिकार दो साल की उम्र बढ़ाने से आगे बढ़ जाता है जो कि रिटायर होने वाले हैं। तो मैं समझता हूं कि जो वर्षों से काम करने के बाद में उस स्थान पर आने वाले थे उनको उससे वंचित किया जाता है और यह उनके मूलभूत अधिकार की भी उपेक्षा है और उसको भारतीय संविधान के अन्दर दिये गये अधिकार हैं उनकी भी उपेक्षा है।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि साधारण शारीरिक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति कहां तक काम कर सकता है, उसकी बुद्धि कितनी उम्र तक ठीक तरीके से काम कर सकती है, उसके बारे में आयुर्वेद इत्यादि के अन्दर इस प्रकार का उल्लेख है और उनके अनुसार यह माना गया है कि 'साठा बुद्धि नाठा' अर्थात् ६० साल के बाद बुद्धि काम नहीं करती, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब सब के लिये यह नहीं भी मानें, लेकिन आम ऐसा होता है कि जहां तक बुद्धि का सवाल है जजेज़ को तो सारी बातें सुननी पड़ती हैं, फैसले देने पड़ते हैं और अब जब कि ६२ वर्ष की उम्र कर देंगे तो आखिर एक व्यक्ति की बुद्धि कहां तक काम करेगी, मैं समझता हूं कि इस प्रकार की दलील और फिर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने वाले व्यक्ति और अपने आप को सोशलिस्ट कहें या कॉम्युनिस्ट कहें जो उसको ठीक नहीं समझते हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो प्रावधान हैं बिलकुल गलत हैं और उनको किसी हालत में मान्य नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा सवाल जजेज के ट्रान्सफर्स का है। यह नहीं होना चाहिए, यह नहीं हो रहा है। इससे बहुत भारी नुकसान होता है, खास कर के राजस्थान के अन्दर हम यह देखते हैं कि जितने भी हाईकोर्ट के जजेज की नियुक्ति हुई, वे वर्षों से बैठे हैं, उनकी हेराफेरी नहीं होती है। उसी स्थान पर हैं और जजेज़ के जितने भी अपोइन्टमेंट्स हुए हैं वे अधिकांश कांग्रेस के लोग हैं, उनकी नियुक्तियां हुई हैं और आज सरकार जब कि कांग्रेस की है और ऐसे जजेज़ वर्षों से बैठे हुए हैं तो उनके एक ही संस्था में बैठकर संस्कार बने हुए हैं। तो यह स्वाभाविक है कि उनका असर कुछ न कुछ होता हो। वे चाहे भण्डारी हों, चाहे इन्दरनाथ मोदी हों, चाहे छंगानी हों। मै देखता हूं कि सबका

(श्री मुरलीधर व्यास)
सरकार कांग्रेस में था और आज वे हाई कोर्ट के जजेज़ हैं। कुछ मामले सरकार के भी हाईकोर्ट में हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आलीन्द) : Point of order, Sir, This is a personal reflection on the High Court Judges.

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon. Members to be careful while making any refrence about the High Court Judges.

श्री मुरलीधर व्यास : हमारे माननीय विधि मंत्री ने एक व्यवस्था उनकी ही तरफ से दी थी कि जजेज़ के बारे में और वहां की व्यवस्था के बारे में और वहां की गड़बड़ियों के बारे में पूरे अधिकार हैं, बहस कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बहस कर सकते हैं, लेकिन उनके विषय में कोई ऐसी बात नहीं कहें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने कोई व्यक्तिगत नाम पर एस्पर्शन नहीं किया है, केवल जनरल प्रकार से कहा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरी राय है कि एक संस्था में जो लोग सदस्य रह चुके हैं वे हाई कोर्ट के जजेज़ रहते हैं और फिर वही सरकार रहती है तो संस्कार रहता है, उसका असर पड़ता है, इसलिए ट्रान्सफर्स होने चाहिए। मैं अपनी बात कह सकता हूं। मुझे अपनी राय देने का अधिकार है। यह मेरा बुनियादी अधिकार है। आप उससे मुझे वंचित नहीं कर सकते। इसके ऊपर बराबर राय प्रकट करता हूं। मैं आलोचना भी करना चाहता हूं।

इसी क्षेत्र के अन्दर हाई कोर्ट के जितने जजेज़ है जिनका मैंने नाम लिया है, ऊपर मैंने देखा है कि उनके लड़के वकील हैं। वे उनके सामने खड़े होते हैं और अपनी दलीलें देते हैं और वे फैसला करते हैं। और उनके भाई वकील हैं वे आज अपने भाई के सामने खड़े होते हैं और उनके भाई का उस पर फैसला होता है, तो क्या इसका असर होता नहीं। आप दूसरे क्षेत्रों में देख लें, ऐसे नाम बता दूं कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a point of information, Sir, हाई कोर्ट के जजेज़ के लड़के या सैशन्स जजेज़ के लड़के, आपने कहा कि उनके सामने प्रेक्टिस करते हैं, यह बात नहीं है। ऐसी इन्स्ट्रक्शन्स हैं, according to their own instructions they don't appear befor the respective relatives This is the position in the High Court as well as in the lower courts.

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : हाई कोर्ट की तरफ से पॉवर होते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : Not b fore their relatives. They may appear in the High Court but not before the particular judges with whom they have relations.

श्री कृष्णकुमार गोयल : इनका मतलब....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह कहता हूं कि हाईकोर्ट के अन्दर जो जजेज़ हैं वे बराबर

Page No 84

(श्री मुरलीधर व्यास)
समझते हैं। वह उनके सामने भी जाता है तो बुरा समझता हूं! मैं तो यह कहना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार की व्यवस्था है वह असर होता है, वह किसी प्रकार से रुक नहीं सकता। हम तो मंत्रि-मंडल में देखते हैं कि भाई-भतीजे हैं उनको नियुक्तियां हो जाती हैं, उनको ऊंची-ऊंची ग्रेड मिल जाती हैं। भाई-भतीजावाद एक स्वभाविक चीज है। वह मंत्रि-मंडल में फैला हुआ है, हर जगह हैं। उसका असर वहां पर नहीं होगा, यह मैं नहीं कहता। ये सारी चीजें होती हैं। आपकी इस प्रकार की व्यवस्था है और ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान के अन्दर जितने भी जजेज् हैं वे वर्षों से बैठे हुए हैं, उनका कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है। उसकी व्यवस्था इसके अन्दर की गई है। इसको मैं बहुत अच्छा समझता हूं। राजस्थान गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि कम से कम राजस्थान के अन्दर लगातार हाईकोर्ट के जजेज् का ट्रान्सफर नहीं हुआ है, वर्षों से बैठे हुए हैं, क्योंकि कई मामलों में ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसे फैसले होते हैं जिनका आम जनता पर बहुत बुरा असर होता है। ऐसा फैसला हुआ है जैसा कि नाथद्वारा काण्ड; ऐसे मामलों में आम लोगों की ऐसी धारणा बनी हुई है, क्योंकि यह लोग एक जमात के थे। वहां पर बैठे हैं, इसका पूरा असर होता है, इस प्रकार की धारणा है। जहां तक ट्रान्सफर का सवाल है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जजेज् का ट्रान्सफर होना चाहिए और राजस्थान के अन्दर जितने भी हाई कोर्ट के जजेज् हैं उनको दूसरे प्रोविंसेज् में भेजना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो कुछ फैसले होंगे उनका अच्छा असर होगा और वे किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो सकेंगे।

दूसरा सवाल, मेरे खयाल से अनुच्छेद जो है उस पर विचार प्रकट करना चाहता हूं। ३११ का अनुच्छेद जो कि पार्लियामेंट से पास हुआ है उसके बारे में विचार करता हूं तो मैं तो यह समझता हूं कि यह सिविल सर्वेन्ट्स के लिए काली धारा है। इस धारा से मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ है वहां उसका मैं सख्त लफ्जों मे विरोध करता हूं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि एक सामान्य न्याय के दृष्टिकोण से जो हमें बुनियादी अधिकार दिये गये हैं कि हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का बुनियादी अधिकार है। आपने यह एक ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें बुनियादी अधिकार जो है जिसको प्राप्त करने का अधिकार कॉन्स्टीट्यूशन ने दिया है तो इन दो-तीन आर्टिकल्स के अन्दर, ३११ के अन्दर वह प्राप्त है, वह अब उसको प्राप्त नहीं हो सकेगा। जो छोटे फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, जो छोटे सिविल सर्वेन्ट्स हैं, चाहे वे सेक्रेटेरियट में काम करने वाले हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे पोस्ट ऑफिस के हों, टेलीग्राफ के हों, उस व्यक्ति को जो सर्विस में काम करने वाला है बिना किसी कारण के निकाल सकेंगे, उसको सस्पेन्ड कर सकेंगे, उसकी कोई एन्क्वायरी नहीं हो सकेगी, उससे कोई एक्स्प्लेनेशन कॉल नहीं कर सकेंगे, उसके कारण की जांच नहीं की जायगी, और बिना कारण आप उसको निकाल सकते हैं, ऐसा यह अधिकार आपने अपने हाथ में ले लिया। मैं समझता हूं कि यह ऐसा काला कानून है, ऐसी चीजें अधिकार में ले रहे हैं जिससे आदमी गुलाम हो जायगा, अफसरों का गुलाम हो जायगा। उसके अन्दर बोल्डनेस नहीं रहेगी, उसके अन्दर नैतिकता नहीं रहेगी और विश्वास नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि फोर्थ क्लास के कर्मचारियों से कहा जाता है कि आपको घर का

Page No 85

(श्री मुरलीधर व्यास)

काम करना पड़ेगा, बर्तन मांजने पड़ेंगे, बच्चों के जूते साफ करने पड़ेंगे। अगर नहीं करता है तो नौकरी से निकला दिया जाता है कानूनी कारण लेकर। अपील करने का उसको अधिकार था। उसके लिए कारण बताना पड़ता था। उसके बाद में उसको एन्क्वायरी होती थी। सारी चीजें आप हटा दें आप बिल्कुल निरंकुश हो जायेंगे। कुछ नहीं होगा। यह होगा कि यह अधिकार हमको मिल गया है तो आज से तुझे अलग कर दिया जाता है। वह कुछ नहीं कह सकता।

आज राजस्थान में क्या हो रहा है, राजस्थान सेक्रेटेरियेट के अन्दर तुगलकशाही तरीके से कानून बना दिया गया है कि इस तरीके से सारे कर्मचारियों को ८ बजे सवेरे से शाम के ६ बजे तक आना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि यह तुगलकशाही कानून है। आपने कह दिया कि इस तरह की व्यवस्था होगी, हमें कुछ सुविधा मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आज इस मामले में वहां का कर्मचारी कोई आवाज उठाये तो आपके ऑफिसर्स लोग बिल्कुल दवा देंगे। आज सारे लोग दबे हुए हैं, क्योंकि कोई कहता नहीं है। कर्मचारी को सुबह ८ बजे से जाना पड़ता है और शाम को ६ बजे तक अपने घर पहुँचता है। कोई ५ मील से आता है, कोई आठ मील से आता है। उनको घर का भी काम करना पड़ता है। उनको बच्चों को दवा भी लानी पड़ती है, सामान भी लाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आपने तो तुगलकशाही हुक्म लागू कर दिया कि आपको ६ बजे काम पर आना पड़ेगा। हमको काम में एफिशियन्सी लानी है, इससे काम ज्यादा होगा। मैं नहीं समझता कि आप जो कानून लाये हैं और इसमें जो व्यवस्था की है वह गलत है। गलत व्यवस्था के खिलाफ वे बेचारे लाचार हैं कि न तो बच्चों के लिए दवा ला सकते हैं और न कोई काम कर सकते हैं। वे सवेरे से शाम तक आपकी सेवा में बैठे रहेंगे, घर का कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। आपने उनको उससे वंचित कर दिया है। उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, यूनियन बनाते हैं, उसके खिलाफ कहते हैं तो वे बेचारे अब घबरायेंगे आवाज उठाते हुए, क्योंकि सरकार ने एक धारा बना दी है कि बिना कारण बताये, बिना एन्क्वायरी किये उसको अलग कर देंगे। वह बेचारा नहीं बोल सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। इस प्रकार बिल्कुल तुगलकशाही तरीके से व्यवस्था है। ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे आम व्यक्ति की आवाज बन्द हो जायेगी। एक रेलवे का मजदूर हो, चाहे दूसरे मजदूर हों, सारे मजदूरों को आपने जो लेबर डिस्प्यूट के अन्दर अधिकार प्राप्त हैं, जिसके अन्तर्गत आवाज रख सकते हैं वे सारे उन अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। मैं समझता हूं कि अनुच्छेद ३११ चाहे पार्लियामेण्ट के बड़े बड़े लोगों ने पास कर दिया हो, बड़े बड़े लोगों की मन्जूरी हो गई हो, लेकिन मैं खुला कहना चाहता हूं कि यह ३११ हिन्दुस्तान के ३० करोड़ के लगभग मजदूरों पर, मेहनतकशों पर बहुत बुरा असर डालने वाली है। यह ५-१० लाख लोगों के लिये पास की हो, ऐसा नहीं है, यह सारे कुल मिलाकर करोड़ों आदमियों के लिए जो कि सिविल सर्वेन्ट्स हैं, चाहे वे स्टेट की सर्विस में हों या और कहीं हों, उन्हें अपने बुनियादी हकों से महरूम किया गया है। यह उन पर प्रहार, और उस प्रहार के सम्बन्ध में जिसे केन्द्रीय सरकार ने पास किया हो या पार्लियामेंट ने पास किया हो, मैं राजस्थान की जनता के लिए कहना चाहता हूं कि वे

(श्री मुरलीधर व्यास)

नागरिक जो पहले से गिरे हुये हैं, जिनकी माली हालत खराब है, आज मंहगाई बढ़ती जा रही है, लोग हर प्रकार से लाचार होते जा रहे हैं, जिनके बुनियादी अधिकार हैं कि अपनी आवाज को लेकर आपके सामने बोलें कि उनके ऑफिसर उनसे ज्यादा काम लेते हैं, अपने घरों पर काम लेते है, अनुचित काम लेते हैं, उनकी खिलाफत अगर वे करना चाहते हैं तो उनको इससे आप वंचित कर देंगे। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर जनता का स्टेन्डर्ड ऊंचा करना है, अगर सिविल सर्वेन्ट्स का मोरेल ऊंचा करना है तो ऐसा न करें। आप कहेंगे कि सुरक्षा के नाम पर करना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वह व्यक्ति जिसमें आत्माभिमान चाहिए, देश के प्रति जिसमें अच्छी भावना चाहिये उसको यदि आप गुलाम बना देते हैं, अफसरों का गुलाम बना देते हैं, तो वह अपने दिल और दिमाग की आजादी को खोकर मुल्क की सेवा अच्छी तरह से नही कर सकता। इसलिए इस दृष्टिकोण को न भूलें और देश के प्रति जीवन-दान देने की इच्छा बढ़े, ये दोनों भावनाएं ऊंची रहनी चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं कि जो व्यवस्था केन्द्रीय सरकार कर रही है इस अमेन्डमेन्ट को लाकर, उसको मैं काला कानून के रूप में मानता हूं। इस पर पुनः विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य जो जयपुर से आये हैं उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी पार्टी अमेन्डमेन्ट नहीं चाहती है, मैं इस शक्ल में आपके सामने अपने विचार रखूंगा। मैं यह मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई कुरान नहीं, धर्मग्रन्थ नहीं है, बाईबल नहीं है जो अपने आप में पूर्ण हो, उसमें तब्दीली लाने की जरूरत नहीं हो। यह एक तरह का हिस्टोरिकल प्रोसेस चल रहा है जिसमे तब्दीलियां की जाती हैं। जो पहले शताब्दियों में तब्दीलियां होती थीं वे डिकेड्स में होने लगीं और डिकेड्स में होने वाली तब्दीलियां वर्षों में होने लगीं और वर्षों में होने वाली मंथ्स और डेज़ में होने लगीं। जो कहते हैं कि तब्दीली नहीं चाहिए मैं उसको नहीं मानता। मैं चाहता हूं कि तब्दीली हो लेकिन जिस मक्सद से तब्दीली लाई जाय वह मक्सद पूरा हो तो उसको ठीक कहूंगा। इसलिये इसमें जो तब्दीली आ रही है अनुच्छेद ३११ के सिवाय वह जुडिशियरी के बारे में है। चाहे आप अदालतों में जा कर देखें या घूमते-फिरते देखें जो ब्रिटिश एज में जुडिशियरी का स्टेन्डर्ड था वह आज नहीं रहा। शेक्सपीयर ने कहा है :

"Ceaser's wife must be chaste, not only chaste but beyond suspicion."

जजेज़ के बारे में यही तो कहना लाजमी है। इतना ही नहीं, जजेज़ बियोन्ड सस्पीशियन होने चाहिये। आज क्या हो रहा है ? कहीं एज के नाम से कुछ हो रहा है, कहीं यह देख रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद कहीं और जगह मिल जायगी। इसके लिये प्रेसीडेन्ट ऑफ इण्डिया को पॉवर दे रहे हैं। इस तरह से एग्जीक्यूटिव अपने हाथ में पॉवर ले रही है कि किसी तरह से जुडिशियरी को कन्फाइन करें। मैं एक Phrase पेश करता हूं :

"Shadow of the executive begins to tell upon the independence and impartiality of the judiciary of India."

Page No 87

(श्री केदारनाथ)

यदि यह स्टेज आयी है तो हमें खतरा मालूम होता है। कांस्टीट्यूशन का डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल है, उसमें फंडामेन्टल राइट्स तय किये हैं। इस बुनियादी अधिकार को शैल्टर करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसा अमेन्डमेन्ट या संशोधन उचित होगा।

इसके साथ ही माननीय सदस्यों ने कहा कि जजेज् की एज ६० साल से ६२ साल नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य भूल गये हैं कि आज हैल्थ की स्थिति बदल गई है, पहले से लोगों की हैल्थ काफी अच्छी हो गई है, लौंगेविटि और उम्र बढ़ गई है। उनका एक्सपीरिन्स, ज्ञान, इन्टीग्रिटी, competence ६० साल के बाद ही मालूम पड़ती है। इसलिये हम नहीं चाहते कि उनकी रिटायरमेन्ट की एज कम हो। हम यह भी नहीं चाहते कि रिटायरमेन्ट के बाद जजेज् लोग फर्दर एम्प्लॉयमेन्ट के लिये एग्जीक्यूटिव की ओर देखें। यह उनका डिग्रेडेशन होगा। होना यह चाहिये कि रिटायरमेन्ट के बाद न उनको कोई एम्प्लोयमेन्ट मिले, न वे प्रेक्टिस करें। उनकी एज के बारे में प्रेसीडेन्ट को पॉवर देना मैं उचित नहीं मानता। लोगों ने, पार्लियामेन्ट में जब यह इश्यू आया तब कहा कि आदमी जब स्कूल में भरती होता है तब अपनी एज लिखता है तो उस समय एज के बारे में इश्यू साफ हो जाता है, उसके बाद जब अपोइन्टमेन्ट होती है उस समय एज के बारे में पूछा जाता है। जजेज् की एज के बारे में प्रसीडेन्ट को पॉवर दिया है। उसमें एक लफ्ज् और बढ़ा दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करेंगे। मेरी समझ में कांग्रेस पार्टी, रूलिंग पार्टी का ध्यान नहीं गया कि ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस को ही सौंप देते कि वे जजेज् की एज का झगड़ा निपटा दें। या दूसरों के झगड़े निपटा दें। मेरी धारणा थी कि ऐसी चीज नहीं आनी चाहिये थी लोकसभा में।

आखिरी बात मैं विधान की धारा ३११ के बारे में बताना चाहता हूं। यह अमेन्डमेन्ट आया तब एम्पलोईज् के यूनियन ने ऐतराज किया, पिटीशन दी और कहा कि हमारे फंडामेन्टल राइट्स को प्रोटेक्ट करें हमारे दुखों को दूर करने के लिए कॉनिन्टट्यूशन ने गुंजायश रखी है फर्स्ट और सैकन्ड अपील करने की। सैकन्ड अपील पी. एस सी. को कर सकते हैं। यदि रिडक्शन होता है, डिस्मिसल होता है या और कोई बात होती है तो छोटे एम्पलोईज् कहां जायं। यूनियन्स को मजबूत करने के लिये ट्रिब्यूनल का फैसला होता है, नंदा साहब भाषण देते हैं, नेहरूजी भाषण देते हैं कि ट्रेड यूनियन्स को हक है फंडामेन्टल राइट्स प्रोटेक्ट करवाने का। लेकिन जब यह अमेन्डमेंट लाया गया लोक सभा में तो कोई नहीं बोला। एम्पलोईज् ने कहा कि इससे हमें बड़ा भारी नुक्सान होगा, हमारी लेजिटिमेट ग्रीवान्सेज् को दूर करने के लिये आप कौनसी मशीनरी सेट अप करने जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि इसके लिये सबसे अच्छा तरीका आर्बिट्रेशन है, लेकिन यह क्यों नहीं सामने आया, क्यों नहीं इसके लिये कहा गया? इन शब्दों के साथ मैं यह कहूंगा कि यह लाजमी है कि यदि आप एम्पलोईज् का मोरेल मजबूत करना चाहते है, उनमें एफिशियेन्सी और अनुशासन पैदा करना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि एमर्जेन्सी के टाइम में ये सबसे बड़े त्याग की भावना दिखावें, देश की जनता के साथ ममत्व दिखावें तो आपको सबसे पहले उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं नहीं चाहता कि आप उनके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करो, इसलिये यह अमेंडमेंट आज के

(श्री केदारनाथ)

युग में उपयुक्त नहीं है। यह कहते हैं : 'Much more evil happens under the sky and on the earth than what the philosophy can dream of.' इसलिये जो माननीय सदस्य कहते हैं कि कांस्टीट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं होना चाहिये वे गलत हैं। इन बातों पर अपने शब्द कहता हुआ स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के समक्ष संविधान के १५ वें संशोधन पर विचार करने के लिये बैठे हुए हैं। मैं इस संशोधन के संबंध में अपने कुछ सुझाव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। जो यह १५ वां संशोधन है यह कुल दो भागों में बंटा हुआ है, एक तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की आयु के लिये और दूसरा सरकारी कर्मचारियों को हटाने के संबंध में जहां तक प्रथम भाग का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज़ का सवाल है वहां पर प्रत्येक संशोधन पर विचार करने के पूर्व हमें यह मानकर चलना पड़ेगा कि आज स्वतंत्र भारत के अंदर प्रत्येक नागरिक को, उसके अधिकार ठीक प्रकार से मिल सकें, इसके लिये निष्पक्ष जुडिशियरी का होना परम आवश्यक है और वह जुडिशियरी निष्पक्ष कब हो सकती है जब कि उस पर किसी प्रकार का प्रलोभन सरकार की ओर से और अन्य प्रकार से नहीं डाला जा सके। उन पर किसी प्रकार के प्रलोभन का असर नहीं हो, उसके अलावा जुडिशियरी के जो जजेज़ हैं उनका चरित्र इतना उज्जवल हो कि उन पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सके। इन दोनों बातों का ध्यान रख कर कोई संशोधन विधान के अन्दर रखते हैं तो उस पर विचार करना पड़ेगा। इन धारणाओं को साथ में लेकर मैं विधान के प्रत्येक आर्टिकल को साथ में लेते हुए सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा। जो सबसे पहला संशोधन है वह है आर्टिकल १२४ में आर्टिकल १२४ के अन्दर यह व्यवस्था की गई है, जो अभी तक नहीं थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेज या हाई कोर्ट के जजेज़ के सम्बन्ध में, उनकी आयु के सम्बन्ध से, कोई प्रश्न हो तो उनका रिटायरमेंट हो सकता है या नहीं या रिटायरमेंट की एज बाकी है या नहीं-इस पर विचार करने के लिए अधिकार देने की बात आई है। जो मूलबिल आया था, जो संशोधन मूल एक्ट में पेश हुआ था, उसमें इसके सम्बन्ध में व्यवस्था देने का अधिकार प्रेसीडेंट को दिया गया था। लेकिन जब यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सामने गया और सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया, तो वहां पर इस अधिकार को प्रेसीडेंट के अधिकार से हटा कर पार्लियामेंट को दिया। अब प्रश्न पैदा होता है कि इस पर संसद में विचार हुआ और संसद ने प्रेसीडेंट से हटा कर यह अधिकार पार्लियामेंट को दिया कि पार्लियामेंट उसको व्यवस्था करे और निर्णय दे।

आखिर प्रश्न पैदा क्यों हुआ ? आज वे जजेज़, जो इस एज में आकर, इस आयु में आकर जब कि समाप्त कर चुके हैं और रिटायरमेंट के नजदीक हैं, अगर यह कहें कि मेरा समय रिटायर होने में बाकी है और मेरे मेट्रिक के सर्टीफिकेट में जो आयु थी वह गलत थी, उसका दुरुस्त करें और उसके ऊपर प्रेसीडेंट या पार्लियामेंट विचार करने के लिए बैठे–तो मैं सोचता हूं कि जजेज़ जो स्थान ग्रहण करते हैं, जिस सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करने के लिए हम लालायित रहते हैं, अगर वे इस प्रकार की मांग करें तो मैं समझता हूं कि वह उचित

Page No 89

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं है। इस प्रकार का जो संशोधन रखा है और आयु के सम्बन्ध में विचार करने का जो संशोधन रखा गया है, इसका मैं विरोध करता हूं। जजेज़ की जो आयु है और जिस आयु में वे इस सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हैं वह काफी है। अगर यह आवश्यकता महसूस होती है कि जजेज़ की संख्या कम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेज़ जिस मात्रा में हैं वह कम है तो वह मात्रा बढ़ाई जा सकती है। वह मात्रा संशोधन लाकर बढ़ाई जा सकती है और उस संशोधन के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज़ की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो जजेज़ बैठे हुए हैं उनकी आयु को बढ़ा कर उनको ऐसा करने का मौका देते रहेंगे कि वे कहें कि यह आयु गलत है और इसको ठीक करें, तो आप यह अनुमान लगा लीजिये कि इसका दूसरे व्यक्तियों पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। दूसरे कर्मचारी भी इस सिद्धान्त को लेकर सरकार के सामने आ सकते हैं कि जिस समय हमको अपोइन्टमेंट मिला था उस समय हमारी अल्पायु थी। जिस समय उनको नियुक्ति मिली उनको सर्टीफिकेट बता देते हैं और जब रिटायरमेंट का वक्त नजदीक आता है उस वक्त आकर कहें कि हमारी आयु ठीक की जाय। जब कि मेट्रिक पास करने के बाद एक विद्यार्थी की जन्म-तिथि ठीक नहीं की जा सकती है तो मैं समझता हूं कि जजेज़ की आयु बढ़ाने का संशोधन उचित नहीं मालूम होता। इसलिए आर्टिकल १२४ में जो संशोधन है उसका मैं विरोध करता हूं।

इसी प्रकार इसमें एक व्यवस्था और रखी गई है। वह यह है कि एक हाईकोर्ट से दूसरे स्टेट के हाई कोर्ट में जजेज़ का परिवर्तन होता रहे। जहां तक परिवर्तन का प्रश्न है इसमें कोई एतराज नहीं है। परिवर्तन होना चाहिए, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने सदन का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाया, मैं उनको फिर दोहराना नहीं चाहता, मैं समझता हूं, यह आवश्यक है। लेकिन इसमें जो व्यवस्था की गई है कि कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स दिया जाय। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था रखी गई है, यह अनुचित है। हाई कोर्ट जजेज़ को अगर वेतन-शृंखला कम मालूम पड़ती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ का वेतन कम मालूम पड़ता है तो उनका वेतन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उनका ट्रान्सफर एक जगह से दूसरी जगह किया जाय और उनको प्रलोभन के रूप में कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स दिया जाय तो वह उचित नहीं है। जो कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स रखा गया है, उसके बारे में मेरी निश्चित धारणा है कि यह कम्पेन्सेटरी अलाउन्स हाई कोर्ट के जजेज़ को इन्डिपेंडेंट रहने और उनके व्यक्तित्व को स्वतन्त्र रखने के अन्दर बाधक होगा। इसलिए इस कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स की जरूरत नहीं है। हां, उनको जो वेतन मिलता है, जो टी. ए. मिलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वह काफी है। इसके अलावा उनको कॉम्पेन्सेटरी अलाउन्स दिया जाय, यह उचित नहीं है। इसलिए मैं इस प्रावधान का विरोध करता हूं।

इसी प्रकार दूसरी व्यवस्था की गई है वह यह है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आवश्यकता पड़ने पर, जो व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं उनको प्रेसीडेंट को अनुमति से बुलाया जा सकता है कार्य करने के लिए। मैं समझता हूं, यह व्यवस्था संविधान के प्रतिकूल होगी। मैंने जैसा कि इसके पूर्व ही कहा कि मैं समझता हूं कि जुडिशियरी इन्डिपेंडेंट है, उस पर प्रभाव

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नहीं डाला जा सके, इसके लिए आवश्यक है कि जो व्यवस्था की गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ रिटायर्ड है उनको आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जाय, तो आपका यह प्रलोभन ऐसा है कि इसके कारण हाई कोर्ट के जजेज़ इन दो ड्यूरेशन ग्रॉफ रेग्रर सर्विस इस बात में व्यस्त रहेंगे कि उस व्यक्ति को खुश रखना चाहिए जिसके हाथ में यह पॉवर है, जो उनको बुला सकता है और फिर नियुक्त कर सकता है। मैं समझता हूं यह व्यवस्था गलत है। अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिक जजेज़ की आवश्यकता समझते हैं, अगर आप समझते है कि जजेज़ की संख्या ज्यादा होनी चाहिये उनके कार्य भार को देखते हुए, तो उनकी संख्या अधिक कर देनी चाहिए। परन्तु इसमें जो व्यवस्था है कि रिटायर्ड जजेज़ को आवश्यकता पड़न पर बुला सकते हैं, यह गलत होगी और उनके इन्डिपेंडेंट होने में बाधक भी होगी।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट के जजेज़ के बाद जो सबसे बड़ी बात आती है और जिस पर सारे देश का ध्यान है, सारे कर्मचारी, जो केन्द्रीय सरकार के हैं या राज्य सरकार के हैं, उनकी ओर सारे देश का ध्यान आकर्षित है। वे खुद भी संविधान के आर्टिकल ३११ की ओर ध्यान से देख रहे हैं। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि ३११ के अनुसार जो अधिकार कर्मचारियों को दिये गये हैं, वे संशोधन के द्वारा छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है या यों कहिये कि अगर यह संशोधन पास हो जाता है तो उनके अधिकार समाप्त हो जायेंगे। अब तक एक कर्मचारी, जो एक बार नियुक्त हो जाता है, का यह अधिकार हैं कि जब तक वह कोई अपराध नहीं कर देता है, जब तक कोई व्यवस्था खराब न कर दे, वह सरकारी काम करता रहेगा और इस प्रकार के अधिकार को संरक्षण देने के लिए पूर्व में संविधान में आर्टिकल ३११ रखा गया था। उसके अन्दर यह व्यवस्था थी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुराने कॉन्स्टीट्यूशन से पढ़ कर उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा ;–

" (1) No person who is a member of a civil service of the Union or an all India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed."

इस प्रकार उनकी सर्विस को सुरक्षित किया गया था आर्टिकल ३११ के द्वारा :

" (2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank until he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him"

यह जो दूसरा अनुच्छेद है, ३११ की उपधारा (२) है। इसके अन्तर्गत संशोधन करके उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। और इसके बाद में जो अन्य प्राविजो इसमें लगाये गये हैं, इसके आगे जो कुछ भी दिया गया है थोड़ा बहुत, उनके द्वारा उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मूल आर्टिकल में जो संशोधन प्रस्तुत किया था विधि मंत्री ने पार्लियामेंट के समक्ष, इसको पास करने के लिए, उसको हम पढ़ें और

Page No 91

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
सिलेक्ट कमेटी ने विचार करके जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको पढ़ें, तो दोनों को पढ़कर यह स्पष्ट हो जायगा कि वास्तव में विधि मंत्री के पास, जिनके द्वारा सिफारिश आई है कि संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, उनकी नीयत क्या थी। उनकी नीयत स्पष्ट हो जाती है कि वे वास्तव में क्या चाहते थे वे चाहते थे कि जो कर्मचारी हैं उनका मुंह बन्द कर दिया जाय, उनके अधिकार समाप्त कर दिये जायं। जो मूल संशोधन आर्टिकल ३११ में था वह इस प्रकार था :

"No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or redu ed in rank..."

इसके अन्दर से वह जो अधिकार वह यह था :

"...until he has been given a reasonable opportunity,.."

ये शब्द थे, ये मूल में से हटा दिये गये हैं। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। वे चाहते थे कि एक कर्मचारी को हटा देने का अधिकार दे रखा है, अगर उसको रैंक से रिड्यूस किया जायगा, पीनेलाइज़ किया जायगा, उसका इन्क्रीमेंट रोका जायगा, सीनियर ऑफिसर से जूनियर ऑफिसर बना दिया जायगा, यू. डी. सी. से एल. डी. सी. बना दिया जायगा इस प्रकार रेंक में उसके रिडक्शन किया जायगा तो उसके अन्दर डिफेन्स का संरक्षण नहीं रखा है। उसको जो संविधान के आर्टिकल के अनुसार अधिकार मिला था, रिडक्शन के खिलाफ अधिकार मांगने का, वह समाप्त कर दिया।

(७.० म. प.)

लेकिन जब यह मूल संशोधन सिलेक्ट कमेटी के सामने गया तो सिलेक्ट कमेटी ने इस पर विचार किया और विचार करने के बाद बहुमत से निर्णय लिया गया कि रिड्यूस्ड रैंक को माइनर पनिशमेंट मानना गलत होगा, इसलिए उन्होंने रिड्यूस्ड रैंक को भी इस में शामिल किया। लेकिन मैं यह कहूंगा कि आज भी जो आर्टिकल ३११ हमारे संविधानका एमेंड होकर आया है उस में कर्मचारियों को पूर्व अधिकार जो प्राप्त थे वे नहीं हैं। पहले किसी व्यक्ति (कर्मचारी) के खिलाफ पहले चार्ज बनता तो उसको पूछते थे और वह उसका जवाब देता था। उसके बाद उस को नोटिस मिलता था कि तुम्हारे खिलाफ यह चार्ज है तुमको नौकरी से अलग क्यों नहीं किया जाये और बाद में उसका रिप्लाई होने के बाद अगर सरकार उसके जबाब को वाजिब नहीं मानती तो उसको नौकरी से हटाती थी। लेकिन अब इस संशोधन होने के बाद :

"(2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him..."

इन्क्वायरी के रूप में जो भी इन्क्वायरी होगी वह सरसरी तौर से होगी और उस इन्क्वायरीके बेसिस पर उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस प्रकार पहले जो दो-तीन अवसर उस कर्मचारी को जवाब देने के लिए दिये हुए थे वे समाप्त कर दिये गये हैं और सरसरी इन्क्वायरी द्वारा ही आप उसको अपराधी मान कर सजा दे सकते हैं। इसके लिए आपने अलग प्रोविज़ो लगाया है और उसके द्वारा आपने उनके प्रिविलेजेज़ को समाप्त कर दिये हैं।

"Provided that this clause shall no tapply:-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(a) where a person is dismissed or removed in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge,

(b) Where the authoi y cmpowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing it is not reasonably practicable to hold such inquiry or."

सरकारी कर्मचारियों को हटाने वाला अधिकारी अगर इस नतीजे पर आता है कि वह इन्क्वायरी करना प्रेक्टिकेबल नहीं होगा तो वह उसको नौकरी से निकाल सकता है।

"(c) where the president or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry."

ठीक है, आप इन्ट्रेस्ट ऑफ स्टेट मे सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि आर्टिल ३११ का जो संशोधन हुआ है उसके द्वारा हमारे संविधान ने कर्मचारियों को जो सुविधायें दी थीं उन सब को इसमें खत्म कर दिया गया है। इसके बाद उनको इन्क्वायरी का जो नाम मात्र अधिकार है उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी सरकारी आदमी अपने अफसरों की स्वेच्छा पर नौकर रह सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में किस प्रकार का व्यवहार कर्मचारियों के साथ होता है उससे मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री भी अपरिचित नहीं होंगे। आपको भलि-भांति मालूम है कि आज फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स को किस प्रकार से नौकरियों से निकाल दिया जाता है। यदि कोई नौकर उनको जबाब दे देता है तो उसको निकाल दिया जाता है। बहुतसों को इसलिए हटा दिया जाता है कि वे उनके घरों पर उनके बच्चे–बच्चियों के कपड़े नहीं धोते, घर पर झाड़ू नहीं लगाते। मैं समझता हूं कि इस प्रकार ४० प्रतिशत लोगों की शिकायतें हैं। इसी प्रकार एल.डी. सी. और यू डी. सी. भी हैं जो अधिकारियों की मर्जी पर निर्भर हैं, उनको अधिकारियों की मर्जी या उनकी खुशी पर नौकरी में रखा जा सकता है और उनकी नाराजगी पर उनको नौकरी से हटाया जा सकता है। अगर यह परिस्थिति हो जाती है तो वह थर्ड और फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के लिए बहुत ही हानिकारक हैं। उनके लिये कोई प्रोटेक्शन नहीं है।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन के समक्ष यह जो सुझाव रखा है इसको आप केवल प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना लें। इसमें जो कमियें हैं उस पर प्रकाश डालें। अगर इस पर केवल यहां पर आपको मोहर ही लगानी है तो मैं यह कहूंगा कि आप लगा दें।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन शर्मा।

श्री जयकिशन शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने संविधान का १५ वां अमेन्डमेंट विचार करने के लिये प्रस्तुत है। इस पर दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और मैं यह कहूंगा कि हमारे यहां एसेम्बली की परम्परा इस प्रकार की हो गई है कि जो भी कोई सुझाव या कोई भी बिल या कोई भी विधेयक यहां पेश होता है, हम उसको इसी दृष्टि से देखते

(श्री जयकिशन शर्मा)
हैं कि हमें इसका विरोध करना है। मैं आपके सामने इन बातों को रखूं कि आज के युग को जो एक विज्ञान का युग है देखें तो आपको मालूम होगा कि इस युग में मनुष्य ने ही नहीं, हमने हर क्षेत्र में तरक्की की है। आज हम मनुष्य की औसत आयु की तरफ देखें तो आपको मालूम होगा कि वह भी बढ़ी है। जब हमने जजों की उम्र में वृद्धि की है तो हम देखते हैं कि आज उम्र लोगों की कितनी बढ़ती जा रही है, लोग किस प्रकार हृष्टपुष्ट है। इसलिये इस वैज्ञानिक युग में अगर आप यह कहें कि ५५ साल के हो जाते हैं या ५८ साल के हो जावें उनको बेकार कर दिया जावे, तो यह उचित नहीं होगा। इसके अलावा आपको भली-भांति मालूम होना चाहिए कि उम्र के साथ ज्ञान की वृद्धि होती है। यह तो हमारे बड़े बड़े ग्रन्थों में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार उम्र जैसे जैसे परिपक्व होती है उसकी बुद्धि भी परिपक्व होती जाती है। इसलिए जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके फैसले होते हैं वे हमारे लिये रूलिंग होती हैं और वही हमारे लिए उदाहरण बन जाते हैं। इसलिए जो जजों की उम्र बढ़ाने का संविधान में दिया गया है वह वाजिब है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती है उसी प्रकार संविधान के किन किन आर्टिकल्स में एमेन्डमेंट होने चाहिए वे होने चाहिए। इसमें हमारी सम्मति लेते हैं और हमारी पार्लियामेंट के सदस्य उसे पास कर देते हैं। आज वह हमारे सामने विचारार्थ आया है। हम इस बात को वाजिब समझते हैं और ठीक समझते हैं कि हाईकोर्ट के जजेज़ को ज्यादा उम्र तक काम करने का मौक दिया जावे और इसलिये मैं यह कहूंगा कि हाईकोर्ट के जजेज़ की उम्र ६२ साल तक बढ़ाई है वह वाजिब है और यह जो संशोधन किया गया है वह वाजिब है।

दूसरी बात जजों के ट्रान्सफर की है, वह करना वाजिब है, लेकिन इसमें एक दलील बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह दी कि बहुत से जज कांग्रेस के हैं। इस संबंध में मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं वे कांग्रेस से निकले हुए हैं। काम्युनिस्ट और दूसरी पार्टीज़ के भी कर्णधार नेता हैं वे भी कांग्रेस से निकले हुए हैं। अगर आप कांग्रेस के जजों पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपको चाहिए कि आपके जो पार्टी के नेता हैं और जो कांग्रेस से ही निकले हुए हैं, उन पर भी विश्वास न करें।

दूसरी बात जोधपुर के हाई कोर्ट के जजेज़ के बारे में बताई और उदाहरण दिया मैं नामजद बताना चाहता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि वह बात यहां उचित नहीं होगी....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : Point of order, Sir, माननीय सदस्य ने कहा कि बीकानेर से निकले हुए नेता कांग्रेस के हैं। मैं कभी कांग्रेस में नहीं रहा....

श्री जयकिशन शर्मा : मैं थर्ड और फोर्थ ग्रेड नेताओं की बात नहीं करता। मैं आपके बड़े बड़े फर्स्ट रेट नेताओं की बात करता हूं। आपके नेता श्री कृपलानी, श्री लोहिया....

श्री मुरलीधर व्यास : कांग्रेस की गड़बड़ियों को देख कर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष: Order please ! order !! That is out of point.

श्री मुरलीधर व्यास : कांग्रेस बैलों की जोड़ी को लोगों को दिखा कर और धोखा दे कर आप यहां आ गये हैं।

श्री जयकिशन शर्मा : धोखा देने का ठेका तो आपने लिया है।

(शोर-गुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !! That is out of point.

श्री जयकिशन शर्मा : इसलिये आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो कुछ उन्होंने कहा और हाई कोर्ट के जज हैं उनके बारे में बताया; वेदपाल त्यागी हैं, इन्द्रनाथ मोदी हैं। ये तो आॅपोजिशन के मेम्बर्स थे। दौलतमलजी भंडारी साहब कांग्रेस को तरफ से पार्लियामेन्ट के सदस्य रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : I will request the Hon'ble Member to avoid taking names.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : बहस के दौरान किसी हाई कोर्ट के जज का नाम नहीं लिया जाना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : On a point of order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं कि कौन जज कांग्रेस के थे और कौन विरोधी थे; यह हाई कोर्ट की रेपुटेशन के ऊपर नहीं जाता, न हाई कोर्ट पर कोई मोटिव ही इम्प्यूट करता है। इसलिये माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं तो लेने दिया जाय कि कौन-कौन कांग्रेसी थे और कौन-कौन विरोधी थे।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : विरोधियों में तो कोई काबिल नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नाम लेने में कोई खास बात नहीं आती है, नामों को बचा कर भी सारा विवाद हो सकता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि नाम नहीं लेवें।

श्री जयकिशन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि संविधान के अनुच्छेद ३११ में जो संशोधन जजेज को ट्रांस्फर का हुआ है वह वाजिब है। जो ट्रान्सफर्स होते हैं उनमे इस प्रकार का स्वच्छ वातावरण पैदा होता है और जजेज दूसरी जगह जाकर अपने वच्र्यू का इजहार कर सकते हैं, और न्याय की जो कड़ी है उसको बढ़ा सकते हैं। इसलिये जो अमेन्डमेंट हुआ है है वह बिलकुल ठीक है।

२६-२७ को अविश्वास के प्रस्ताव पर डिस्कशन होगा उस समय भ्रष्टाचार की बातें करेंगे, तो ३११ में जो अमेन्डमेंट हुआ है उसे सिविल सर्विसेज में सुधार करना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बात की जाती है वह कुछ अंश में है तो उसको इससे दूर करना चाहते हैं। इसलिये जो ३११ में संशोधन हुआ है वह अच्छा प्रशासन देने के लिये हुआ है, इसकी मैं ताइद करता हूं, हमारे सदन को एक मत से इसे पास करना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने, जो अपने विचार रखे उसमें दो तीन मुद्दे सदन में खास तौर से चर्चा के विषय बने। एक तो जहां तक हाई कोर्ट के जजेज के सम्बन्ध में है, उनके एज आॅफ रिटायरमेंट, सुपरएन्युएशन की ६२ साल की इसके द्वारा की जा रही है। माननीय सदस्य ने अपने विचार रखते हुए यह राय दी है कि यह नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

होना चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरे देशों में और हमारे सुप्रीम कोर्ट मे भी जजेज की ६५ साल की रिटायरमेंट की एज है इङ्गलैण्ड में पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेज के रिटायर होने की कोई एज नहीं थी। एक बार एपोइन्ट होने के बाद या तो खुद सरेंडर कर दें या डेथ हो जाय, वह अलग बात है पर रिटायरमेंट की कोई एज नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यह व्यवस्था तो मंत्रियों के लिये लागू कर देनी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व): मंत्रियों के लिये तो है।

श्री मथुरादास माथुर: आज भी ७०-७५ साल तक की एज ऑफ रिटायरमेंट इङ्गलैण्ड में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की है। जो जो आदमी तजुर्बे से ७०, ६२, ६० साल के हो जाते हैं, तो जुडिशियल मामलों में अच्छे फैसले दें, चाहे न्यूजीलैण्ड को लीजिये, चाहे इङ्गलैण्ड या अमेरिका को लीजिये, सभी जगह जजेज के रिटायरमेंट की एज ७० साल या ७० साल के ऊपर की है। ऐसी हालत में हमारे देश में ६२ साल का सुझाव आया है और विधान में परिवर्तन की बात लाई गई है तो वह बिलकुल ठीक है।

दूसरी बात जिसे माननीय सदस्यों ने ठीक ही माना है कि हाई कोर्ट के जजेज का ट्रान्सफर एक जगह से दूसरी जगह होना चाहिये, इस प्रकार की व्यवस्था से फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म की कोई शंका होगी तो वह दूर हो सकती है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होगा तो उनके लिये-यात्रा व्यय, टी. ए, डी. ए. की व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था तो होनी चाहिये। आपने हाई कोर्ट के जजेज को इतनी बड़ी तनख्वाहें इसलिये दे रखी हैं कि आपको जजेज काबिल मिलें, बाहर के प्रोफेशन से जो अर्निंग होती, बैंच में अच्छी तनख्वाह नहीं हो तो वहां अच्छे और काबिल आदमी जाना नहीं चाहेंगे। हमारे देश में जो व्यवस्था है, उसमें आम लोगों को जुडिशियरी में पूरा विश्वास है। यदि कहीं एग्जीक्यूटिव लोगों के राइट्स को कर्ब कर दें तो जुडिशियरी को अधिकार दिया है कि वह लोगों को प्रोटेक्शन और न्याय दे। बड़ी अहम जिम्मेदारी है इन पर, तो सुविधा भी दी जानी चाहिये।

एक चर्चा सरकारी नौकरों के सम्बन्ध में और उनकी जांच के सम्बन्ध में चली, विधान बनाते वक्त भी यही मन्शा थी। उसके बाद, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद इन्टरप्रिटेशन लागू हुआ। आज कोई कर्मचारी गलती करता है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन देते हैं। इस पर उसका जवाब आता है, शहादत होती है, इसके बाद उसकी डिफेन्स वगैरह होकर रिकमन्डेशन होती है कि उसे डिसमिस किया जाय। इसके बाद एन्क्वायरी ऑफिसर उसे फिर से शो कॉज नोटिस और देता है कि डिसमिस क्यों नहीं किया जाय। तो विधान में तरमीम लाने की मंशा यह है कि हर कर्मचारी को जवाब देने का, एविडेन्सेज का, डिफेन्स का पूरा मौका मिलेगा पर जो फिर दुबारा वही मौका दिया जाता है वह नहीं दिया जायगा। शो कॉज नोटिस के बाद फिर जो दुबारा प्रोसीडिंग्ज चलती हैं उनसे बड़ी देर हो जाती है. तो इस तरमीम का एक मकसद उसको प्रोटेक्शन देने का और दूसरा मकसद

(श्री मथुरादास माथुर)
करप्ट प्रेक्टिस को बन्द करने का है। मैं समझता हूं कि विधान में जो कायदा है वह डिले को कम करता है, इसलिये इससे किसी पर कोई कुठाराघात नहीं किया गया है, न मजदूरों पर, न गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स पर। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी,....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : पहले गलती से रख दिया था ?

श्री मथुरादास माथुर : गलती से नहीं। विधान बनाने वालों की मंशा यही थी पर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग होने के बाद इन्टरप्रिटेशन से शो कॉज़ का बना। अब आपकी भी यही मंशा है कि मौका मिलना चाहिये तो मौका दिया जाता है। पहले उसको स्टेटमेंट आफ एलिगेशन दिया जाता है, उसको जवाब का मौका दिया जाता है, एविडेन्स होती है, उसकी ओर से डिफेन्स होती है, फर जजमेंट की रिकमन्डेशन होती है, उसके बाद फिर वही कार्यवाही दोहराई जाती है। शो कॉज़ नोटिस दिया जाता है और वह फिर वही जवाब देता है तो सैकन्ड थिंग सुपरफ्ल्युअस है, उसको हटाया गया है, लैंग्वेज की एम्बिग्विटी है उसको हटाया गया है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल से सम्बन्धित दो मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ के सुपरएन्युएशन की तब्दीली और साथ साथ सरकारी कर्मचारियों के बारे में। बाकी माइनर मैटर्स हैं। ऐसी सूरत में मैं निवेदन करूंगा कि हमें इस बिल को मन्जूर करना चाहिए। फिफ्टीन्थ अमेन्डमेन्ट सदन स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संकल्प माननीय विधि मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे पारित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : On a point of order Sir, the House has no quoram.

श्री निरन्जननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, शिक्षा) : Point of order cannot be raised when a question is being put.

श्री उपाध्यक्ष : Besides, it has got the quorum.

(विराम)

प्रश्न यह है कि संकल्प पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

संकल्प पारित हुआ।

(७.२१ म.प.)

भारत का संविधान (१६ वां संशोधन) विधेयक, १९६३ (शासकीय संकल्प को प्रस्तुति, विचार–विमर्श एवं स्वीकृति)

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I move, That this House ratifies the amendments to the Constitution of India, proposed to be made by the Constitution (Sixteenth Amendment) Bill, 1963, as passed by the House of Parliament."

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आज, जो संशोधन हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, मैं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सोचता हूं कोई व्यक्ति हो, जो भारतवर्ष की सार्वभौमिकता के बारे में शपथ लेने में अथवा उसके प्रति सिन्सियर रहने में कोई शक करता हो। ऐसा कोई व्यक्ति तो दूसरा नहीं केवल देशद्रोही हो सकता है और इसी नाते मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। लेकिन इससे पूर्व हमें यह अनुमान लगाना पड़ेगा कि आखिर ऐसे संशोधन की आवश्यकता क्यों हुई ? इतने समय बाद देश की सार्वभौमिकता के बारे में संशोधन रखने का क्या मकसद है ?देश के अन्दर बढ़ती हुई अराजकता, साम्प्रदायिकता, प्रांतीयता और दूसरी ऐसी बातों को लेकर जो इस प्रकार के देश के अन्दर तत्व खड़े हुए है और विघटनकारी प्रवृतियां उभर रही हैं, उनको रोकने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि इस प्रकार का कानून लाया जाय और इस प्रकार का एक संशोधन रखा जाय कि विधान सभा या ससद के लिये चुने जाने से पूर्व वह व्यक्ति शपथ ले। तो क्या इस प्रकार के संशोधन करने से ही जो देश के अन्दर अराजकता है, साम्प्रदायिकता है, पंचगामी लोग हैं, वह सब समाप्त हो जायगा ? इसके लिए हमें अपने पुराने इतिहास को देखना पड़ेगा, हमने जो गलतियां की हैं उनको देखना पड़ेगा, जिससे ये सारी प्रवृतियां बढ़ी हैं। इसके लिये दोषी समाज-व्यवस्था है, लेकिन उससे अधिक दोषी वह सत्तारूढ़ दल है, जो सरकार बनाकर बैठा है।

आज हम कांग्रेस के इतिहास को देखें। जिस दिन से आजादी मिली तब से लेकर देखें तो सारे का सारा इतिहास कांग्रेस का इस प्रकार का मिलता है। वह इतिहास तुष्टीकरण की नीति पर आधारित है। एक वर्ग को संतुष्ट करने का नतीजा क्या निकलता है ? पाकिस्तान का जो स्वप्न था उसका साकार रूप मिला। उसके उपरान्त पाकिस्तान ने हमसे समय २ पर सुविधाएं ली। नहरी पानी समझौता हुआ, उसे बारुबेरी दिया गया। उसके उपरान्त आसाम में उसका क्रम जारी है। त्रिपुरा में मुसलमानों का बहुमत है और आसाम के अन्दर मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से योजनाबद्ध तरीके से निकाले जा रहे हैं और आसाम में बसाये जा रहे हैं वह बहुमत को लाने के लिये। चीन के आक्रमण से पहले वह हर तरह से अमरीका के साथ था, लेकिन बाद में सीमा समझौते के प्रश्न को लेकर चीन से सम्बन्ध जोड़ लिया। इस प्रकार पंजाब में अकाली दल की मांग हुई। अकाली दल ने क्या नहीं किया देश के अन्दर। मास्टर तारासिंह को कुचला गया तो संत फतेहसिंह पैदा हुआ। इन सब बातों के लिए अगर सत्तारूढ़ दल कहे कि हम जिम्मेदार नहीं हैं तो वह इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।

जो तुष्टीकरण की नीति है, जो बहुमत को बनाये रखने को प्रयास किये जा रहे हैं, इस प्रकार की मनोवृति से ऐसी प्रवृत्तियों को बल मिलता है। अगर कोई देश के प्रति वफादार नहीं है, तो उसके साथ तुष्टीकरण की नीति नहीं बल्कि ऐसी कड़ी नीति अपनानी चाहिए जिससे कि वह देश के खिलाफ आवाजें उठाने का साहस न कर सके। तो मैं निवेदन करूंगा कि इस संरक्षण की नीति को आपको बदलना होगा।

अब शैडिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रश्न पर आता हूं हम लोगों ने संविधान के अन्दर इनको संरक्षण अवश्य दिया है, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या जिस व्यक्ति को वास्तव से संरक्षण मिलना चाहिए था

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
उसको वह मिल पाता है या नहीं। उनके लिए विधान सभा के अन्दर, संसद के अन्दर, नौकरियों में स्थान सुरक्षित होते हैं। मेरे विचार से कोई केवल निम्न वर्ग में पैदा हो, उस कारण हम उसे शिड्यूल्ड कास्ट मान लें, वह ठीक नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का व्यक्ति वह है जो पद दलित हो, समाज ने जिसे अपने पास स्थान न दिया हो और उसके साथ खाता नहीं हो। मोची वह है जो मोची का काम करता है। शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति वही है जिसकी आर्थिक स्थिति वास्तव में इतनी गिरी हुई हो कि समाज में वह स्थान न प्राप्त कर सका हो। आज संरक्षण उसको नहीं मिलता जिसको मिलना चाहिये। संविधान में ऐसी अलग व्यवस्था से कुछ चंद लोगों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मैं अन्त में इस संशोधन का समर्थन करते हुए सत्तारूढ़ दल से निवेदन करूंगा कि इससे पूर्व कि इस प्रकार का संशोधन यहां लाया जाय, हमें आज देश के अन्दर नया इतिहास आरंभ करना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : मैं निवेदन करूंगा कि न जाने गृह मंत्री महोदय क्यों इतनी जल्दी करना चाहते हैं। यह संशोधन देश की अखंडता में विश्वास प्रकट करने और उसके बारे में चर्चा करने के संबंध में है। इस पर सदन को काफी मौका मिलना चाहिये। अगर आप इस तरीके से ५ मिनट में समाप्त करेंगे तो उसका महत्व....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) : मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं चेयर से अर्ज करूंगा कि यह बिल देश की अखंडता के संबंध में है। जो भी विचार आयें, सारे सदन के लोगों को चर्चा करने का मौका मिलना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि १५ मिनट में ही समाप्त करना है तो अच्छा होगा कि इसे किसी दूसरे दिन ही रखा जाय।

मैं चाहता था कि मेरे बहुत से साथी लोग यहां उपस्थित होते तो उनके विचार भी आ जाते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यों तो किसी माननीय सदस्य पर किसी प्रकार से अविश्वास प्रकट नहीं करता परन्तु मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जहां कि हर दल को, हर व्यक्ति को इस पर अपना विश्वास प्रकट करना चाहिये, यहां पर कोई दल उपस्थित नहीं होता तो ऐसा भान होता है कि इस पर हमारा विश्वास नहीं है। ऐसा कौन सा दल है, कौन सा नहीं, मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरे मित्र मेरे पास में बैठते हैं, जिनके लिए मेरा विश्वास है, देश की अखंडता या देश की सार्वभौमिकता पर उनका विश्वास नहीं है। यही नहीं, ऐसी मेरी मान्यता है कि यदि यहां वे उपस्थित ही न हों और इस पर अपनी ओर से एक शब्द भी न कहें तो गृह मंत्रीजी इस पर अन्दाज लगा लें।

जहां तक इसका सवाल है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। आज कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, जो इस देश में पैदा हुआ हो, जिस देश के जल, नमक और अनाज से पला हो और उससे यह कहा जाय कि देश की सार्वभौमिकता के सम्बन्ध में, देश की अखंडता के सम्बन्ध में तुम शपथ लो और वह उसको

(श्री मुरलीधर व्यास)
इन्कार करे और कहे कि मैं ऐसा नहीं करता तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो देश का नमक खाता है और उसके सम्बन्ध में कोई काम नहीं करता है, उसको अखडता के विषय में शपथ नहीं करता है तो वह XXXX है, वह देश के प्रति XXXX है।

हांडा सहाब आ गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): नमक हलाली दिखाने आया हूं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो किसी पर आरोप नहीं लगा रहा था। चोर की दाढ़ी में तिनका रहता है वह स्वयं कह देता है, मैं इतना ही कह देना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके पेट में दाढ़ी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों को अलग २ बिठाया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : शरीर के पांव में यदि कोई कांटा चुभता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो आपसे दो-दो हाथ रखने का इरादा रखता हूं।

मुंह से क्या बात करें ?

श्री मुरलीधर व्यास : देश की अखंडता पर, देश की सार्वभौमिकता कर कोई प्रहार हो, कांटा चुभने पर शरीर के हर भाग में उसका असर होता है तो उसी प्रकार देश के हर व्यक्ति पर इसका असर होना चाहिये।

इस बिल मे मैं खामी देखता हूं वह पूरी होनी चाहिए। इसके अन्दर क्या है कि देश की सार्वभौमिकता के सम्बन्ध में व्यक्ति को शपथ लेना है। व्यक्ति तो उसके लिए वफादार रहे। शपथ लेता है और उसकी खिलाफत करता है, गैर-वफादार होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। परन्तु कोई पार्टी हो, पार्टी ऐसी कि जो रिजोल्युशन्स पास करती है और जो हमारे सार्वभौमिकता के खिलाफ पड़ते हो तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं, आज देश के अन्दर इसकी सार्वभौमिकता को कोई व्यक्ति धक्का नहीं पहुंचा सकता, कोई सोच कर धक्का पहुंचाये तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है; लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की इन्टीग्रिटी के सम्बन्ध में और इसकी अखंडता के सम्बन्ध में आज कई राजनैतिक विचार हैं, भिन्न २ विचार-धारायें काम कर रही हैं और उनको गहराई मे देखना चाहिए और उन पर गहराई से विचार करना चाहिये। देश के अन्दर ऐसी भी विचार धारायें हैं जो यह मानती है कि हमारी विचार-धारा सारे विश्व में हो, सारे विश्व में साम्यवाद हो, एक ऐसी सरकार हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक साम्यवादी सरकार हो, जिनकी राजनीति और उनके राजनैतिक विचार बिल्कुल एक बने बनाये हैं, जो अपने विचारों के अनुसार यह मान्य करती है कि दुनिया के सारे साम्यवादी एक है और साम्यवादी जो भी काम करता है वह दुनिया के हित में काम करता है। जिस विचार-धारा के लोग यहां रहने वाले हैं तो वे इसको कैसे मानेंगे ? इस देश की अखंडता और सार्वभौमिकता के संबंध में वे कैसे मानेंगे जब कि उनका दिल और दिमाग इसके विपरित है ? विपरीत से मेरा

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मतलब यह है कि जिनकी पार्टीज़ के विचार इसकी सार्वभौमिकता के खिलाफ हों और जिनके राजनैतिक विचार हो ऐसे बने हुए हों वे इसको कैसे सोच सकते है ?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : यह ऐसा नहीं हुआ है ?

श्री मुरलीधर व्यास : यह होने का सवाल नही ।कॉम्युनिस्ट पार्टी की जो बुनियादी विचारधारा है वह मैं आपको बता रहा हूं । उन्हें इससे कोई इनकार नहीं करना चाहिये, अगर वे कॉम्युनिस्ट पार्टी के सच्चे वफादार सदस्य हैं । यद इन्कार करते हैं तो वफादारी से वंचित होते हैं और पार्टी के खिलाफ काम करते हैं ।

जो कुछ मान्य कर चुके हैं साम्यवादी व्यवस्था के अन्दर, साम्यवाद का एक झंडा हो, एक विचार हो, एक पार्टी हो और सारे देश में साम्यवाद इस प्रकार से हो, वे कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं, समझ जाओ, चीन हिन्दुस्तान पर हमला करता है । चीन कहता है, मैं हिन्दुस्तान पर हमला नहीं कर रहा हूं । हिन्दुस्तान में सामन्ती व्यवस्था है, पूंजीवादी व्यवस्था है । मैं हिन्दुस्तान में साम्यवादी विचार लाना चाहता हूं । मैं जनता पर हमला नहीं करना चाहता, बल्कि जनता की हुकूमत पर जो सामन्ती हैं, पूंजीवादी हैं और अमेरीका के ऊपर जो चलने वाली है, इस विचारधारा के साथ वह आक्रमण करता है । उसकी एक विचारधारा है । हिन्दुस्तान के कॉम्युनिस्ट जो खुद यह मानते हैं इस भावना के आधार पर कि चीन सारे विश्व में साम्यवादी व्यवस्था करना चाहता है, सारे विश्व में वह साम्यवादी व्यवस्था फैलाना चाहता है, उस आधार पर वह हिन्दुस्तान में आता है तो उनकी दृष्टि में उसका आना हिन्दुस्तान के अन्दर गैर कानूनी नहीं है, गलत नहीं है । वे कहेंगे यह तो हमारी विचारधारा के अनुसार है और उसके साथ मिल कर हमको काम करना चाहिये । अगर वे काम करते हैं तो वफादारी के आधार पर काम करते हैं, उनकी पार्टी की नीति है उसके आधार पर काम करते है । मैं कहना चाहता हूं कि शपथ की बात कह देने से क्या विश्वास हो जायगा ? पर मेरी यह मान्यता है कि दुनिया का कोई साम्यवादी जो उस नीति का मानने वाला है, यदि चीन हमला करता है, बन्दूक लेकर हिन्दुस्तान के सैनिकों के मुकाबले में खड़ा होकर बन्दूक चलाये और हमारे सैनिकों का खून भारत भूमि पर गिरेगा तो साम्यवादी दूसरी बन्दूक उठायेगा और भारत के सैनिकों के आगे बढ़ने पर गोली चलायेगा और कहेगा कि मैं तो अपनी पार्टी की नीति के आधार पर काम कर रहा हूं क्योंकि साम्यवाद की एक निश्चित नीति है और मैं उसके खिलाफ काम नहीं कर सकता । लेकिन हिन्दुस्तान की जनता को अपने प्यारे देश से प्रेम है, वह अपने देश की वफादार रहना चाहती है, वह चाहती है कि देश हमारा गुलाम न हो, वह उसका मुकाबला करेगी । हिन्दुस्तान के अन्दर साम्यवाद के खिलाफ कोई भावना नहीं है । खुद रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कभी भी कॉम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नहीं लगाया । कभी नहीं कहा कि मैं कॉम्युनिस्ट पार्टी से खड़ा हुआ हूं । इसलिए नहीं कहते कि उन्हें मालूम है कि उन्होंने यदि किसानों को कहा कि मैं कॉम्युनिस्ट पार्टी से खड़ा हुआ हूं तो वे उनको वोट नहीं देंगे । वे कॉम्युनिस्ट पार्टी का झंडा नहीं लगाते । यदि कॉम्युनिस्ट पार्टी से कहते तो मैं यह कह सकता हूं कि जो कॉम्युनिस्ट

(श्री मुरलीधर व्यास)
पार्टी देश के साथ कभी वफादार नहीं रही क्योंकि उसकी नीति ही इस प्रकार की है, वे कभी वोट नहीं देते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कई बार भावना से नहीं, जो सच्चा कॉम्युनिस्ट होगा, वफादार होगा और वफादारी से उसकी पार्टी की सदस्यता स्वीकार करता है, चाहे जितना आपको, हमको गुमराह करे, कहेगा कि हम भी वफादार हैं देश के प्रति, सोना और चांदी देश की रक्षा के लिए जमा कर रहे हैं। यह मैं ही नहीं कहता, इतिहास भी हमें बतलाता है कि सन् ४२ का जन आन्दोलन चालू हुआ, महात्मागांधी ने 'करो या मरो' का नारा दिया उस समय जब कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे किन्तु हम यह जानते हैं कि कॉम्युनिस्ट लोग उस समय भी जब हम मजदूरों को हड़ताल करने के लिये कहते थे और कहते थे कि देश की आजादी के लिये हड़ताल करो, तो ये ही कॉम्युनिस्ट भाई कहते थे कि हड़ताल मत करो, अभी हड़ताल ठीक नहीं। प्रारम्भिक स्टेज में तो वे हमारे साथ रहे क्योंकि उस समय हिटलर ने हमला किया था, क्योंकि उस समय रूस और हिटलर दोनों मिले हुए थे। दूसरे महायुद्ध में कुछ अर्से तक मिले रहे, हिटलर और रूस दोनों मिल कर हमला कर रहे थे। लेकिन उसके बाद में जब रूस के ऊपर हिटलर आ पहुँचा और उसने देखा कि रूस को हड़प किये बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है तो उसने रूस पर हमला कर दिया। उसके बाद रूस और अंग्रेज जब मिल गये। हमारी तब अंग्रेजों के साथ आजादी की लड़ाई चलती रही, लेकिन जब रूस अंग्रेजों के साथ मिल कर हिटलर से लड़ने लगा तो हमारे कॉम्युनिस्ट साथी कहने लगे कि अब जनता की लड़ाई चल रही है, अब हमें सरकार का साथ नहीं देना चाहिये। तब मजदूरों की हड़तालें की जाने लगीं। नागपुर के अन्दर जिस समय गोली चली थे ही लोग थे जिन्होंने बताया कि किन-किन आदमियों ने आग लगवाई, किन किन ने क्या काम किया, उस समय इन्होंने सी० आई० डी० का काम किया। इन्होंने जयप्रकाशनारायण जैसे आजादी के सेनानी को गद्दार बताया। श्री सुभाषचन्द्र बोस, जिनसे हमने आजादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा ली, जो हमारे आजाद हिन्दुस्तान के प्रथम सेनानी थे, जिन्होंने आजाद हिन्द फौज का निर्माण कर देश को आजादी दिलाया उन सुभाषचन्द्र बोस को भी ये लोग गद्दार कहते हैं। ये लोग ऐसी प्रवृत्ति करने वाले हैं, उन लोगों के लिये भी अगर हम यह मान लेते है कि वे यदि सार्वभौमिकता की शपथ ले लेते हैं तो क्या वे मुल्क के वफादार हो जायेंगे। यदि हम केवल शपथ मात्र लेने से निश्चिन्त हो जाते हैं कि ये लोग हमारे देश के प्रति वफादार रहेंगे, मुल्क के प्रति वफादार रहेंगे मैं समझता हूं यह मुल्क के लिये बड़ा भारी नुकसानदायक हो सकता है। आज हम देखते हैं कि कॉम्युनिस्टों में भी दो विचाराधारायें चल पड़ी हैं; कौन चीन का समर्थक है और कौन रूस का, यह नहीं कह सकते हैं। लेकिन कॉम्युनिस्ट की जो सही मायने में थ्योरी है, मार्क्सिस्ट विचार-धारा है उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति जो विश्व में साम्यवाद का प्रसार-प्रचार चाहता है, अगर इन विचारों के खिलाफ अगर कोई कॉम्युनिस्ट जाता है उसकी नीति के खिलाफ जाता है, उसकी नीति के खिलाफ बातें करता है वह किसी भी हालत में अपनी पार्टी के प्रति वफादार नहीं कहला सकता। इसलिये इसके अन्दर

(श्री मुरलीधर व्यास)
जहां हम पर्सन को लेते हैं वहां पार्टी को नहीं लिया गया है। पार्टी यदि वफादार नहीं है तो पार्टी प्रस्ताव पास कर सकती है और दूसरे दूसरे काम कर सकती है।

हमारे साथी जो हनुमानगढ़ से आये हैं या रायसिंहनगर से आये हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप एसेम्बली चुनाव लड़कर आये, आपने कभी चुनाव सभायें की, उसमें अपनी पार्टी का झंडा लगाया, क्या कभी नहीं लगाया यहां तक कि इन्होंने यह भी नहीं कहा कि हम कम्युनिस्ट हैं। मुझे याद है जब हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को पूछा गया तो यह कहा गया कि मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं हूं और न आपने कभी झंडा खड़ा किया, आप जीत कर आ गये। होना तो यह चाहिये था कि जिस पार्टी से वे सम्बन्ध रखते हैं उसका झंडा उनकी सभाओं में होना चाहिये। आप लोगों ने कभी वहां पार्टी की बात नहीं कही, आप लोग पार्टी की बातों को छिपाते थे और जनता को गुमराह करके आप लोग जीत कर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री उपाध्यक्ष : आपको पूछा गया कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपने कहा नहीं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि यह आपकी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य होने के के नाते उसके प्रति गैर-वफादारी है। आपको लोगों ने पूछा, आपने इन्कार कर दिया। मान लीजिये मैं कम्युनिस्ट बनता हूं, विचार-धारा के आधार पर, तो सही मायने में मैं तभी कम्युनिस्ट हो सकता हूं जब कि मैं उस पार्टी की विचार-धारा से पूर्ण सहमति रखता होऊं। कम्युनिस्ट बनने के बाद मेरी नीति भी वही रहेग ....

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री शिक्षा) : आप बनना नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास : हमारी कॉम्युनिस्ट पार्टी की जो आज तक नीति रही है उस आधार पर जान पड़ता है कि कॉम्युनिज्म अन्तर्राष्ट्रीय है वह किसी राज्य या स्टेट तक सीमित नहीं रह सकती, वह अन्तर्राष्ट्रीय है। इस थ्योरी से मैं नहीं मानता कि केवल शपथ मात्र लेने से उनको देश के प्रति वफादार मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य समय का ख्याल रक्खें।

माननीय मंत्री !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज कल राजाओं से बातचीत चल रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो राजा द्वारा खड़े किये गये अपने प्राइम मिनिस्टर (भूतपूर्व प्रा० मि० बीकानेर) के खिलाफ चुनाव लड़ कर आया हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको तो इनके पड़ौस से भी बचना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर (गृह-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के सम्बन्ध में दो माननीय सदस्यों ने जो समर्थन में विचार रक्खे हैं उनका तो मैं स्वागत करता हूं यह ऐसा विधेयक है, ऐसा बिल है जिस पर सदन का हरएक सदस्य दिल से, दिमाग से इसका स्वागत ही नहीं करेगा बल्कि इस बिल का पूरी तरह समर्थन भी करेगा। जहां तक देश की सार्वभौम सत्ता का प्रश्न है मेरा

(श्री मथुरादास माथुर)

ख्याल है कि भारत का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं हो सकता जो एक आवाज से खड़े होकर इस पर सर्वस्व बलिदान करने के लिये तैयार न हो जाय।

हमारा देश भावना से चलता आ रहा है, इसलिये इस बिल में शपथ का क्लॉज़ रखा गया है। जिस जरिये से शपथ लेकर अपने देश के प्रति वफादारी, देश की सोवरेन्टी, देश की इन्टीग्रिटी की बात कहे।

हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हों जो शपथ में विश्वास न करते हों, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो शपथ लेने के बाद भी उनके ऊपर हमारे देश के लोग अविश्वास रखते हों। जहां तक शपथ का प्रश्न है हिन्दुस्तान की जिस तरह की विचार-धारा रही है जिस भावना से हम चलते हैं, उसके अनुसार एक सदन का सदस्य जो चुनाव लड़कर आता है उसको भी यहां शपथ लेनी पड़ती है। देश के प्रति वफादार रहने की शपथ लेता है। उसका मतलब यह होता है कि देश की इन्टीग्रिटी देश की सोवरेन्टी को मेन्टेन करने के लिये वह पूरा त्याग और बलिदान देने के लिये तैयार रहेगा।

पार्लियामेंट में जब यह बिल रखा गया था, उसके पश्चात् जो हमारे यहां पर इन्टीग्रेशन कमिटी बनी उसकी जो कार्यवाही हुई; मेरा ख्याल है जैसा कि बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, एक शंका जाहिर की कि देश मे कोई पार्टी ऐसी हो जिसकी देश के प्रति वफादारी में सन्देह हो, इसमें पार्टी द्वारा शपथ लेने का प्रावधान नहीं है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो दफा १६ के अन्दर सोवरेन्टी और इन्टीग्रिटी की बात कही गई है कोई भी पार्टी सोवरेन्टी और इन्टीग्रिटी न रखने की कोशिश करती है वह पार्टी अन-लॉफुल पार्टी समझी जायगी। उसके लिये अपने पास पूरी ताकत है, इसलिये यह भय नहीं रखना चाहिये। कोई पार्टी चाहे बड़ी हो या छोटी- चाहे वह किसी पार्टी के नाम से काम करती हो सोवरेन्टी इन्टीग्रिटी के खिलाफ काम करेगी इस देश के अन्दर कानून के जरिये उसको अन-लॉफुल करार दिया जा सकता है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जा सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य के लिये पढ़ाने के लिये मास्टर का इन्तजाम कीजिये।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): मैं तो इनको इधर-उधर से संभाल ही लेता हूं। गृह मंत्रीजी इनका जरा ध्यान रक्खें।

श्री मथुरादास माथुर: हो सकता है, कई लोग और कई ऐसी पार्टियां हों जो सोवरेन्टी और इन्टीग्रिटी की शपथ ले लें, और वक्त आने पर देश की सोवरेन्टी और इन्टीग्रिटी के प्रति वफादारी से खड़े न हों, उनके लिये हम पूरी सावधानी बरतते हैं। मैं समझता हूं, माननीय सदस्य इस सदन के जो इस डेमोक्रेसी के वाच डॉग होने के नाते वे भी सतर्क रहेंगे। सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह सतर्क रहती है फिर भी माननीय सदस्यों के पास कोई सूचना हो तो उनका कर्तव्य है, धर्म है कि जो देश की सोवरेन्टी और इन्टीग्रिटी में खतरा पैदा करने वाले हैं उनको रोकने की कोशिश करें।

मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, इस पर ज्यादा बोलने से या सशंकित

(श्री मथुरादास माथुर)
होने से काम नहीं चलने वाला है। यह तो हमारी एक ड्यूटी की तरह है, हम लोग शपथ ले लें इस प्रकार का वैधानिक प्रावधान नहीं था जो कर दिया गया है। जहां शपथ लेते हैं उसमें सोवरेन्टी और इन्ट्रीग्रिटी इन शब्दों को उसमें डाल दिया गया है। यहां सब ने यह इरादा जाहिर कर दिया है कि देश की सोवरेन्टी इन्ट्रीग्रिटी को हर सूरत में कायम रखा जाय। वह बात तो इससे हो गई।

पर जहां तक इस विधेयक को सही माने में अमली जामा पहनाने का सवाल है और देश की सोवरेन्टी और इन्ट्रीग्रिटी को सही माने में कायम रखने का सवाल है तो वह अपने बर्ताव से, कर्म से और एक्टीविटी से ही हम कायम रख सकेंगे। में उम्मीद रखता हूं कि इस विधेयक को पास ही नहीं करेंगे आप, बल्कि सही माने में मुख्तलिफ पार्टियां जो यहां बैठी हैं, चाहे एक पार्टी दूसरी पार्टी से कितना ही मतभेद रखती हों, एक को दूसरे से कितना ही ऐतराज हो, यह सब होते हुए भी मैं उस चर्चा में नहीं पड़ना चाहता हूं, पर मैं समझता हूं कि देश के इस नाजुक अवसर में इस नाजुक घड़ी में, सभी पार्टियां एक आवाज से खड़ी होकर मन, वचन और कर्म से देश की सोवरेन्टी और इन्टीग्रिटी को कायम रक्खेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपको उपदेश देने का यह काफी अच्छा मौका मिला।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संकल्प गृह मंत्री महोदय ने रखा है उसको पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

आज की कार्यवाही समाप्त हुई। सदन की बैठक कल २।। बजे तक स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक म. प. ७ बज कर ५५ मिनिट पर दिनांक २३ अगस्त, १९६३ के म. प. २।। बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, दिनांक २२ अगस्त, १९६३)

तारांकित प्रश्नों के शिर्षक १

(प्रातः कालीन बैठक)

जिला परिषद् टौंक द्वारा धनराशि का वितरण।

पाठ्य पुस्तकें।

तहसील सरदारशहर के किसानों से वसूल किया गया तावान।

बुनकरों की सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन।

अनुसूचित जाति के किसानों को निर्माण कार्य के लिए धनराशि।

नावा में तहसील कार्यालय भवन।

पाठ्य पुस्तक विक्रेताओं के लिए नियमों में परिवर्तन।

अध्यापकों के विरुद्ध शिकायतें।

पंचायत समिति के अधीनस्थ अध्यापकों के ग्रेड।

टोकन के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र।

हरिजनों को कूओं के लिए सहायता।

तहसील सिवाना के लम्बरदारों का भता।

पढ़ाई का स्तर।

गम्भीरी बांध के पेटा कशत के लगान की दर।

सरकावास की सहकारी समिति के विरुद्ध बकाया की वसूली।

हनुमानगढ़ के ईंटों के भट्टे।

चकबन्दी के समय सार्वजनिक स्थानों के लिए भूमि।

सुरक्षा कोष में एकत्रित धन राशि।

फालना व रानी उद्योग बस्तियों को जीवन बीमा निगम से ऋण।

बोरावड़ पंचायत का रेकॉर्ड और सामान

पंचायतों के अधीन शिक्षकों को नयी वेतन श्रृंखला।

ग्राम ईड़वा के गांवाई कुए के निमित धनराशि।

बिक्री कर की दर।

तहसील सांचोर में किया गया जुर्माना।

खोरा बीसल ग्राम की सहकारी समिति।

तालाब व एनीकट के लिये रकम।

पीलीबंगा क्रय विक्रय सहकारी समिति का ऑडिट।

कुम्हेर पंचायत समिति में अनियमितताएं

मध्य प्रदेश की भैंसोदा मंडी का राजस्थान में विलय का प्रश्न।

विज्ञान व वाणिज्य विषय की कक्षाएं।

मनोरंजन कर के भुगतान की छूट।

पंचायत समितियों के अध्यापक।

फर्राशखाना, जयपुर।

भीलवाड़ा की भवन निर्माण सहकारी समिति को दी गई धनराशि।

माध्यमिकशाला देवगढ़ में अध्यापिकाएं।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन ६८

श्री रामप्रसाद लड्ढा, सभापति ने राजस्थान साहूकार विधेयक, १९६३ (The Rajasthan Money-Lenders Bill, 1963) पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमति-पत्रों सहित उपस्थापन किया।

श्रम मंत्री द्वारा वक्तव्य ६८

श्री भीखाभाई, श्रम मंत्री, ने स्वर्ण नियन्त्रण कानून के फलस्वरूप राज्य में बेकार हुए स्वर्णकारों को रोजगार व राहत देने से संबंधित विषय पर एक एक वक्तव्य दिया।

प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा १६१-१६२

राजस्थान सार्वजनिक उद्यान (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई जो इस प्रकार हैं:—

(१) श्री भीखाभाई, प्रभारी मंत्री, सभापति
(२) श्री गोकुलप्रसाद
(३) श्री ज्ञानचन्द मोदी
(४) श्री हनुमानसिंह
(५) श्री गिरधारीलाल व्यास
(६) श्रीमती नगेन्द्रबाला
(७) श्री बिरधाराम
(८) श्री मोहनराज
(९) श्री सांवलियाराम
(१०) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(११) श्री रामकिशन
(१२) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा
(१३) श्री केदारनाथ
(१४) श्री देवेन्द्र कुमार
(१५) श्री विजयसिंह झाला

प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन १५ दिन में प्रस्तुत करेगी।

शासकीय संकल्पों पर विचार

श्री मथुरादास, माथुर, विधि मंत्री, ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया :— १६२

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India, proposed to be made by the Constiution (Fifteenth Amendment) Bill, 1963, as passed by the House of Parliament."

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"कि यह सदन, संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६३, जैसा कि संसद के सदनों द्वारा पारित है, के जरिये भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।"

उपरोक्त संकल्प पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री दुर्गालाल बाढ़दार
(२) श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा
(३) श्री मुरलीधर व्यास
(४) श्री केदारनाथ
(५) श्री कृष्णकुमार गोयल
(६) श्री जयकृष्ण

विधि मंत्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

तत्पश्चात् श्री मथुरादास माथुर, विधि मंत्री ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया: १६२

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India, proposed to be made dy the Counstitution (Sixteenth Amendment) Bill, 1963 as passed by the House of Parliament."

(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"कि यह सदन, संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ जैसा कि संसद के सदनों द्वारा पारित है, के जरिये भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित संशोधनों का अनुसमर्थन करता है।"

उपरोक्त संकल्प पर श्री कृष्णकुमार गोयल एवं श्री मुरलीधर व्यास ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। विधि मन्त्री के उत्तर के पश्चात् संकल्प सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक रात्रि के ७ बजकर ५५ मिनट पर शुक्रवार, दिनांक २३ अगस्त, १९६३ को २.३० बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई।

शुक्रवार दिनांक २३ अगस्त १९६३ की कार्य-सूची

गैर-सरकारी विधेयक :

(१) राजस्थान इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स (राजस्थान संशोधन) विधेयक, १९६३.

(२) राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६३.

(३) राजस्थान सांस्कृतिक संस्थान विधेयक, १९६३.

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ६३ का उत्तर देखिए)

पंचायत समिति बुहाना द्वारा हरिजनों के कुओं के लिए दिये गये अनुदान की सूची

क्र०सं०	नाम ग्राम मय ग्राम पंचायत	रकम स्वीकृति देने की तारीख १९६१–६२	रकम	क्र०सं०	नाम ग्राम मय ग्राम पंचायत	रकम स्वीकृति देने की तारीख १९६२–६३	रकम
१	२	३	४	५	६	७	८
१.	सिलारपुरी (धरडानाकलां)	२–२–६२	५००)	१.	कलना (झांझा)	२७–३–६३	४००)
२.	ठिचोली (धरडाना खुर्द)	१३–३–६२	२५०)	२.	सहड़ (लाम्बी ग्रहीर)	२७–८–६२ व २७–३–६३	१२२०)
३.	ढाणी ठिचोली (, ,)	१३–३–६२	२५०)	३.	सहड़ (, ,)	२७–३–६३	७५०)
४.	धरडाना खुर्द (, ,)	१३–३–६२	५००)	४.	भिर्र (भिर्र)	३०–३–६३	२००)
५.	शेहदपुर (गाडाखेड़ा)	२६–३–६२	३००)	५.	खानपुर(खानपुर)	२८–३–६३	४००)
६.	कलवा (झांझा)	२७–३–६२	५००)	६.	उद्दामांडी (उद्दामांडो)	२७–३–६३	५००)
७.	भिर्र (भिर्र)	२७–३–६२	४००)	७.	बासड़ी (, ,)	२७–३–६३	५००)
८.	खानपुर (खानपुर)	२३–३–६२	३५०)	८.	चितरू की ढाणी (पचेरी ब०)	२२–२–६३ व २६–२–६३	३५०)

१	२	३	४	५	६	७	८
६.	चुड़ीना (ढाणी भालोठ)	२७–३–६२	४००)	८.	सोहलो (सोहलो)	२७–३–६३	४००)
१०.	कुढानियां (मोईसद्दा)	५–२–६२	२५०)	१०.	कलगांव (कलगांव)	३०–३–६३	५००)
११.	कलगांव (कलगांव)	५–२–६२	२५०)	११.	सागवा (खांदवा)	२८–३–६३	५००)
१२.	हीरवा (, ,)	५–२–६२	४००)	१२.	खांदवा (, ,)	१६–२–६३	६७५)
				१३.	झारोड़ा (झारोड़ा)	३०–३–६३	५००)
				१४.	ग्रूंती (ग्रूंती)	२६–३–६३	४००)

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिए)

नक्शा प्रोजेक्ट गम्भीरी शहर किस्मवार

तहसील चित्तौड़गढ़ व गंगरार ४२ विलेज की शरह		तहसील निम्बाहेड़ा १२ विलेज की शरह	
किस्म जमीन	शरह	किस्म जमीन	शरह
चाही १	७॥ से ८।≡	चाही १	७ से ८
चाही १	५॥ से ८	चाही २	५। से ६
चाही २	५॥ से ५॥	चाही ३	३॥ से ४
चाही २	४ से ६	काली अल्लिफ	२॥ से ३
चाही ३	२॥ से ३।॥–	घामनी अल्लिफ	१॥। से २
चाही ४	२ से २॥।	काली १	१॥। से २
ऊंचा १	३॥ से ३॥	काली २	१।– से १॥
ऊंचा २	२॥ से ३	काली ३	॥।≈ से १
पेटा १	३ से ३।	घामनी १	१।– से १॥
पेटा २	२ से २।–	घामनी २	॥।≈ से १
खादी १ ए	३। से ३।	भूरी गोरियां	१॥ से २
खादी १	२ से ३	भूरी अल्लिफ	१।– से १॥
खादी २	१॥ से २॥	भूरी १	॥।≈ से १
माली १ ए	२ से २	भूरी २	॥≡ से ॥।
माल १	१≡ से १।≈	रातड़ी अल्लिफ	१ से १
माल २ बी	१ से १।	रातड़ी १	॥। से ॥।

Page No 111

माल २	।।।≡ से १=	रातड़ी २	।≡ से ।।
माल ३	।।≡ से ।।।–	कालो बीड	।।।= से १
बारानी १	।।।= से १≡	काली पड़त	।।। से ।।।
बारानी २	।।= से ।।।≡	घामनी बीड़	।।।= से १
बारानी ३	।= से ।।–	घामनी पड़त	।।≡ से ।।।
बीड १	।– से ।।=	भूरी बीड़	।।।= से १
बीड २	≡ से ।=	भूरी पड़त	।≡ से ।।।
पडत १	। से ।–	रातडी बीड़	।।। से ।।।
पड़त २	= से ।	रातडी पड़त	।= से ।=
पड़त ३	– से =		

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देखिए)

–ःसूचीः–

सार्वजनिक स्थान जो कार्य भूमिएकीकरण के पश्चात् ग्रामों में छौड़े गये तहसील पाली

क्र० सं०	नाम गांव	गांव के सुरक्षित क्षेत्रफल का विवरण एकड़ों में									कुछ क्षेत्रफल छोड़ा गया	विशेष विवरण
		गोचर	आबादी	पंचायत भवन	स्कूल	खेल का मैदान	खाद के गड्ढे	हड़ा रोड़ी	सड़क व रास्ते	दीगर		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१.	बाले लांव	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....
२.	ग्राहेवीया	१४२	....	....	....	....	....	....	....	१२५	२६७	पायदन
३.	ग्राकेली	....	९	....	१	१	२	....	....	३	१६	,,
४.	ग्ररठीयां	....	....	....	१	३	....	....	....	....	४	
५.	दुदिया	१७०	६	....	....	४	६	१	....	१८३	३७०	
६.	मुरडाई	११६	....	....	१	३	४	....	....	८	१३२	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
७.	कांदड़ा	६१०	....	....	....	४	२	....	....	१	६१७	
८.	निम्बली	....	....	....	....	....	१	....	४	१०	१५	
९.	मंडीया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१०.	रूपावास	७६	२२	....	१	४	....	१	....	७८	१८५	
११.	मंडली खुर्द	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२.	माकंरीवाला	....	१०	....	१	५	२	....	....	१२	३०	
१३.	भीन्तड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४.	मानपुरीया	....	१	....	२	....	....	....	....	६	१२	
१५.	चोटिला	....	८३	....	....	....	....	....	१५	....	६८	
१६.	बीठू	७६	२२	....	१	१	....	....	....	४	१०४	
१७.	खारड़ा	६४१	४३	....	....	....	....	....	....	....	६६२	
१८.	भोरीया	....	१७	....	....	....	....	....	२	....	१६	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१९.	वायद	२१५	३५	१	२	२	५	....	....	२०	२८०	
२०.	बींझा	१९१	४०	....	....	....	४	२	....	५५	२९२	
२१.	चेन्डा	....	२८	१	१	२	२	....	....	४	३८	
२२.	धरमधारी	२००	....	....	....	१	....	....	....	१९५	३९६	
२३.	केरला	२७५	९	....	१	....	....	....	....	....	२८५	
२४.	मरलेलाव	१७	....	....	....	....	....	....	....	१५	३२	
२५.	दयालपुरा	४७८	४१	....	१	१	१२	....	....	१	५२४	
२६.	मालवा	२२६	५	....	....	....	....	....	....	७६	३०७	
२७.	सावी	२१	....	....	१	१	१	....	....	२१	४५	
२८.	हीरावास	....	५	....	....	....	....	....	....	....	५	
२९.	खाण्डी	२०	२५	....	१	२	....	....	....	....	४८	
३०.	डूंगरपुर	....	२९	१	१	३	....	....	२	६	४२	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
३१. हूदली		....	१६	....	१	१	७	....	....	५३	७८	
३२. ढूढंली		....	१५	....	१	१	३	....	३	१०	३३	
३३. दानासाणी		४२	८	....	१	....	....	....	....	२	५३	
३४. कलाली		....	१६	....	....	१	४	....	२	....	२३	
३५. लालकी		१६२	१६	....	१	२	२	....	....	६	२१६	
३६. भुरीय सनी		....	८	....	....	....	१	....	२	....	११	
३७. सावलता खुर्द		....	३	....	१	१	१	....	....	२६	३३	
३८. सिगरा		....	२८	....	....	....	....	....	....	२	३०	
३९. पादरला		६७	....	....	....	....	....	....	२	....	६६	
४०. साकदड़ा		....	५	....	....	....	१	....	१	२४	३१	
४१. सुन्देलाव		१३८	५	....	....	१	२	....	....	५५	२०१	
४२. साली		२३४	२४	....	१	१	२	....	२	....	२६४	
४३. कुन्डलीवारणन		६	....	....	....	....	....	....	....	....	६	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
४४. डरी		१३२०	६	....	....	२	१	....	....	२	१३३४	
४५. देवान		....	६	....	....	....	३	२	....	१२	२६	
४६. निम्वलीब्राह्मणन		....	३२	....	....	१	२	....	....	४	३६	
४७. म्राटन		....	१२	....	....	....	१	....	....	१२५	१३८	
४८. घरवालिया		....	१८	....	....	....	१	....	....	४	२३	
४९. खेतावास		....	१५	....	....	....	....	....	४	४	२३	
५०. खेड़ा खुर्द		....	८	....	....	....	१	१	....	२८	१०६	
५१. गेलावास		२६१	१४	....	....	....	....	....	....	....	३०५	
५२. राणा		....	५०	....	....	....	४	....	....	७	६१	
५३. उन्दरा		१८६	७	....	१	१	२	२	....	७	२०६	
५४. सौनाईमाजी		....	८	....	....	....	....	....	....	....	८	
५५. जुनी एन्दला		....	११	....	....	....	२	....	....	२	१५	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
५६.	गोदावास	१५७	६	....	....	....	१	१	....	१	१६०	
५७.	भावरी	....	३२	....	....	....	....	....	....	....	३२	
५८.	जेतपुर	....	३३	....	....	....	....	....	....	....	३३	
५९.	सेदरीया	....	१४	....	....	....	....	....	....	....	१४	
६०.	खंडावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
६१.	सुकलाई	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
६२.	मुलियावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
६३.	चाटेलाव	....	....	....	३	....	....	....	....	....	३	
६४.	सौनाईलाखा	....	६	....	....	....	....	....	....	....	६	
६५.	गडवाढा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
६६.	घोलेरीया जागीर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
६७.	घोलेरीयासायण	....	२	....	....	....	....	....	....	४	६	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
६८.	नेहड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
६९.	फेकरीया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
७०.	मुरड़िया	....	२	....	....	....	....	....	....	४	६	
७१.	मान्डावास	....	५२	....	....	....	....	....	....	....	५२	
७२.	खूंटाणी	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
७३.	लाम्बड़ा	....	६	....	....	....	....	....	....	....	६	
७४.	पंचपादरीया	....	१५	....	....	....	....	....	....	....	१५	
७५.	पुरुतारी	....	३	....	....	....	....	....	....	....	३	
७६.	दिवान्दे	....	१९	....	....	....	....	....	....	....	१९	
७७.	सिराणा	....	२३	....	....	....	....	....	....	....	२३	
७८.	कुलथाना	....	२७	....	....	....	....	....	....	....	३०	
७९.	भिन्डर	....	१७	....	....	....	....	....	....	....	१७	
८०.	उमकली	....	८	....	....	....	....	....	....	....	८	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
८१.	भियाना	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
८२.	हजाया	....	७	....	....	....	....	....	....	....	७	
८३.	दल्ली	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
८४.	सरवाना	....	....	....	....	....	....	....	१	....	१	
८५.	पातो	....	११	....	....	....	....	....	....	....	....	
८६.	मनोकारो	....	३१	....	....	....	....	....	....	५५	८६	
८७.	मादड़ी	....	....	....	१	....	....	....	....	....	....	
८८.	पैनावा	....	३	....	....	....	....	....	....	५	८	
८९.	थावनगर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
९०.	गुड़ा प्रतापसिंह	११२	....	....	....	....	....	....	....	....	११२	
९१.	रोडट	....	....	....	....	....	....	....	....	५७	५७	
९२.	नीमली पटेलान	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	

Page No 120

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
९३.	सिणगारी	११५	२२	....	....	....	....	....	....	....	१३७	
९४.	मूंगला	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
९५.	बालोलाई	....	७	....	....	....	....	....	....	....	७	
९६.	साँवलता कलां	....	२०	....	....	....	....	....	....	....	२०	
९७.	डायर कला	....	१६	....	....	....	....	....	....	....	१६	
९८.	मन्डलो दर्जीयान	....	१	....	....	....	....	....	....	....	१	
९९.	काना बास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१००.	बागड़ीया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१०१.	निम्बाडा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१०२	मागेश्वर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१०३.	मांबोलाई	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	

परिशिष्ट

१	२	३	४	५	– ६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१०४	सावनीया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१०५.	गिरादडा खालसा	....	१४	....	....	....	....	....	....	....	१४	
१०५.	गिरादडाबांगोर	....	१७	....	....	....	....	....	....	....	१७	
१०७.	जबडीया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१०८.	पूनायता	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१०		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
११०.	रामावाभिया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२१.	मानपुरा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
११२.	जोडजुनागढ	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
११३.	पाली	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
११४.	सापा	....	४५	.....	....	....	....	....	....	....	४५	
११५.	सोडावास	....	२८	....	....	....	....	....	....	....	२८	

Page No 122

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
११६,	उंथमन	२६८	७	....	....	....	....	....	....	....	२७५	
११७.	घुनादड़ा	१८३	....	....	....	....	....	....	....	....	१८३	
११८.	लाम्बीया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
११९.	साकडावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२०.	लातीखेडा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२१.	ग्रांकडावास	....	....	....	....	....	....	....	१५	....	....	
१२२.	पडासंला खुर्द	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२३.	पडासंला कला	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२४.	बानियावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२५.	रावल वास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१२६.	निम्बला खेड़ा	१०१	....	....	....	....	....	....	....	....	१०६	
१२७.	गुन्दोज	....	२	....	....	१	....	....	....	१	४	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१२८.	डिगाई	....	११	....	६	....	१	....	....	१	१६	
१२९.	गुढ़ा सोनीगरा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१३०.	खैरवा	....	३२	....	....	....	....	....	३७	....	६६	
१३१.	चक खैरवा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१३२.	बुद्ध वाड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१३३.	गुड़ा नरखां	....	७	....	....	....	....	....	....	....	७	
१३४.	सापूनी	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१३५.	गुडा गिरधारी	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१३६.	ठाकुरला	....	१	....	१	....	....	....	....	....	२	
१३७.	टेवालीकला	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१३८	टे: ाली खुर्द	....	१५	....	२	....	....	....	....	....	१३	
१३९.	हेमावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१४०.	गुढ़ा बिच्छु	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४१.	सदावास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४२.	कूरना	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४३.	गिरवर	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४४.	गुड़ा ऐंदला	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४५.	जेतपुरा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४६.	हेंडा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४७.	बाग	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४८.	कादंलाव	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१४९.	पावरलो तुकान	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१५०.	प्रतापगढ़	....	१०	....	....	....	....	....	....	....	१०	
१५१.	कोरवा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१५२.	माडंल	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१५३.	नादानमाटान	....	१२	....	१	....	....	....	....	....	१२	
१५४.	निम्बाहेड़ा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१५५.	चगवा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१५६.	गुड़ा दुर्गादास	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१५७.	कल्याणपुरा	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१५८.	खटुखड़ा	....	१०	....	....	१	१	....	....	....	१२	
१५९.	खोड	....	२५	....	६	....	....	४	....	४	२६	
१६०.	सेदरीया	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१६१.	गुडाखुनी	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१६२.	बालराई	....	१५	....	२	....	....	....	....	....	१७	
१६३.	बूसी	....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१६४. चाचाखेड़ी		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१६५. गुडानवा		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	
१६६. होरणखुरी		....	....	....	....	....	....	....	....	....	....	

सूची 'क' (परिशिष्ट ४)

(कृपया प्रश्न संख्या १०० का उत्तर देखिए)

Statment showing the collections towards the Chief Minister's Defence services' welfare Fund & National Defence Fund, on——

S. No.	Name of District	Amount collected	Gold/Gold ornaments.	
1.	Jaipur.	26,32,126	5,333	Grams.
2.	Sawai Madhopur.	14,78,716	345	"
3.	Alwar.	11,29,172	1,287	"
4.	Sikar.	6,37,363	2,434	"
5.	Jhunjhunu.	18,19,071	2,565	"
6.	Tonk.	4,75,409	251	"
7.	Bharatpur.	6,55,500	968	"
8.	Jodhpur.	7,24,930	16,600	"
9.	Pali.	6,04,000	18,455	"
10.	Jaisalmar-	44,851	1,922	"
11.	Barmer.	2,58,839	9,820	"
12.	Sirohi	2,02568	4,496	"
13.	Nagpur.	5,79,220	14,978	"
14.	Jalore.	5,90,502	9,809	"
15	Kota.	7,89,630	670	"
16,	Bundi.	2,91,407	390	"
17.	Jhalawar.	2,66,820	735	"
18.	Bikaner.	6,82,870	1,339	"
19.	Ajmer.	7,90,973	1,471	"

20.	Churn.	6,48,476	7,750	"
21.	Ganganagar.	26,28,680	2,30,430	"
22.	Udaipur.	18,73,946	2,612	"
23.	Banswara.	2,33,100	148	"
24.	Chittorgarh.	9,64,614	730	"
25.	Bhilwara.	9,05,500	2,200	"
26.	Dungarpur.	2,65,684	881	"
	Total	2,21,73,967	3,38,619	Grams.

———

सूची 'ख'

Statement showing the amount deposited into the National Defence Fund out of the collections towards the Chief Minister's Defence Services Welfare Fund (Rajasthan)

1.	Amount deposited through the State Bank of Bikaner Jaipur Secretariat Branch	Rs.	63,26,468.75
2.	Amount deposited through the Reserve Bank of India Delhi	Rs.	52,444.00
3.	Amount deposited into the State Bank of India, Delhi.	Rs.	68,295 69
4.	Amount Deposited into the State Bank of India, Jaipur	Rs.	129,09,227.32
		Rs.	5,39,728.31
		Rs.	1,98,96,165 07

सूची 'ग'

Statement showing the distributin of Receipt Books of the Chief Minister's Defence Services Welfare Fund to the various officials and Parties for their use in connection with the collections for the Fund,

S. No.	Issued to		No. of Receipt Books issused
1.	Collector	Barmer.	1020
2.	"	Jaipur.	4606
3.	"	Alwar	3210
4.	"	Bhartpur	1920
5.	"	Ajmer	460
6.	"	Jhunjhunu	3160
7.	"	Sawai Madhopur	3120
8.	"	Sikar.	2245
9.	"	Tonk	2640
10,	"	Bikaner	770
11.	"	Churu	990
12.	"	Ganganagar	1970
13.	"	Jaisalmer	510
14.	"	Jalore	1840
15.	"	Jodhpur	1020
16.	"	Nagaur	2030
17.	"	Pali	1489
18.	"	Sirohi	657
19.	"	Bundi	1128
20.	"	Jhalawar	2020

21.	"	Kotab	2560
22.	"	Banswara	1280
23.	"	Bhilwara	2200
24.	"	Chittorgarh	1775
25.	"	Dungarpur	1600
26.	"	Udaipur	3449
27.	Director of Economics & Statistics, Jaipur		10
28.	Director of Economics & Industrial Survey, Jaipur.		5
29.	Rajasthan Pradesh Congress Committee, Jaipur.		65
30.	Rajasthan Financial Corporation, Jaipur.		15
31	Principal Govt. Ayurvedic Collage, Jaipur.		9
32.	Acccunts Officer, Rajasthan Canal Project, Jaipur.		10
33.	Jaipur City Congress Committee, Jaipur.		200
34.	Rajasthan Autombiles Association, Jaipur.		2
35.	Regional Transport Authority, Jaipur.		15
36.	Asstt. Commissioner, Excise & Taxation, Jaipur		15
37.	Mandal Congress Committee, Jaipur.		4
38.	University of Rajasthan, Jaipur.		25
39	Mrs. Kamla Beniwal, Dy. Minister.		4
40.	Rotary Club, Jaipur.		1
41.	Director of Public Relations, Jaipur.		10
42.	Supdt. Zenana Hospital, Jaipur.		15
43.	Secy. Khadigramodyog Board, Jaipur.		5
44.	Eduction Secretary, Govt. of Rajasthan.		5
45.	Chief Minister's Office.		319
		Total	50,403

(परिशिष्ट ५)

(कृपया प्रश्न संख्या १०२ का उत्तर देखिए)

सरपंच ग्राम पंचायत बोरावड़ द्वारा प्रस्तुत पंचायत की सामान में कमी की सूची

क्र० सं०	सामान का नाम	नग	क्र० सं०	सामान का नाम	नग
१.	नाड़िया गउ पर फाइल १३-७-५५ से २-८-६०	५६	२६.	पंचायत फीस की रसीद बुकें बिल्कुल नई ।	४
२.	बिल फाइल जिसमें बिल	२०	२७	फाटक फाईल ।	४४
३.	प्रमाण-पत्र फाइल २-४-६० से १-१-६१	३३	२८	पंचायत भवन के मुताबिक बिल ।	२४
४.	चूंगी चौकी फाइल मकराना	१४५	२९.	सरपंच की मुहर ।	१
५.	चुनाव फाइल १९६०	१८	३०.	तीन बड़े ताले मय चाबीयों के	३
६.	नौकर फाइल	१४५	३१.	एक ताला टाईगर दो ताले टाईगर जिनकी एक चाबी ।	३
७.	कार्यवाही रजिस्टर ६	६१	३२,	बोरी	१
८.	चांवड़िया के रास्ते बाबत फाईल	४सी	३३.	सिमेन्ट कट्टा ।	१
९.	इन्सपेक्टर संबंधी फाईल	१सी	३४.	बांस	२
१०.	हाउस टैक्स रजिस्टर	१सी	३५.	फीता मय ५० फीट का ।	१
११.	हाउस टैक्स व जनरल लेटर फाईल	१सी	३६.	फीता पुराना १०५ फुट का ।	१
१२.	सावणूगिरदावरी फाईल	१		निम्नलिखित मिसल ।	
१३.	कर्मचारी फॉईल	१	३७.	जनता बनाम पंचायत	३
१४.	निलामी इस्तहार	२	३८.	भंवर लाल बनाम पंचायत १।५९	३
१५.	मिसलें भेजने का रजिस्टर	१आर	३९,	पंचायत बनाम उसमान ७८।५९	२
१६.	पियोन बुक	१आर	४०	रूगा राम बनाम पंचायत १।६१	१३
१७.	मिसले मौका देखने का रजिस्टर ।	१आर	४१.	पोस्टमास्टर बनाम लाला धर्म चन्द	१४
१८.	मेले की रसीद बुक ।	१	४२.	नूरमोखमद बनाम गुलाब ।	४
१९.	निरिक्षण फाईल १	४पी	४३.	माणक चन्द बनाम पंचायत २३।५८	२६
२०.	वोट लिस्ट २	२	४४.	मांगी लाल बनाम पंचायत ६८ ५६	४
२१.	गांवाई सांड फाईल १	१	४५.	गणेश बनाम पंचायत ६८ ५६	४
२२.	आउट-वर्ड रजिस्टार ।	१	४६.	जैदेव बनाम पंचायत १६।५७	३५
२३.	फाटक संबंधी रसीद बुके ।	१६	४७.	नौरतन मल बनाम पंचायत ३१।५६	७
२४.	रेड़ियो मय चालू बेटरी ।	१	४८.	चूनो लाल बनाम पंचायत ४१।५६	१६
२५	पेन चैम्पीयन ।	१	४९.	आसू बनाम पंचायत ११।५६	८

Page No 132

५०. नूरा बनाम पंचायत ६०।५६ ५
५१. भूरे खां बनाम पंचायत निल ।५६ २
५२. चांदमल बनाम शिवराज २१।५४ ७
५३. लालू बनाम पंचायत ७८।५८ ८
५४. शंकर लाल बनाम पीरू ७६ ६० १२
५५. कन्हैया लाल बनाम घनराज १।५५ २४
५६. हुरका राम बनाम पंचायत निल ।५६ ४
५७. सीता राम बनाम पंचायत २५।६० ६
५८. मना राम बनाम पंचायत निल ।६० ६
५६ जनता बनाम भूरे खां ६१।५६ २
६०. छोटू सिंह बनाम पंचायत निल ।५६ १७
६१. सूरजमल बनाम पूनम चन्द ५५।५८ १३
६२ जनता बनाम भंवर लाल ११२।५७ २१
६३. मोहन लाल बनाम पंचायत ५०।५८ ८
६४. चान्द मल बनाम भूरे खां ८२.५६ १२
६५. रहीम बक्ष बनाम बूदा निल ।६० ३
६६. नन्द राम बनाम पंचायत निल ।५२ ६
६७. चांद मल बनाम पंचायत निल २
६८. लाला बनाम रतना ५७।५७ १०
६६. पंचायत बनाम शंकर लाल १११।५७ ४
७०. गीगा बनाम पचायत ८१।५६ ६
७१. मोहन लाल बनाम पंचायत २७।५३ १०
७२. जनता जोरावर बनाम मोतीराम २१।५३ १३
७३. शिवनाथ बनाम पंचायत ६६।५६ ४
७४. रूपा राम बनाम पंचायत निल । ६१–६२ ४
७५. शंकर लाल बनाम पंचायत ६५।५६ १०
७६. संतोक चंद बनाम पंचायत ११०।६० २
७७. पट्टे वही मैं से पट्टे ८ ८

परिशिष्ठ ६

(कृपया प्रश्न संख्या ११४ का उत्तर देखिए)

S. No.	No. of Govt. Notification.	Nature of exemption	Conditions of exemption.
1.	F. 7 (1) E&T/62 dated 30.11.62.	Chief Minister's Defence Services Welfare Fund or the National Welfare Fund.	80%
2.	No. F.7(1) E&T/62 dated 5.12.62	Women's Welfare Organisation, Rail House, Northern Railway, Jodhpur in aid of National Defence Fund.	80%
3.	No. F7 (1) E&T/62 dated 5.12.62	In aid of the school building and the National Defence Fund Angela Sophia High School, Jaipur.	80%
4.	No. F.7 (1) E&T/62 dated 31.10.62	Chief Minister's Defence Services Welfare Fund	80%
5.	F.7 (1) E&T/62 dated 7.12.62	National Defence Fund	100%
		1) Cultural programe organised by 2nd Rajasthan Bn. NCC Udaipur on 25.11.62.	
		2) Dance drama 'Rashtriya Puja' organised by 'Bal Vikas Samiti, Udaipur on 19th & 20th Nov., '62	
		3) Cinema shows organised all over Rajasthan on 11th November, 1962.	

6.	F 7 (1) E&T/62 dated 7.12.62	St. Mary's Convent H. S. School, Udaipur National Defence Fund.	Gross proceeds.
7.	F.7 (1) E&T/62 dated 18.12.62.	Fets(Mela) organised by the ladies of Jaipur National Defence Fund.	100%

परिशिष्ट

(कृपया प्रश्न संख्या ११७ का उत्तर देखिए)

"परिशिष्ट क"

क्र० सं०	नाम सदस्य	रकम जो देनी बकाया है
१.	श्री गनपतलाल वर्मा	७३५)
२.	श्री नित्यानन्द सक्सेना	१,०००)
३.	श्री जामनलाल पोरवाल	२५०)
४.	श्री लक्ष्मी नारायण	२१०)
५.	श्री भूपालसिंह	६०८)
६.	श्रीमति स्नेहलता वर्मा	१२५०)
७.	श्री श्रीलाल टेक	२२७)
८.	श्री मदनसिंह	८६३)
९.	श्री हजारीलाल	२२७)
१०.	श्री रामेश्वरलाल	२६७)
११.	श्री कन्हैयालाल	२५०)
१२.	श्री रमनलाल वर्मा	२२७)
१३.	श्री लादूलाल	२५०)
१४.	श्री रतनलाल अग्रवाल	१६७)
१५.	श्री सेडूराम	२२७)
१६.	श्री लक्ष्मी नारायणसिंह	२७६)
१७.	श्री मनोहरलाल व्यास	३००)
१८.	श्री पीरूमल नाई	३००)

१९.	श्री रणजीतसिंह बोरडिया	१०६७)
२०.	श्री मिलतान चन्द्र	१३३३)
२१.	श्री लल्लूराम	१३३)
२२.	श्री कासिम निलगर	६६६)
२३.	श्री रतनसिंह यादव	१६६)
२४.	श्री प्रकाशचन्द्र	१६६)
२५.	श्री जेवतमल	१००)
२६.	श्री मांगीलाल	३५०)

❀ समाप्त ❀

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक २२ अगस्त, १९६३)

स्तम्भ सं० १	पंक्ति सं० २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	प्रथम	बृतान्त	वृतान्त
,,	८	ताराकित	तारांकित
,,	१०	उद्याग	उद्योग
,,	अन्तिम से २	सहो	सही
२	२	काया	कार्यों
,,	४	पचायत	पंचायत
३	अन्तिम से ३	बंह	वह
४	८	भो	भी
,,	१०	आवश्यकता	आवश्यकता
,,	२२	पचायत	पंचायत
,,	अन्तिम से ६	कीई	कोई
५	७	में	मैं
६	अन्तिम	होतीं	होती ?
७	६	पंछना	पूछना
,,	७	हुं	हूं
,,	१८	करूगां	करूंगा
,,	२२	पा.	पी.
,,	२६	मानली जिए	मान लीजिए
८	१२	करेगे	करेंगे
,,	१५	बिन	बिना
,,	१८	बीकानेर)	(बीकानेर)
,,	अन्तिम से ३	तवान	तावान
९	शीर्षक	तारांजित	तारांकित
१०	३	गया गया है	गया है
,,	अन्तिम से ६,७	गया गया था	गया था
११	१६	वसूला	वसूली
,,	अन्तिम से ३,४	आदेश आदेश	आदेश

१	२	३	४
१२	७	जांव	जांच
१३	५	नही	नहीं
,,	१५	कार्यो	कार्यों
,,	१६	सड़ायता	सहायता
,,	अन्तिम से ५	हण्डार	खण्डार
१४	५	निमाण	निर्माण
,,	१०	नावा	नावां
,,	१६	माहाआरी	माहवारी
१५	२	एकस्ट्रा	एक्स्ट्रा
,,	१५	सकटकाल	संकटकालीन
,,	अन्तिम से ७	राष्ट्रीकरण	राष्ट्रीयकरण
,,	,, ,, ४	अतरिक्त	अतिरिक्त
१६	,, ,, ८	क्षिक्षा	शिक्षा
,,	,, ,, २	राष्ट्रयकृत पाठ्यय पुस्तकों	राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों
१७	१	रखना होगा	
२०	३	(वैर)	(वैर)
२१	१	सीदीदिया	सालोदिया
२२	३	में	मैं
,,	३,४,२५	ओप्शन	ऑप्शन
२३	१७ २२,२३,२६	,,	,,
२५	शीर्ष्य	श्री विजय सिंह झाला	(श्री विजयसिंह झाला)
,,	अन्तिम से	श्री शिवनारायण	१३. श्री शिवनारायण
२६	१२	सूची रकम दी गई	----
,,	२८	रास्जव	राजस्व
२७	२	चौ री	चौधरी
३०	१	श्रो	श्री
,,	४	मत्री	मंत्री
३२	७	वाहो	चाही
३३	अन्तिम से ५	करेंग	करेंगे
,,	,, ,, ३	समित	समिति
३४	६	(श्री भीमसिंह :	(श्री भीमसिंह) :
,,	१४	मध्यकालन	मध्यकालीन

१	२	३	४
३५	३	बज	बीज
,,	४	द्व	दी
,,	अन्तिम से ६	श्र	श्री
३६	२३	बात	बता
३७	६	मदे णा	मदेरणा
३६	६	गलोत	गहलोत
,,	१५	श्र ी	श्री
,,	२२	६न-राश	धन-राशि
,,	२३	कृाप	कृपा
४०	६	द्वा	द्वारा
४१	शोर्षक	तारांजित	तारांकित
,,	अन्तिम से ३	व ह	वगैरह
,,	,, ,, २	सोन	सोना
४२	,, ,, ५	क्य	क्या
४३	शीर्ष	——	(श्री मोहनराज)
,,	२	ाया	पाया
,,	२३	श्री जेठमल	१०२. श्री जेठमल
४४	अन्तिम से ६	एस. डी.	एस. डी. श्री.
,,	,, ,, २	गोलकाण्ड	गोलीकाण्ड
,,	,, ,, ३	पचायत	पंचायत
४५	शीर्ष	——	(श्री रामप्रसाद लड्ढा).
,,	१३	की	को
,,	अन्तिम से ३	तेयार	तैयार
४७	१३	श्री कुमारानन्द	१०३. श्री कुमारानन्द
४८	४,५	Not andible	Not audible
,,	१३	श्री निरजननाथ	श्री निरंजननाथ
,,	अन्तिम से ३	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिह
४६	१४	,,	,,
५३	३	ाबश्नई	बिश्नोई
,,	अन्तिम से ७	जा	जो
५४	१,५	श्री भैंरोंसिह	श्री भैरोंसिह
५५	अन्तिम से ६	खिला	दिखाने

१	२	३	४
५५	अन्तिम से ३	जाती और है	जाती है और
५६	२	श्री विट्ठल	१०१. श्री विट्ठल
,,	१३	अभा	अभी
५७	अन्तिम	भी	भी क्या क्या अनियमिततायें हैं ?
५८	७	डिऽटी	डिप्टी
,,	११,१६	श्री भेरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६०	२३	कह	कहा
६१	अन्तिम से ५	—मंत्री	उप-मंत्री
६२	८	कोरेस्प्रोन्डेन्स	कोरेस्पोन्डेन्स
,,	१०	रिक्वेट	रिक्वेस्ट
६३	१२	(१):	:(१)
६४	२१	authorite	authority
६६	११	नम्बर	नवम्बर
६८	अन्तिम से ५,६	श्री शतीसचन्द्र अग्रवाल बोलने के लिए खड़े हुए	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल बोलने के लिए खड़े हुए)
७२	४	कुसियां	कुर्सियां
७५	शीर्षक	तारांजित	तारांकित
७६	६	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी	११६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी
,,	१८	उप-मंत्री,	उप-मंत्री, शिक्षा
७७	६,२६,२८	श्री भैरासिह	श्री भैरोंसिंह
७६ से ८८ तक	शीर्षक	सम्बधी	सम्बन्धी
,,	शीर्ष	——	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
,,	१६	Chalr	Chair
८०	१३	withr egarad	with regard
८१	,, ,, २	सदस्यों में	सदस्यों ने
८२	१	से	—
८३	१	श्री भुकुटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,,	११,	अन्ड्	—
,,	१५	व्यवस्था न होना	व्यवस्थान होना
८४	अन्तिमसे ३	मन्त्रियों	मंत्रियों
८६	२३	श्री मेरोंसिह	श्री भैरोंसिंह

१	२	३	४
८६	अन्तिम से ५	अन्डस्स्टेंडिंग	अन्डर्सेन्डिंग
८७	२४	रार्यसिह नगर)	(रायसिंहनगर)
,,	अन्तिम से ७	निश्वत	निश्चित
६०	२२	dlssent	dissent
,,	२६	es:tabllshed	established
,,	२६	tne	the
६१	१	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल	श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल
,,	६	(गगा नगर)	(गंगानगर)
,,	अन्तिम	(पचभद्र)	(पचपदरा)
६६	६	आय	आए
,,	५	अग्रवल	अग्रवाल
,,	७	आकषित	आकर्षित
,,	२०	legislature state	Legislature of a state
,,	अन्तिम से ८	I, Therefore	I, therefore,
,,	,, ,, ३	Government	Governor
६८	१२	उपस्थान	उपस्थापन
,,	१३	श्री राम साद लड्ढा	श्री रामप्रसाद लड्ढा
,,	२०	(मश्र मन्त्री)	(श्रम मन्त्री)
६६	१६	मानाज ायगा	माना जायगा
१०० से १०४	शीर्षक	वकतव्य	वक्तव्य
१०१	८	योग्य ।	योग्यता
,,	१३	कलेक्टर	क्लस्टर
,,	२४	जावेगो ।	जावेगी
१०३	५	अधकारी	अधिकारी
११२	स्कम्भ	११२	१११
,,	अन्तिम से ३	सक्यूलेट	सक्यूंलेट
१११	६	महोय	महोदय
,,	,,	अभ	अभी
,,	१४	Commssioner	Commissioner
११३	८	अर्डिस	आर्डर्स
११६	११	टछ	टच
११७	८	मथुर	माथुर

१	२	३	४
११७	११,१७	मत्राजी	मंत्रीजी
,,	१५	ग्रनुक्छेद	ग्रनुच्छेद
११८	११	लाइमें	लाइनें
११६	६	पालियामेन्ट	पार्लियामेन्ट
१२२	४	ग्राह्की	ग्रापकी
१२३	ग्रन्तिम से ७	कोट	कोर्ट
१२६	६	क्लीक	क्लीन
१२७	१८	ot	of
१२६	४	मानीया	माननीय
१३०	१	हीता	होता
१३२	२०–२१	in×the	in the
१३५	१०	पसेंट	पर्सेंट
,,	ग्रन्तिम से ७	मन्यता	मान्यता
१३७	१६	नहा	नहीं
१३६	१५	मथुर	माथुर
१४०	६	इस दल के द्वारा तब्दीला	इस क्लॉज़ के द्वारा तब्दीली
१४४	५	ग्रधिकरों	ग्रधिकारों
१४५	६	स्वश्य	स्वस्थ
१४६	१८	द्ष्ट	दृष्टि
,,	२०	हाता	होता
१४७	१६	कतने	कितने
१४८	११	चोज है कहते	चीज कहते हैं
१५१	१३	लखो	लिखो
१५२	१८	ग्र्टिकल	ग्राटिकल
१५३	शीर्षक	विवेवयक	विधेयक
१५५	१३	चफ	चीफ
,,	२६	बद	बाद
१५६	३	ग्राना ग	ग्राना पड़ेगा
१५६	शीर्षक	संचिश्रान	संविधान
१६०	४	(समय सर्माश्र सूचक घंट)	(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)
,,	१७	ता	तो
१६१	१५	बप्रर	प्रवर

१	२	३	४
१६२	६	सलेक्ट	सिलेक्ट
,,	१०	Commttee	Committee
१६३ से १६२ तक	शीर्षक	संविधान विधेयक–२२, अगस्त, ६३–सार्वजनिक उद्योग विधेयक	संविधान (१५वां संशोधन)–२२ अगस्त, ६३–विधेयक, १९६३
१६३	शीर्ष	(श्री मुलीधर व्याम)	(श्री मुरलीधर व्यास)
,,	६	विक	विधेयक, १९६३
,,	१०	(पूं	पूर्व
,,	१५	शाकीय सकल्ह्	शासकीय संकल्प
१६५	१	सस्कार	संस्कार
,,	४	(प्रालीन्द)	(प्रासीन्द)
,,	६	refleotlon	refleotion
१६६	अन्तिम से ८	bfore	before
१६८	५	सर्वेट्स	सर्वेन्ट्स
,,	८	मेा	मेरी
१६९	३	कानून	कानूनी
१७१	१०	चाह्	चाहता
,,	१३	सुक्षा	सुरक्षा
,,	अन्तिम से ८	कराा	करना
१७२	५	प्रोस	प्रोसेस
,,	८	डिकड्स	डिकेड्स
,,	१०	मध्स	मंथस
१७३	१६	हाना	होना
,,	२५	प्रानी	अपनी
१७४	२	मेर,	मेरी
,,	६	टिड्रेह	रिड्रेस
,,	११	एस सो	एस. सी
,,	अन्तिम से ८	पदा	पैदा
१७६	१	मे	मैं
,,	१२	ज	जो

१	२	३	४
,,	१३	संशोध	संशोधन
१७७	अन्तिल से १०	पा	पास
१७६	शीर्षक	संविश्रा न	संविधान
,,	६	माफ अर	ऑफ देअर
,,	६	सकता	सकता है
,,	१७	पडन	पड़ने
१८०	१६	a oresaid	aforesaid
,,	२०-२१	r duoed	reduoed
,,	अन्तिम से २	विर्घ	विधि
१८१	१३	redued	reduoe l
१८२	७	पुव	पूर्व
,,	६	खिलफ पहले चाज	खिलाफ पहले चार्ज
,,	१२	चाज	चार्ज
,,	१६	संशो न	संशोधन
,,	अन्तिम	no tappl y	not appl /
१८३	५	authoity ompowered	author.ty empcwered
,,	१५	नकरी	नौकरी
१८५	१	आके	आपके
१८७	१८	गायत	गोयल
१८८	६	अ	जो
,,	१४, १५	हुआ है है	हुआ है
,,	१५	ठक	ठीक
१८६	१	दुपरे	दूसरे
,,	२०	न्यूजीलण्ड	न्यूजीलैण्ड
,,	अन्तिम से ५	जज्जे	जर्ज ज
१६३ से २०८ तक	शीर्षक	संविधान विधेयक-२२ अगस्त, ६३-सार्वजनिक उद्यान विधेयक	संविधान (१६ वां संशोधन) विधेयक, १६६३
१६३		इ ।	इस
१६५	८	अने	अपने
,,	१२	तनी	इतनी

१	२	३	४
१६६	१२	यद	यदि
२०२	अन्तिम से ८	मार्क्किट	मार्क्सिस्ट
२०३	१७	झडा	झंडा
२०४	२	रहेग	रहेगी
२०७	अन्तिम से ७	में	मैं
२०६	१	शिर्षक	शीर्षक
,,	अन्तिम से ४	कशत	काश्त
२११	१२	एक एक	एक
,,	१८	हैं ॉ	हैं।
२१२	१५	अधिकुत	अधिकृत
२१३	५	dy	by
,,	८	अद्धिकुत	अधिकृत
,,	१०	(सोलह्व	(सोलहवां
२१८	रकम्भ	٧١٦]	२१८]
२१६	४	छोडे	छोड़े
२२१	८ कॉलम में		
	आइटम नं० ७	१२	२
२२२	६	मुरीय सनी	मुरीयासनी
२२६	कॉलम १२ में		
	आइटम नं० ८	द	८
२२८	१	वनीया	सावनीया
,,	६	कादलवा	कांदलवा
२३२	४	घगवा	वगंवा
,,	कॉलम १२ में		
	आइटम नं० ८१. २६		३६
२३३	कॉलम १२ में		
	आइटम नं० २		७
२३४	१५	Jaisalmar	Jaisalmer
२३५	१	Churn	Churu
,,	अन्तिम	१,६८,६६,१६५ ०७	१,६८,६६,१६५,०७

१	२	३	४
२३६	१५ के आगे कॉलम आइटम नं० ४ में	१००	१०२०
२३७	स्कम्भ	१३१	२३७
,,	१	kotah	Kota
२३८	४	की	के
,,	आइटम नं. २६	२३५८	२३/५८
,,	,, २७	६८५६	६८/५६
,,	,, २८	६८५६	६८/५६
,,	,, ३०	३१५६	३१/५६

———